अध्यक्ष की ओर से

प्रय सदस्यों,

आज हमारी प्रतिष्ठित कम्पनी की 77वीं वा षक साधारण सभा में हमारे साथ सम्मि लत होने के लये आपका स्वागत करना मेरे लये सौभाग्य की बात है। यहाँ आपकी उपस्थिति वास्तव में मूल्यवान एवं प्रशंसनीय है।

निदेशक मण्डल की ओर से, मैं आपके समक्ष वत्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हमारी कम्पनी के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें, साथ ही दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लये अंकेक्षकों का प्रतिवेदन एवं अंके क्षत खाते प्रस्तुत करते हुये सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।

भारत में आ थक उदारीकरण एवं कागज के बढ़ते आयात के पश्चात चुनौतियों के बीच वर्ष 1998 में बी.आई.एफ.आर. को संद र्भत होने के बाद से नेपा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जिसके कारण वत्तीय कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई। तथा प, पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना की स्वीकृति के साथ, जिसका समापन वर्ष 2015 से 2022 के बीच हमारे संयंत्र के आधुनिकीकरण के साथ हुआ, नेपा का चहुँमुंखी वकास सम्भव हुआ।

हमारी प्रगति हमारे ग्राहकों, अंशधारकों, भागीदारों, सम र्पत टीम के सदस्यों एवं हितधारकों के वश्वास द्वारा सम र्थत लचीलेपन को दर्शाती है, जो हमारी प्रगति एवं आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। पुनरुद्धार योजना के माध्यम से प्राप्त सरकारी सहायता हमारे संयंत्र आधुनिकीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण रही है। इसके फलस्वरूप, हमने मुद्रण, प्रकाशन एवं लेखन जैसे उद्योगों के लये आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले अखबारी कागज, लेखन एवं मुद्रण कागज की आपूर्ति करके राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नि ध संकट एवं अन्य वत्तीय चुनौतियों के बीच भी, हमने अपनी दूरद र्शता एवं लचीलेपन से प्रेरित होकर अपनी मौ लक ताकत बनाये रखने का प्रयत्न कया।

तथा प, कागज रहित समाज में परिवर्तन कुछ लोगों के लये अपरिहार्य लग सकता है, हम मानते हैं क भारत में, इस परिवर्तन को प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। प्रौद्यो गकी तक सी मत पहुँच, प्राथ मक शक्षा में अंतराल एवं कार्यस्थलों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बनाये रखने की दीर्घका लक परम्परा जैसे कारक बताते हैं क पूरी तरह से कागज रहित सभ्यता अभी भी एक दूर की वास्त वकता है।

इसके अतिरिक्त, मुद्रित पुस्तकों एवं पैकेजिंग की स्थायी मांग समाज में कागज की आवश्यक भू मका को रेखां कत करती है, जो हमें पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। हमारी रणनीति वैश्विक पेपर बाजार की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुये बढ़े हुये वक्रय के माध्यम से टर्नओवर को बढ़ाने पर केन्द्रित है, जहाँ ए शया एवं अफ्रीका में मांग बढ़ रही है, जब क वक सत देशों में गरावट आ रही है।

उत्पादन क्षमता का वस्तार, सर्वोत्तम कीमतों पर कच्चे माल को सुर क्षत करना तथा पर्यावरण मानकों एवं तकनीकी प्रगति को अपनाने जैसे स क्रय उपाय सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। ये प्रयास ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाते हैं और एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करते हैं।

जैसे ही हम इन अवसरों एवं चुनौतियों से निपटते हैं, नेपा भारतीय कागज बाजार में एक स क्रय अग्रणी के रूप में अच्छी स्थिति में है, जो सतत वकास और सभी हितधारकों को महत्व प्रदान करने के लये प्रतिबद्ध है।

भ वष्य योजना

भ वष्य की योजनाओं को देखते हुये, हम अपने राष्ट्र के लये एक आशाजनक भ वष्य की कल्पना करते हैं, जो हमारे उद्योग में तालमेल, नवाचार एवं उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण से प्रेरित हो।

हमारी कम्पनी उभरती सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लये स क्रय रूप से अपने कागज उत्पादों के सं वभाग का चरणबद्ध व वधीकरण कर रही है। लेखन एवं मुद्रण कागज में उच्च मानकों को बनाये रखने के अलावा, हम क्राफ्ट पेपर, टिशू पेपर एवं पैकेजिंग पेपर जैसे वशेष उत्पादों को सम्मि लत करके अपनी पेशकश का वस्तार कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में हमारी उपस्थिति को बढ़ाना एवं ग्राहकों की व वध मांगों को पूर्ण करना है।

समवर्ती रूप से, हम परिचालन दक्षता एवं स्थिरता में सुधार के प्रयास तेज कर रहे हैं। इसमें उत्पादन की प्रति यूनिट के लये भाप, बिजली, रसायन एवं पानी जैसे संसाधनों की खपत को अनुकू लत करना शा मल है। हम लगातार परिचालन दक्षता सुनिश्चित करते हुये, मशीनों के व्यवधानों को कम करने के लये स क्रय उपाय भी लागू कर रहे हैं।

इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से, हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने तथा उद्योग में सतत वकास को बढ़ावा देने के लये तैयार हैं।

निग मत शासन

कम्पनी अ धनियम, 2013 द्वारा अनिवार्य निग मत शासन मानकों एवं सार्वजनिक उद्यम वभाग द्वारा जारी निग मत शासन पर नवीनतम दिशा-निर्देशों का हमारी कम्पनी सख्ती से पालन करती है, जो सी.पी.एस.ई. (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के रूप में अनिवार्य हैं। निग मत शासन पर एक वस्तृत प्रतिवेदन निदेशक के प्रतिवेदन में शा मल है।

हम अपने सभी परिचालनों में उच्चतम स्तर की पारद र्शता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लये निग मत शासन अभ्यास को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं। नये कम्पनी अ धनियम के कार्यान्वयन के साथ, निग मत शासन को सारग र्भत महत्व प्राप्त हुआ है एवं हम इन उच्च मानकों को पूर्ण करने के लये सम र्पत हैं।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेपा ल मटेड के मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से अमूल्य मार्गदर्शन एवं एक व्यवसायी दूरदर्शी दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति हमारी निर्णय लेने की प्र क्रयाओं में निष्पक्षता को बढ़ाती है, जिससे हमारे निग मत शासन तंत्र को और मजबूती मलती है।

सामाजिक जिम्मेदारी

नेपा ल मटेड में, हम अपनी सभी व्यावसायिक गति व धयों में सुरक्षा एवं सामाजिक ज़िम्मेदारी के उच्चतम मानकों को कायम रखते हैं। हम समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने एवं सामुदायिक वकास में सकारात्मक योगदान देने के लये गहनता से प्रतिबद्ध हैं, खासकर मध्यप्रदेश के इस आदिवासी क्षेत्र एवं आसपास के गाँवों में, जहाँ नेपा महत्वपूर्ण च कत्सा सहायता और बहुत कुछ प्रदान करके जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है।

इस प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लये, हमने रक्तदान अ भयान, योग कार्यशालायें, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक गति व धयों सहित व वध पहलों को लागू कया है। इन प्रयासों का उद्देश्य स्थानीय कला को बढ़ावा देना, सामुदायिक कल्याण को बढ़ाना एवं समाज पर सार्थक प्रभाव डालना है।

भ वष्य की योजनाओं के लये हम अपने सामने असी मत अवसरों को पहचानते हैं। अपने हितधारकों की उद् वकासी आवश्यकताओं के साथ अपने प्रयासों को जोड़कर एवं कागज उत्पादन में अपनी वशेषज्ञता का लाभ उठाकर, हम वचारपूर्वक तथा स्थायी रूप से बदलावों को आगे बढ़ाने के लये प्रतिबद्ध हैं। हम उत्कृष्टता एवं सतत वकास के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता द्वारा निर्दे शत होकर, एक साथ मलकर भ वष्य के अवसरों का लाभ उठाने के लये तैयार हैं।

मैं, हमारी प्रगति में उनके अटूट वश्वास एवं समर्थन के लये अपने सभी हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कड़ी मेहनत के प्रति हमारे दृढ समर्पण, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के साथ, हमें वश्वास है क भ वष्य हमारे लये जबरदस्त संभावनायें रखता है।

राकेश कुमार चोखानी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कम्पनी की सं क्षप्त पार्श्विका

अखबारी कागज निर्माण में भारत की अग्रणी कम्पनी नेपा ल मटेड, मध्यप्रदेश के नेपानगर, जिला बुरहानपुर में स्थित है। इसका प्रशासनिक, साथ ही साथ पंजीकृत कार्यालय नेपानगर (म.प्र.) में स्थित है। कम्पनी मूलत: दि नेशनल न्यूज प्रंट एण्ड पेपर मल्स ल मटेड के नाम से अखबारी कागज उत्पादन करने के लये दिनांक 25 जनवरी 1947 को स्था पत हुई और वर्ष 1981 तक यह देश की अखबारी कागज उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई थी। कालांतर में अक्टूबर 1949 में कम्पनी का प्रबंधन उस समय की मध्य प्रांत एवं बरार राज्य (वर्तमान में मध्यप्रदेश) के द्वारा निजी प्रवर्तकों से अपने अ धकार में लया गया। तदुपरांत वर्ष 1958 में भारत सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में लया। 21 फरवरी 1989 को कम्पनी का आ धकारिक तौर पर नाम बदलकर नेपा ल मटेड कर दिया गया। कम्पनी का प्रशासनिक एवं पंजीकृत कार्यालय नेपानगर, मध्यप्रदेश में स्थित है।

आ र्थक उदारीकरण एवं बढ़ते कागज आयात के कारण वर्ष 1998 में बी.आई.एफ.आर. को संद र्भत कये जाने के उपरांत नेपा ने महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुये एक परिवर्तनकारी यात्रा की है, जिससे वत्तीय चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। वर्ष 1995 से वर्ष 2003 के मध्य कई असफल वनिवेश प्रयासों का सामना करने के बावजूद वर्ष 2007 में नेपा ल मटेड – स्वा मत्व वनिवेश वधेयक की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया।

संसद ने वनिवेश को अस्वीकार कर दिया एवं पुनरुद्धार के वकल्प तलाशने के लये मामले को डी.आर.पी.एस.सी. (वभाग संबं धत संसदीय स्थायी स मति) तथा बी.आर.पी.एस.ई. (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण मण्डल) को भेज दिया। सतम्बर 2011 में पुनरुद्धार पैकेज के लये बी.आर.पी.एस.ई. की अनुशंसा के पश्चात, भारत सरकार ने सतम्बर 2012 में नेपा लये पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को स्वीकृति दे दी।

बी.आई.एफ.आर. की स्वीकृति एवं पर्यावरण निर्बाधन के पश्चात आर.एम.डी.पी. को वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक निष्पादित कया गया था, जिसके पश्चात कम्पनी की उत्पादन क्षमता 1,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (टी.पी.ए.) तक बढ़ गई है। इस योजना का लक्ष्य अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज दोनों का निर्माण करना था। अक्टूबर 2022 से वा णज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ, जो कम्पनी के लये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह यात्रा उद्योग की चुनौतियों से निपटने में नेपा के लचीलेपन एवं रणनीतिक दूरद र्शता को रेखां कत करती है, जिससे भारत के कागज वनिर्माण क्षेत्र की आधार शला के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है।

संकल्पना	लक्ष्य
भारतीय कागज उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता और अग्रणी बनना तथा कम्पनी को व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाना।	सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवाचार और एकीकरण के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना।

निग मत जानकारी

निदेशक मण्डल

नाम	ववरण
श्री राकेश कुमार चोखानी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डॉ. रेणुका मश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त)
श्री अतुल कुमार मश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक
श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक

अंकेक्षण स मति

नाम	ववरण
श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रुप में
श्री अतुल कुमार मश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक सदस्य के रूप में
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त) सदस्य के रूप में

नामांकन एवं पारिश्र मक स मति

नाम	ववरण
श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रुप में
श्री अतुल कुमार मश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक सदस्य के रूप में
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त) सदस्य के रूप में

स्टेकहोल्डर्स संबंध स मति

नाम	ववरण
श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रुप में
श्री अतुल कुमार मश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक सदस्य के रूप में
श्री राकेश कुमार चोखानी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त) सदस्य के रूप में

प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक

नाम	ववरण
श्रीमती नि ध मश्रा	कम्पनी स चव
श्री वकास रेड्डी	मुख्य वत्तीय अ धकारी

कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय	अन्य कार्यालय
नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश – 450 221	दिल्ली कार्यालय: डी- ,165 डफेन्स कॉलोनी नई दिल्ली ,- 110 024 श्री महेन्द्र केशरी, प्रबंधक)का र्मक एवं प्रशासन(ई मेल-nepadelhi@nepamills.nic.in फोन : 011-24615894

अंकेक्षक	वैधानिक अंकेक्षक : मेसर्स ए.आई. कोठारी एवं एसो सएटस, सनदी लेखापाल, जलगाँव स चवीय अंकेक्षक : आई.जी. एण्ड एसो सएटस, कम्पनी स चव, इन्दौर लागत अंकेक्षक : चटर्जी एण्ड गाज़ी एसो सएटस, लागत लेखापाल, कोलकाता
बैंकर्स	भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा ल मटेड

एतद द्वारा सू चत कया जाता है क नेपा ल मटेड के सदस्यों की 77वीं वा षक साधारण सभा, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450221 पर शनिवार दिनांक 26.10.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे ऑनलाईन माध्यम से निम्न ल खत कार्य सम्पन्न करने हेतु आयोजित की जायेगी :-

साधारण कार्य के रुप में

1. दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लये तुलन पत्र एवं अंके क्षत वत्तीय ववरण एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्प णयों के साथ निदेशकों और वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर वचार- वमर्श करना तथा स्वीकार करना।

2. निम्न ल खत संकल्प पर वचार करना तथा यदि उ चत हो तो साधारण संकल्प के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना।

   "संकल्प लया गया क, कम्पनी की सहमति से, वत्तीय वर्ष 2024-2025 के लये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा उनके पत्र क्रमांक /सीए.वी/सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार, नेपा(1)/1836 दिनांक 22.09.2024 में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, मेसर्स सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसो सएट्स, इंदौर, वैधानिक लेखा परीक्षक को 1,75,000/- रुपये (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये, सेवा कर के साथ) के पारिश्र मक के भुगतान के लये सहमति दी जाती है।

वशेष व्यवसाय के रूप में:

3. निम्न ल खत संकल्प पर वचार करना तथा यदि उ चत हो तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना, जैसा क साधारण संकल्प में है

   "संकल्प लया गया क कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (इसमें कसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अ धनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू है) के साथ पठित है, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वत्तीय वर्ष के लये कम्पनी के लागत अ भलेखों की लेखापरीक्षा करने के लये कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्र मक, जैसा क इस बैठक को बुलाने की सूचना के साथ संलग्न ववरण में निर्धारित कया गया है, कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कया जाता है।"

   'इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लया गया क कम्पनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लये अ धकृत कया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लये आवश्यक, उ चत या समीचीन हो।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते नेपा ल मटेड
(नि ध मश्रा)
कम्पनी स चव
एम.क्र. ए53762

दिनांक : 04.10.2024
स्थान : नेपानगर

महत्वपूर्ण टिप्प णयाँ :-

1. परिपत्र क्र.14/2020 दिनांक 08.04.2020, परिपत्र क्र.17/2020 दिनांक 13.04.2020 एवं परिपत्र क्र.20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अनुसरण में तथा निग मत मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.09/2023 दिनांक 25.09.2023 और क्रमांक 09/2024 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से परिपत्र के रूप में संद र्भत) के अनुसार कम्पनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वी.सी. के माध्यम से वा र्षक साधारण सभा आयोजित करने की अनुमति है। इस लये, परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की ए.जी.एम. वी.सी. के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशो धत) के नियम 20 एवं एस.ई.बी.आई. (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) वनियम, 2015 (यथा संशो धत) के नियम 44 के साथ पठित तथा एम.सी.ए. परिपत्र दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 एवं 05.05.2020 कम्पनी ए.जी.एम. में कये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सु वधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लये, कम्पनी ने अ धकृत ई-मतदान एजेंसी के रूप में वद्युतीय माध्यम से मतदान की सु वधा के लये पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इण्डिया) प्राइवेट ल मटेड (पूर्वा) के साथ एक समझौता कया है। ए.जी.एम. की ति थ पर दूरस्थ ई-मतदान के साथ-साथ ई-मतदान प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सु वधा पूर्वा द्वारा प्रदान की जावेगी।

3. सदस्यगण ए.जी.एम. को वी.सी./ओ.ए.वी.एम. माध्यम से सूचना में उल्लि खत प्र क्रया का पालन करते हुये सभा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 15 मनट पहले और बाद में भाग ले सकते हैं। वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भागीदारी की सु वधा 1000 सदस्यों के लये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े अंशधारक (2% या अ धक हिस्सेदारी वाले अंशधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक, अंकेक्षक स मति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्र मक स मति तथा स्टेकहोल्डर्स संबंध स मति, अंकेक्षक आदि शा मल नहीं होंगे। ये सभी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना ए.जी.एम. में भाग लेंगे।

4. कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कार्यसाधक संख्या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जावेगी।

5. एम.सी.ए. परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 08.04.2020 के अनुसार, इस ए.जी.एम. में भाग लेने एवं सदस्यों को वोट देने के लये प्रतिनि ध नियुक्त करने की सु वधा उपलब्ध नहीं है। तथा प, कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 112 एवं धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनि ध जैसे भारत के राष्ट्रपति या कसी राज्य या निग मत निकाय के राज्यपाल वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग ले सकते हैं एवं ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

6. निग मत मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13.04.2020 के अनुसार ए.जी.एम. को आहूत करने वाली सूचना को कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर अपलोड कया गया है। ए.जी.एम. सूचना पूर्वा (दूरस्थ ई-मतदान सु वधा एवं ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.purvashare.com पर भी प्रसारित की जाती है।

ए.जी.एम. के दौरान दूरस्थ ई-मतदान एवं ई-मतदान तथा वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से सभा में शा मल होने के लये अंशधारकों के निर्देश इस प्रकार है :-

(i) मतदान दिनांक 23.10.2024 को प्रात: 9.00 बजे से प्रारम्भ होगा एवं दिनांक 25.10.2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। इस अव ध के दौरान कम्पनी के अंशधारक, जिनके पास कट-ऑफ दिनांक 19.10.2024 तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में अंश है, वद्युतीय रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात् पूर्वा द्वारा ई-वेटिंग प्रणाली उपयोग कर दी जावेगी।

(ii) जो अंशधारक सभा की ति थ से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे सभा स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) अभौतिक रूप में हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तिगत अंशधारकों एवं भौतिक अंशधारकों के अलावा अन्य अंशधारकों के लये ई-मतदान एवं वास्त वक सभा में शा मल होने के लये लॉ गन व ध।

(1) अंशधारकों को ई-मतदान वेबसाइट https://evoting.purvashare.com पर लॉग ऑन करना चाहिये।

(2) शेयरहोल्डर/मेम्बर मॉड्यूल पर क्लिक करें।

(3) अब अपना उपयोगकर्ता आई.डी. दर्ज करें।

(a) सी.डी.एस.एल. के लये : 16 अंकों वाली लाभार्थी आई.डी.,

(b) एन.एस.डी.एल. के लये : 8 अक्षरों वाली डी.पी. एवं तत्पश्चात 8 अंकों वाली ग्राहक आई.डी.,

(c) भौतिक रूप में अंशधारी सदस्यों के लये EVENT क्रमांक एवं उसके पश्चात कम्पनी के साथ पंजीकृत फो लयो नंबर दर्ज करें। उदाहरण के लये यदि फो लयो संख्या 001*** एवं 8 EVENT है, तब उपयोगकर्ता आई.डी. 8001*** है।

(4) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिये गये चरणों का पालन करें :-

	व्यक्तिगत एवं भौतिक रूप के अलावा अभौतिक रूप में अंश रखने वाले अंशधारकों के लये
पैन	आयकर वभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकीय अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (अभौतिक अंशधारकों के साथ-साथ भौतिक अंशधारकों दोनों के लये लागू) * जिन अंशधारकों ने कम्पनी/निक्षेपागार भागीदार के साथ अपना पैन अद्यतित नहीं कया है, उनसे अनुरोध है क वे कम्पनी/आर.टी.ए. द्वारा भेजे गये अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कम्पनी/आर.टी.ए. से संपर्क करें।

(iv) इन ववरणों को उ चत रूप से दर्ज करने के पश्चात SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।

(v) भौतिक रूप में अंश रखने वाले अंशधारक सीधे कम्पनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जावेंगे।

(vi) भौतिक रूप में अंश रखने वाले अंशधारकों के लये ववरण का उपयोग केवल इस सूचना में शा मल प्रस्तावों पर ई-मतदान के लये कया जा सकता है।

(vii) उस संबं धत <कम्पनी का नाम> के लये EVENT क्रमांक पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान करना चुनते हैं।

(viii) मतदान पेज पर आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा एवं उसी के सामने मतदान के लये YES/NO/ABSTAIN" का वकल्प दिखेगा। इच्छानुसार YES या NO या ABSTAIN वकल्प का चयन करें। वकल्प YES का अर्थ है क आप प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हैं, वकल्प NO का अर्थ है क आप प्रस्ताव पर असहमति जताते हैं एवं ABSTAIN का अर्थ है क आप प्रस्ताव के पक्ष या वपक्ष में मतदान नहीं कर रहे हैं।

(ix) यदि आप सूचना देखना चाहते हैं तो NOTICE FILE LINK" पर क्लिक करें।

(x) जिस संकल्प पर आपने मतदान करने का निर्णय लया है, उसका चयन करने के पश्चात SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रद र्शत कया जायेगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना मत बदलने के लये CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशो धत करें।

(xi) एक बार जब आप संकल्प पर अपने मत की "CONFERM" कर लेते हैं, तो आपको अपना मत संशो धत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(xii) गैर-व्यक्तिगत अंशधारकों एवं अ भरक्षकों के लये सु वधा – दूरस्थ मतदान

* गैर-व्यक्तिगत अंशधारकों (अर्थात व्यक्तिगत, HUF, NRI आदि के अतिरिक्त) एवं अ भरक्षकों को https://evoting.purvashare.com पर लॉग इन करना होगा एवं स्वयं को Custodians/Mutual Fund" मॉड्यूल पर पंजीकृत करना होगा।

* इकाई की मोहर एवं हस्ताक्षर वाली पंजीकरण प्रपत्र की स्कैन की गई प्रति evoting@purvashare.com पर ईमेल की जानी चाहिये।

* लॉ गन ववरण प्राप्त करने के पश्चात एड मन लॉ गन एवं पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिये। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते को लंक करने में सक्षम होंगे, जिसके लये वे मत करना चाहते हैं।

* मण्डल के संकल्प एवं पावर ऑफ अटॉर्नी (पी.ओ.ए.) की एक स्कैन की गई कॉपी, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे जाँचकर्ता द्वारा सत्या पत करने के लये सस्टम में pdf प्रारूप में अपलोड कया जाना चाहिये।

* वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत अंशधारकों को मत देने के लये अ धकृत व धवत अ धकृत हस्ताक्षरकरता के प्रमा णत नमूना हस्ताक्षर के साथ संबं धत मण्डल संकल्प/प्रा धकरण पत्र आदि को संवीक्षक एवं कम्पनी को ई-मेल secretary@nepamills.nic.in पर प्रे षत करना आवश्यक है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान कया है एवं उसे सत्या पत करने के लये पूर्वा ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं कया है।

बैठक के दौरान वी.सी./ओ.ए.वी.एम. एवं ई-मतदान के माध्यम से ए.जी.एम. में उपस्थिती हेतु अंशधारकों के लये निर्देश निम्नानुसार है :-

1. ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान प्र क्रया वैसी ही होगी जैसा क दूरस्थ ई-मतदान के लये उपर दर्शाया गया है।
2. बैठक में भाग लेने के लये वी.सी./ओ.ए.वी.एम. का लंक वहाँ उपलब्ध होगा जहाँ EVENT क्रमांक होगा। दूरस्थ ई-मतदान के लये ऊपर उल्लि खत निर्देशों के अनुसार सफल लॉ गन के पश्चात कम्पनी का नाम प्रद र्शत कया जायेगा।
3. जिन अंशधारकों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान कया है, वे ए.जी.एम. में भाग लेने के लये पात्र होंगे। तथा प, वे ए.जी.एम. में मतदान के लये पात्र होंगे।
4. अंशधारकों को बेहतर अनुभव के लये लैपटॉप/Pads के माध्यम से सभा में सम्मि लत होने के लये प्रोत्साहित कया जाता है।
5. इसके अतिरिक्त, अंशधारकों को बैठक के दौरान कसी भी गड़बड़ी से बचने के लये कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें, मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों से या लैपटॉप द्वारा या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभा गयों को अपने संबं धत नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑ डयो/वी डयो में बाधा उत्पन्न होने का अनुभव हो सकता है। इस लये कसी भी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लये स्थिर वाई-फाई या लैन संयोजन का उपयोग करने की सफारिश की जाती है।
7. जो अंशधारक बैठक के दौरान अपने वचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से कम से कम 03 दिन पहले अपने प्रश्न को अ ग्रम रूप से उल्ले खत कर उनके नाम, फो लयो संख्या, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नंबर अपना अनुरोध प्रे षत कर (कम्पनी ई-मेल आई.डी.) पर वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जो अंशधारक बैठक के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, ले कन उनके पास प्रश्न हैं, वे बैठक से कम से कम 05 दिन पहले अपना नाम, फो लयो संख्या, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नंबर (कम्पनी ई-मेल आई.डी.) पर अपना प्रश्न प्रे षत कर सकते हैं। कम्पनी द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से ई-मेल द्वारा दिया जायेगा।

8. जिन अंशधारकों ने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कया है, उन्हें केवल सभा के दौरान अपने वचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. केवल वे अंशधारक, जो वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सु वधा के माध्यम से ए.जी.एम. में उपस्थित होते हैं एवं दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं दिया है तथा अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, ए.जी.एम. में ई-मतदान प्रणाली के द्वारा मत देने के लये पात्र होंगे।

10. यदि ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से अंशधारकों द्वारा को मत दिया जाता है और यदि उन्हीं अंशधारकों ने वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सु वधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लया है, तो ऐसे अंशधारकों द्वारा डाले गये मत को अमान्य माना जायेगा क्यों क बैठक के दौरान ई-मतदान की सु वधा केवल बैठक में भाग लेने वाले अंशधारकों के लये उपलाभ है।

उन अंशधारकों के लये प्र क्रया, जिनका ई-मेल/मोबाइल नम्बर कम्पनी/जमाकर्ताओं के पास पंजीकृत नहीं हैं।

प्रत्यक्ष अंशधारकों के लये - कृपया आवश्यक जानकारी जैसे फो लयो नंबर, अंशधारक का नाम, अंश प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमा णत स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमा णत स्कैन्ड प्रति) ई-मेल के द्वारा support@purvashare.com पर प्रदान करें।

अन्य निर्देश

1. कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 107 के प्रावधानों के तारतम्य में, कम्पनी अंशधारकों को ई-मतदान की सु वधा प्रदान कर रही है। वहाँ वा र्षक साधारण सभा में हाथ उठाने के द्वारा कोई मतदान नहीं होगा।

2. अंशधारक मतदान के लये दोनों माध्यमों दूरस्थ ई-मतदान एवं ई-मतदान में से केवल एक माध्यम को ही चुन सकते हैं। दोनों माध्यमों से कये गये मतदान में से दूरस्थ ई-मतदान को ही अंतिम रुप से मान्य माना जायेगा।

3. ई-मतदान और बैठक में प्रत्यक्ष मतदान के लये सदस्यों के मतदान अ धकार 19 अक्टूबर, 2024 तक कम्पनी की चुकता साम्य अंश पूँजी के अंश के अनुपात में होंगे।

4. संकल्प के वषय में परिणाम दिनांक 28.10.2024 को कार्य के समय के पूर्व घो षत कये जायेंगे और कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। संकल्प वा र्षक साधारण सभा की ति थ पर पारित होना माना जायेगा। बशर्ते संकल्पों के पक्ष में आवश्यक मतदान प्राप्त हुये हों।

5. वह व्यक्ति जिसका नाम कटऑफ दिनांक को सदस्य के पंजी में दर्ज है अथवा जमाकर्ता द्वारा लाभप्रद स्वा मत्व के रजिस्टर में दर्ज है, वह दूरस्थ ई-मतदान की सु वधा के साथ-साथ वा र्षक साधारण सभा में मतदान स्थल पर भी मतपत्र के माध्यम से मतदान का हकदार होगा।

6. जाँचकर्त्ता, वा र्षक साधारण सभा में मतदान की समाप्ति पर पहले बैठक में हुये मतदान की गणना करेंगे और उसके पश्चात दो गवाहों, जो कम्पनी के रोजगार में नहीं है, की उपस्थिति में दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने को नि र्वरोध करेंगे और अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अ धकृत व्यक्ति को ल खत में पक्ष अथवा वपक्ष में पड़े कूल मतों की समे कत जाँचकर्त्ताओं की रिपोर्ट वा र्षक साधारण सभा की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर तैयार करेंगे जो उस पर प्रति हस्ताक्षर करते हुये तत्काल मतदान का परिणाम घो षत करेंगे।

7. परिणाम घो षत होने के पश्चात् अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा ल खत में कये गये अ धकृत व्यक्ति द्वारा जाँचकर्त्ता की रिपोर्ट के साथ घो षत कये गये परिणाम, कम्पनी की वेबसाईट www.nepamills.co.in पर तुरंत डालेंगे।

यदि आपके पास पूर्वा ई-मतदान प्रणाली से ए.जी.एम. एवं ई-मतदान में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप evoting@purvashare.com पर ई-मेल लख सकते हैं या 022-49614132 एवं 022-49700138 पर संपर्क कर सकते हैं।

वद्युतानी माध्यम से मतदान की सु वधा से संबं धत शकायतें सुश्री दीपाली धुरी, अनुपालन अ धकारी पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इण्डिया) प्रायवेट ल मटेड, इकाई क्रमांक 9, शवशक्ति इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई, 400011 को संबो धत की जा सकती हैं अथवा evoting@purvashare.com पर ई-मेल भेजें अथवा 022-49614132 एवं 022-35220056 पर संपर्क करें।

व्याख्यात्मक ववरण

(बैठक की सूचना में निहित मद संख्या 3 के संबंध में कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में)

मद क्रमांक 03

कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 148, को कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ने पर यह अपे क्षत होता है क लागत अंकेक्षकों के पारिश्र मक को मण्डल द्वारा अनुमोदित कया जायेगा, जिसे बाद में अंशधारकों द्वारा अनुमोदित कया जायेगा।

लेखापरीक्षा स मति की सफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल ने सभी करों, शुल्कों और अन्य सभी खर्चों सहित कुल रुपये 36000/- के पारिश्र मक पर नियुक्ति के लये मेसर्स प्रभा शर्मा एंड एसो सएट्स, भोपाल फर्मों के नाम को स्वीकृति दे दी है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है क वे दिनांक 31.03.2025 को समाप्त होने वाले वत्तीय वर्ष के लये लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्र मक की पुष्टि करें।

कम्पनी के कसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय का र्मक या उनके रिश्तेदारों का वत्तीय या अन्य रूप से इन प्रस्तावों से कोई सरोकार या रु च नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते नेपा ल मटेड
(नि ध मश्रा)
कम्पनी स चव
एम.क्र. ए53762

दिनांक : 04.10.20**24**
स्थान : नेपानगर

पंचवर्षीय आँकड़ें

(रुपये लाख में)

ववरण	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
उत्पादन	23356	6526	0	0	0
प्रचालन से राजस्व	12458.61	2717.17	2069.90	1736.63	1243.32
ब्याज एवं मूल्यह्रास के पूर्व लाभ	(5540.48)	(4547.69)	(1513.20)	(1604.00)	(4135.75)
ब्याज	5257.47	4867.48	4394.14	3703.08	2894.15
रोकड़ आ धक्य/(कमी)	(10797.94)	(9415.17)	(5907.34)	(5307.09)	(7031.90)
मूल्यह्रास	1878.19	1164.43	82.55	83.08	93.86
पूर्वाव ध मदों के पूर्व शुध्द लाभ/(हानि)	(12676.13)	(10135.97)	(5989.89)	(5390.17)	(7125.76)
साम्य अंश पूँजी	61778.78	61778.78	53937.78	53937.78	29537.78
ऋण (ब्याज छोड़कर)					
दीर्घाव ध	6594.60	9258.80	11923.00	10157.00	4169.60
अल्पाव ध	19735.49	15421.20	12757.00	400.40	3427.54
शुध्द स्थायी परिसम्प त्तयाँ (प्र कयाधीन पूँजी को छोड़कर)	37162.61	38607.31	1426.88	1499.31	1575.41
चल परिसम्प त्तयाँ	16337.71	21253.78	29309.81	25206.43	26783.04
चल देयताएँ (ऋण पर अदेय ब्याज सहित)	57922.09	47233.93	40555.23	36196.41	41029.11
कार्यशील पूँजी	(41584.38)	(25980.15)	(11245.42)	(10989.98)	(14246.07)
निवे शत पूँजी	(3799.94)	12627.16	(9818.54)	(9490.67)	(12670.66)
शुध्द सम्पन्नता	(14284.27)	(1608.08)**	11971.56	10120.50	(11889.28)
वक्रय से अर्जन (शुध्द लाभ)(%)	(1.01)	(3.89)	(2.89)	(3.10)	(5.73)
कर्मचारियों की संख्या	504*	536*	**431***	300	338

* सं वदागत कर्मचारी सम्मि लत है।

** आवंटन के लये लंबित अंश आवेदन रा श को छोडकर शुद्ध संपन्नता

रोजगार लागत सारांश

(रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	2023-2024	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
(ए)	वेतन एवं मजदूरी योग (ए)	1905.33	1941.66	1539.59	1557.19	1529.99
(बी)	कर्मचारियों के हितलाभ					
	भ वष्य नि ध एवं अन्य	230.13	230.26	186.19	192.88	199.43
	उपादान**	(1233.48)	461.64	79.80	707.98	614.16
	नगरीय	68.58	88.02	100.69	96.34	114.76
	शक्षा	0.00	0.00	0.00	0	0
	च कत्सा	73.02	79.23	85.57	93.52	81.09
	अवकाश यात्रा रियायत, सांस्कृतिक गति व धयों सहित अन्य हितलाभ	236.75	296.90*	66.01	48.11	51.76
	योग (बी)	(625.01)	**1156.05**	**518.25**	1138.83	1061.20
(सी)	स्वैच्छिक सेवानिवृ त्त योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान और गत वर्ष के व्यय पूर्व वर्ष में नहीं दर्शाये गये					
	स्वैच्छिक सेवानिवृ त्त योजना (वी.आर.एस.)	0.00	0.00	0.00	0	2658.31
	उपादान	0.00	0.00	0.00	0	0.49
	अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0	115.04
	योग (सी)	0.00	0.00	0.00	0	2773.84
	योग (ए+बी+सी)	1280.32	3097.71	**2057.84**	2696.02	5365.03
	कर्मचारियों की संख्या	504	**536**	**431**	300	338
	औसत वेतन, भृ त्तयाँ इत्यादि प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये)	378041	362250	**357213**	519063	452660
	कर्मचारी सु वधा पर औसत लागत प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये)	(124009)	**215681**	**120243**	379610	313964
	औसत रोजगार लागत प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये)	25403	**577931**	**477457**	898673	766624

* चालू वर्ष के अवकाश नकदीकरण व्यय सम्मि लत है।

** पछले वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने के कारण नकारात्मक आंकड़ा।

अंशधारियों को निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण,

नेपा ल मटेड

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वत्तीय वर्ष के लये अंके क्षत वत्तीय ववरण एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के साथ कम्पनी का 77वाँ वा षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वत्तीय परिणाम एवं कम्पनी के मामलों की स्थिति

आपकी कम्पनी के गत वर्ष के लये अनुरुपी आंकड़ों के साथ वत्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वत्तीय कार्य निष्पादन की मुख्य घटनायें निम्नानुसार है :-

(रुपये लाख में)

ववरण	2023-2024	2022-2023
आय		
अखबारी कागज का वक्रय	10854.96	803.31
पेट्रोल/डीजल/स्नेहक का वक्रय	1391.38	1627.71
अन्य प्रचालन आय	212.27	286.15
कुल आय	12458.61	**2717.17**
व्यय		
कच्चा माल	7769.37	2875.24
उत्पादन व्यय	4908.73	2,446.58
पेट्रोल/डीजल/स्नेहक का क्रय	1372.55	1607.73
नि र्मत माल/स्टॉक की मालसू चयों में परिवर्तन	1124.53	(2559.35)
कर्मचारियों के पारिश्र मक एवं हित लाभ	1280.32	3097.71
प्रशासन, नगर, सामाजिक उपरिव्यय तथा वक्रय एवं वतरण व्यय पर व्यय	2456.16*	704.88
कुल व्यय	18911.66	8172.79
प्रचालन लाभ/(हानि)	(6453.05)	(5455.62)
घटायें :ब्याज आय/(व्यय) – शुध्द	(5257.48)	(4867.48)
घटायें : मूल्यह्रास	(1878.19)	(1164.43)
जोड़े : अन्य आय	912.57	1351.55
मूल्यह्रास एवं ब्याज के पश्चात लाभ/(हानि)	(12676.13)	(10135.97)
असाधारण मदें (पूर्वाव ध समायोजन)	0	443.63
शुध्द लाभ/(हानि)	(12676.13)	(10,579.60)
सं चत लाभ/(हानि)	(83717.05)	(71041.25)
*इसमें वर्ष के दौरान कया गया प्रावधान शा मल है		

2. उत्पादन एवं वक्रय

वत्तीय वर्ष 2023-24 में नेपा ल मटेड ने 21607 मीट्रिक टन (एम.टी.) अखबारी कागज एवं 1749 एम.टी. लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन कया। कुल वक्रय 24814 एम.टी. अखबारी कागज एवं 50 एम.टी. लेखन एवं मुद्रण कागज का हुआ। वत्तीय वर्ष के अंत तक कम्पनी के पास तैयार मालसूची में 1668 एम.टी. अखबारी कागज एवं 1654 एम.टी. लेखन एवं मुद्रण कागज शेष था।

दिनांक 15.06.2023 को नेपा के इतिहास में 262 एम.टी. अखबारी कागज के सबसे अ धक एक दिवसीय उत्पादन के साथ एक मील का पत्थर हा सल कया गया था।

पछले वर्षों में सफल परीक्षणों एवं प्रवर्तन के पश्चात संयंत्र के सभी क्षेत्र अब बेहतर उत्पाद गुणवत्ता के साथ प्रचालन में हैं। तथा प परिचालन संबंधी चुनौतियाँ बनी रहती हैं, जिससे पैरामीटर समायोजन, प्रारम्भिक व्यवधान एवं पुराने पुर्जों में खराबी जैसे तकनीकी कारणों से कभी-कभी संयंत्र बंद हो जाता है। संयंत्र को कुशल एवं अनुभवी श्रमशक्ति की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। कार्यशील पूँजी की कमी के कारण कच्चे माल तथा रसायनों की आपूर्ति में व्यवधान होता है।

3. प्रचालन

पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना आर.एम.डी.पी. के सफल समापन के पश्चात, नेपा ल मटेड ने अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन पुनः प्रारम्भ कया। तथा प, शुरुआत में कुछ तकनीकी चुनौतियाँ सामने आईं, कन्तु प्रत्येक मुद्दे का व्यवस्थित रूप से निवारण कया गया। वर्ष के दौरान, पावर हाउस, पेपर मशीन, ड-इं कंग प्लांट एवं अप शष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र सहित सभी प्रचालन क्षेत्रों में उत्पाद की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ।

नेपा ने स्वयं को 42 जी.एस.एम. अखबारी कागज के भारत के एकमात्र उत्पादक के रूप में प्रतिष्ठित कया है, जो प्रति शीट बेहतर कागज की लंबाई या माईलेज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने समान कच्चे माल का उपयोग करते हुये, कन्तु एक अलग कच्चे माल मश्रण अनुपात के साथ, 76% चमक के साथ पहली बार 75 जीएसएम लेखन एवं मुद्रण कागज प्रस्तुत करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हा सल कया। नेपा इको प्रंट नामक यह अ भनव उत्पाद आ धकारिक तौर पर दिनांक 07.12.2023 को नई दिल्ली में पेपरेक्स मेगा इवेंट में लॉन्च कया गया था।

इन उपलब्धियों के बावजूद, नेपा को पावर हाउस, ड-इं कंग प्लांट तथा स्वचा लत प्रणा लयों (पी.एल.सी. आधारित, डी.सी.एस. एवं क्यू.सी.एस.) से सुसज्जित पेपर मशीनों जैसी महत्वपूर्ण सु वधाओं के प्रचालन के लये प्र श क्षत एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी के कारण शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके लये प्रबंधन ने बाहर से वशेष रूप से प्र श क्षत क र्मयों को कार्य पर रखा एवं स्थानीय निवा सयों को रोजगार के अवसर प्रदान कये।

यह ठोस प्रयास प्रचालन बाधाओं को दूर करने एवं भारत के कागज वनिर्माण उद्योग में अग्रणी के रूप में आगे बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार एवं आ र्थक वकास में योगदान देने की नेपा की प्रतिबद्धता को रेखां कत करता है।

4. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कया है।

5. आर क्षत का हस्तांतरण

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कसी भी आर क्षत नि ध को कोई रा श हस्तांतरित नहीं की है

6. लाभांश

हानि के कारण, आपके निदेशक दिनांक 31.03.2024 को समीक्षाधीन समाप्त वर्ष के लये कसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

7. संकल्पना एवं लक्ष्य

संकल्पना

भारतीय कागज उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता और अग्रणी बनना तथा कम्पनी को व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाना।

लक्ष्य

सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवाचार और एकीकरण के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना।

8. आर.एम.डी.पी. के पश्चात प्रचालन (वर्तीय वर्ष 23-24)

आर.एम.डी.पी. का प्रमुख भाग पूर्ण होने के पश्चात संयंत्र को प्रचालन में लाने के प्रयास किये गये। वर्तीय वर्ष 23-24 में निम्नलिखित के कारण मात्र 23% क्षमता उपयोग प्राप्त किया जा सका :-

* आर.एम.डी.पी. ठेकेदार पूँजी के मुद्दों एवं विलंब के कारण पीछे हट गये तथा इसलिये अंतिम प्रवर्तन एवं कार्य निष्पादन प्रत्याभूति निरर्थक हो गई।
* इसके परिणामस्वरूप स्थिरीकरण का समय बहुत अधिक हो गया। इस अवधि के दौरान, वेतन एवं अन्य तय व्यय कम्पनी की पूँजी समाप्त करते रहे।
* कुशल श्रमशक्ति की कमी। वर्ष 2016-2019 के मध्य कुल 608 कर्मचारियों ने वी.आर.एस. का विकल्प चुना एवं केवल 203 नियमित कर्मचारी ही उपलब्ध थे। 3 पालियों में प्रचालन के लिये लगभग 300 लोगों को संविदा आधार पर लिया गया था। उनके पास अपेक्षित कौशल एवं अनुभव नहीं था।
* मात्र 40% उपकरण नये थे एवं शेष पुराने ही रखने पड़े, लेकिन संयंत्र के प्रचालन के साथ इन पुरानी मशीनों में बार-बार खराबी का सामना करना पड़ा।
* आर.एम.डी.पी. के दौरान कम चमक तथा साइज प्रेस परिष्करण स्थापित न होने के कारण लेखन एवं मुद्रण श्रेणी के लिये खराब बाजार प्रतिक्रिया।
* कार्यशील पूँजी की कमी के कारण बार-बार कार्य बंद होने से उत्पादन की लागत अत्याधिक बढ़ गई।
* इन कारकों के कारण कम्पनी ने ब्याज एवं मूल्यह्रास सहित रुपये 126.76 करोड़ की हानि दर्ज की।

9. पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण

मट्टी, वायु एवं जल प्रदूषण को बचाने के लिये सभी संभव उपाय किये गये हैं। साथ ही पर्यावरण को बचाने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कच्चे माल के रूप में पुराने अखबार एवं सफेद सामग्री (प्रयुक्त कार्यालय स्टेशनरी कागज) का उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज का उत्पादन करने के लिये पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर विचार किया गया हैं। प्रक्रिया अनुकूलन के लिये कम से कम संभव रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि यह प्रक्रिया कम लागत वाली तथा क्लोरीन मुक्त हैं, इससे कोई प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय क्षति नहीं होती है।

पुनरुद्धार एवं मल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के तहत प्रदूषण उन्मूलन के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये तथा लागू किये गये :-

- ❖ अधिकाश आधुनिक ठोस अपशष्ट प्रबंधन प्रणाली (स्लज प्रबंधन प्रणाली) संयंत्र प्रचालन के दौरान उत्पन्न अपशष्ट से फाइबर पुनर्प्राप्त करती है। स्लज प्रबंधन प्रणाली की स्थापित क्षमता 140 मीट्रिक टन क्षमता (50% नमी के साथ) है। आजकल, एसएचएस से उत्पन्न अपशष्ट को पावर हाउस बॉयलर में जला दिया जाता है, जिससे बॉयलर में कोयले की खपत कम हो जाती है एवं विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस कचरे का निपटान भी हो जाता है। इस प्रकार, मट्टी प्रदूषण नियंत्रित होता है। इसी तरह, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र में एकत्रित अपशष्ट का विक्रय कार्डबोर्ड निर्माताओं को किया जा रहा है।
- ❖ जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये उत्पन्न अपशष्ट जल के उपकार के लिये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र (प्रतिदिन 12000 घन मीटर उपचार क्षमता) स्थापित किया गया है एवं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। उपचारित जल को प्रक्रिया उपयोग के लिये पुनर्चक्रित किया जा रहा है। इस प्रकार, किसी भी औद्योगिक जल को संयंत्र के बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है। इस प्रकार, संयंत्र शून्य तरल निर्वहन को पूर्ण करता है।
- ❖ वायु प्रदूषण में कमी के लिये पावर हाउस में वायुमंडल में प्रवाहित होने पहले गैसों (SO2, NOx CO, CO2 आदि) को नियंत्रित करने एवं चिमनी के माध्यम से वायुमण्डल में छोड़े जाने से पूर्व उत्सर्जन से बचने के लिये नये चार फील्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसपटेटर (ई.एस.पी.) प्रचालित है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, समस्त सभी निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों को पूर्ण करने के पश्चात आस-पास के वायुमंडलीय वायु की स्वच्छता बनाये रखने के लिये वायुमंडल में उच्च ग्रप गैसों के निर्वहन के लिये 80 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित का उपयोग किया गया है।
- ❖ कोयला हैंडलिंग संयंत्र में जल के छिड़काव के साथ धूल दमन प्रणाली एवं पलायक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये ऐश हैंडलिंग संयंत्र के पास बैग फिल्टर प्रचालित है।
- ❖ सल्फर उत्सर्जन को रोकने के लिये पावर हाउस बॉयलर में चूना फीडिंग तंत्र भी उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त :

ए. ई.टी. प्लांट के प्रवाह मापदंडों की निगरानी ऑनलाइन सतत बहिष्प्रवाही निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) से की जा रही है। पावर स्टैक में वायु प्रदूषण मापदंडों की निगरानी ऑनलाइन सतत स्टैक उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एस.ई.एम.एस.) से की जा रही है। इसके अतिरिक्त सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) परिवेश/आसपास की वायु की गुणवत्ता की निगरानी करती है। ऊपर उल्लि खत समस्त नीन उपकरणों के पैरामीटर वास्त वक समय के आधार पर सी.पी.सी.बी./एम.पी.पी.सी.बी. क्लाउड-आधारित सर्वर पर प्रे षत होते हैं।

बी. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दिशा-निर्देशों के अनुसार संयंत्र से निकाले गये उपयोग कये गये तेल को प्रमा णत तेल प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से निपटाया जाता है एवं ऋणायन एवं धनायनित राल खतरनाक अप शष्ट इकाई की श्रेणी में आता है एवं अप शष्ट राल को एम.पी. अप शष्ट प्रबंधन परियोजना, पथमपुर, मध्यप्रदेश के द्वारा निपटाया जाता है।

सी. पर्यावरण दिवस एवं व भन्न अवसरों पर पर्यावरण अनुकूल भावना का निर्माण करने के लये नेपा टाउन शप में स्वच्छ, हरा-भरा एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण को बनाये रखने के लये नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण का कया जाता है।

10. अनुसंधान एवं वकास तथा गुणवत्ता एवं तकनीकी

हमारा गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं वकास केन्द्र नवीनीकृत तथा सबसे उन्नत डजिटल परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। गुणवत्ता नियंत्रण टीम गुणवत्ता एवं व शष्टताओं के संबंध में कच्चे माल, रसायनों तथा अन्य आने वाली सामाग्री के परीक्षण में महत्वपूर्ण भू मका निभाती है। आर.एम.डी.पी. के पूर्ण होने पश्चात, मल ने पुनर्च क्रत आधारित फाइबर से बेहतर गुणों एवं उच्च चमक के साथ उन्नत गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का उत्पादन जारी रखा था। उत्पादित अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के वांछित गुणों को प्राप्त करने के लये आने वाले कच्चे माल, उत्पादित लुगदी एवं नि र्मत कागजों का मानक वनिर्देश के संबंध में व भन्न चरणों में परीक्षण कया जाता है। तैयार उत्पादों की पा लयों में उपलाभ कर्मचारियों द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी भी की जाती है। गुणवत्ता एवं प्रोद्यो गकी वभाग यह सुनिश्चित करता है क हमारे मूल्यवान ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला उत्पाद भेजा जाये ता क ग्राहक को कोई शकायत न हो।

हमारी प्रयोगशाला में एफ्लुएंट, स र्वस वॉटर एवं डी.एम. वॉटर पैरामीटर परीक्षण करने की सु वधा भी है। जल उपचार रसायन की मात्रा की पुष्टि करने एवं स्वच्छता के संबंध में नेपा टाउन शप में पीने योग्य पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लये समय-समय पर पीने योग्य जल की गुणवत्ता का भी वश्लेषण कया जाता है।

नेपा आर. & डी. केंद्र वैज्ञानिक एवं औद्यो गक अनुसंधान वभाग (डी.एस.आई.आर.), वज्ञान एवं प्रौद्यो गकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। आर. & डी. केन्द्र में प्रयोगों एवं परीक्षणों ने नेपा ल मटेड को एक नई दृष्टि दी है। अनुसंधान एवं वकास केन्द्र में प्रयोगों एवं परीक्षणों ने नेपा ल मटेड को नई संकल्पना की गुंजाइश दी है।

अनुसंधान एवं वकास केन्द्र अच्छी गुणवत्ता वाले लेखन एवं मुद्रण तथा बेहतर अखबारी कागज श्रेणी का उत्पादन करने के लये तकनीकी प्रगति के साथ प्र क्रया अनुकूलन, उत्पाद व वधीकरण और वनिर्माण प्र क्रया में बदलाव में महत्वपूर्ण भू मका निभा रहा है। उत्पादन लागत को कम करने के लये, अनुसंधान एवं वकास ने अनुसंधान एवं वकास केन्द्र में वांछित श्रेणी तथा गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन करने के लये व भन्न परीक्षण मापदंडों एवं रसायनों और कच्चे माल के संयोजन के साथ सस्ते रासायनिक वकल्पों की पहचान करने में भी सहायता की। अनुसंधान एवं वकास प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के पश्चात, इसे व्यावसायिक उत्पादन के लये प्र क्रयाधीन संयंत्र में लागू कया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमारे नेपा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लये नेपा अनुसंधान एवं वकास केन्द्र में व भन्न निर्माताओं से व भन्न प्रकार के अन्य कागजों के नमूने एकत्रित कये जा रहे हैं, उनका परीक्षण कया जा रहा है एवं उनका गहन अध्ययन कया जा रहा है।

अप शष्ट एवं फाई ऐश के बेहतर उपयोग के लये नेपा अनुसंधान एवं वकास केन्द्र में अनुसंधान प्रगति पर है।

11. मानव संसाधन वकास

कम्पनी ने आवश्यकता आधारित प्र शक्षण प्रदान करते हुये मानव संसाधन वकास को अत्य धक महत्व दिया है। यह वकास कर्मचारियों की मूल क्षमता को वक सत करेगा, जो उन्हें उत्तम एवं दक्ष दिशा एवं परिवर्तन के अनुकूल कार्य निष्पादन में समर्थ बनायेगा।

संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लये कर्मचारियों के वकास एवं उन्नति की आवश्यकताओं को कम्पनी की एच.आर.एम. नीतियों के संबंध में सकारात्मक असर बताया गया है। आर.एम.डी.पी. के पश्चात के परिदृश्य में, सभी गैर-मुख्य गति व धयों को मंत्रिमंडलीय स्वीकृति एवं जुलाई 2016 की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्स कया जायेगा। इससे कम्पनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हा सल करने, मानव संसाधन लागत में कमी एवं आत्मनिर्भर बनने में सहायता मलेगी।

श्रमशक्ति : दिनांक 31.03.2024 को कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या 196 (77 अ धकारी, 74 कर्मचारी एवं 45 अस्थाई श्र मक समा वष्ट) है।

12. औद्यो गक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण उपाय

पूर्व वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी कम्पनी लगातार सामंजस्यपूर्ण औद्यो गक संबंध कायम रखने में सफल रही। मान्यता प्राप्त संघ एवं उसके प्रतिनि धयों के साथ लगातार अन्योन्य क्रया के माध्यम से कम्पनी के भाग लेने वाली कार्य संस्कृति ने स्वस्थ औद्यो गक संबंध सुगम बनाया तथा परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान हड़ताल/तालाबंदी के खाते में एक भी दिन खराब नहीं हुआ।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों एवं उनके आ श्रतों को प्रदत्त व भन्न कल्याण उपाय जारी रहे।

13. प्रबंधन में कर्मचारी सहभा गता

श्र मक संबंधों में सुधार एवं वभागों की प्रचालन क्षमता हेतु व भन्न शॉप-फ्लोर एवं स्टॉफ कल्याण स मतियों का गठन कया गया। व भन्न स मतियों में मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनि धयों को पर्याप्त प्रतिनि धत्व दिया गया, ता क कम्पनी के कार्य एवं सामाजिक वातावरण तथा अच्छी समझ-बुझ बनाने में सकारात्मक वृध्दि को सहायता मल सके। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर और बल दिया जा रहा है।

14. कर्मचारियों का ववरण

कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 134 (3), जिसे कम्पनी (कर्मचारियों के ववरण) संशोधन नियम, 2011 के साथ पढ़ा जाये, के अनुपालन में पूरे वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लये ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसने रुपये 60 लाख प्रति वर्ष या रुपये 5 लाख प्रति माह सामूहिक पारिश्र मक प्राप्त कया है।

15. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. इत्यादि सदस्यों की रोजगार की स्थिति

दिनांक 31.03.2024 को अनुसू चत जाति (एस.सी.)/अनुसू चत जनजाति (एस.टी.)/अन्य पछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/ भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक वकलांग (पी.डब्ल्यू.डी.) के सदस्यों के रोजगार की स्थिति अनुलग्नक **I** में दर्शाई गई है।

16. महिला कर्मचारियों की स्थिति

कम्पनी में दिनांक 31.03.2024 को महिला कर्मचारियों का ववरण अनुलग्नक **II** में दर्शाया गया है।

17. राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अ धनियम, 1963 एवं उसके तहत बनी नियमावली के प्रावधानों के क्रयान्वयन को सुनिश्चित करने का सतत प्रयास कया है। क थत अ धनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में दस्तावेज या तो राजभाषा हिन्दी में अथवा द् वभाषी जारी कये जा रहे हैं।

इसके भाग के रुप में सभी श्रे णयों के कर्मचारियों/अ धकारियों के लये गहन प्र शक्षण कार्यक्रम, राजभाषा मास एवं उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यशाला तथा हिन्दी कम्प्यूटर प्र शक्षण कार्यक्रमों सहित समय-समय पर कार्यशाला आयोजित की गई। हिन्दी में प्रतियो गता आयोजित की गई तथा वजेताओं को उपयुक्त पुरुस्कार प्रदान कये गये। कम्पनी में दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 21.09.2023 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन कया गया।

हिन्दी के प्रयोग के प्रोत्साहन के लये सरकारी वभागों, शालाओं और बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये नगर राजभाषा कार्यावयन स मति की छमाही बैठक निय मत रुप से आयोजित की जा रही है।

व भन्न वभागों में मल्टीयूज़र सॉफ्टवेअर मंगल एवं कृति देव यूनीकोड का प्रयोग कया जा रहा है। कम्पनी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा वभाग के वा षक कार्यक्रम के उ चत एवं प्रभावी क्रयान्वयन के लये श्रेष्ठ प्रयास कर रही है।

18. यौन उत्पीड़न के निषेध के लये नीति

कम्पनी में रोकथाम, निषेध एवं निवारण अ धनियम, 2013 की आवश्यकता के क्रम में यौन उत्पीड़न के निषेध के लये नीति प्रच लत है। यौन उत्पीड़न के संबंध में शकायतें सुनने हेतु एक आंतरिक शकायत स मति बनाई गई है। समस्त कर्मचारी (स्थायी, सं वदागत, अस्थायी एवं प्र शक्षु) इस नीति के अंतर्गत शा मल है।

19. निग मत सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत तीन त्वरित पूर्ववर्ती वत्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी के औसत शुध्द लाभ का कम से कम 2% से समानांतर रा श सी.एस.आर. गति व धयों पर कम्पनी द्वारा व्यय करने की आवश्यकता है। चूं क पूर्ववर्ती वत्तीय वर्षों के दौरान से कम्पनी केवल हानि वहन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के लये कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं थे।

तथा प, कम्पनी लंबे समय से नेपानगर के निवा सयों एवं पड़ोसी समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल सु वधायें प्रदान कर रही है। कम्पनी ने सामुदायिक वकास कार्यक्रम भी चलाये। कम्पनी नेपानगर टाउन शप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धा र्मक एवं खेल गति व धयों के संचालन के लये व भन्न सामाजिक संगठनों को पूरा सहयोग देती है।

20. सहायक/एसो सएट्स/संयुक्त उद्यम के वत्तीय निष्पादन/वत्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी की कोई सहयोगी, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनी नहीं थी।

21. वा र्षक प्रतिवेदन का उध्दरण/वेब पता

अ धनियम की धारा 92 (3) एवं इसके तहत बने नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, वत्तीय वर्ष 2023-24 के लये वा र्षक प्रतिवेदन का उध्दरण निर्धारित प्रपत्र क्र. एम.जी.टी.-9 में दिया गया है, यह www.nepamills.co.in पर उपलब्ध है।

22. जो खम प्रबंधन नीति

नेपा ल मटेड के पास एक संर चत एवं व्यापक उद्यम जो खम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लये मण्डल द्वारा अनुमोदित जो खम प्रबंधन नीति है। नीति का उद्देश्य जो खमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिकृया, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लये एक सामान्य समझ, भाषा तथा कार्यप्रणाली स्था पत करना एवं प्रबंधन को आश्वासन देना है क कम्पनी में प्रमुख जो खमों की ठीक से पहचान की जा रही है एवं प्रभावी ढंग से प्रबं धत कया जा रहा है।

23. ऊर्जा संरक्षण

- कोयले की मात्रा को कम करने के लये बॉयलर में जलाने के लये अप शष्ट को कोयले में मलाया जाता है।
- वद्यमान ट्रेव लंग ग्रेट बॉयलर को ए.एफ.बी.सी. बॉयलर तकनीक से बादल दिया गया है, जिससे समग्र बॉयलर दक्षता में लगभग 84% सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की बचत होगी एवं जी.एच.जी. (Co2) के उत्सर्जन से बचा जा सकेगा।
- वद्यमान वैक्यूम पंप एवं प्रोसेस पंप को नये ऊर्जा कुशल वैक्यूम पंप एवं प्रोसेस पंप से बदल दिया गया है।
- प्र क्रया की आवश्यकता के अनुसार वद्यमान सामान्य एम.सी.सी./स्टार्टर को वी.एफ.डी. (परिवर्तनीय आवृ त्त ड्राइव) से बदल दिया गया है।
- पहले मैन्युअल रुप से प्रणाली प्र क्रया को अब स्वचा लत डी.सी.एस. एवं क्यू.सी.एस. प्रणाली से नियंत्रित कया जाता है, जो अंततः हमारे उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार करता है, डाउन समय एवं ऊर्जा खपत को भी कम करता है। जो अंततः प्रणाली की प्र क्रया दक्षता तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है और जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- वद्यमान पारंपरिक लाइटिंग को एलईडी लाइटिंग से बदला जा रहा है, जिससे 70% से अ धक ऊर्जा की बचत होगी।
- शून्य अप शष्ट निर्वहन एवं पर्यावरणीय मानदंडों को पूर्ण करने के लये एक बेहतर तथा नया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र।

24. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्र मक के भुगतान एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संब धत कम्पनी की नीति कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 197, जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय का र्मक की नियुक्ति तथा पारिश्र मक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबध्द कम्पनी को चाहिये क निदेशक का प्रतिवेदन में निदेशकों आदि के पारिश्र मक की पूर्ण जानकारी प्रसारित करें। तथा प, निग मत संबंधी सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अ धसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के पालन से छूट प्राप्त है।

नेपा ल मटेड एक सरकारी कम्पनी होने के कारण मण्डल सदस्य की नियुक्ति भारत सरकार के नियंत्रण में है, इस लये यथा व र्णत ऐसे ववरण निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मि लत नहीं है।

25. सतर्कता

सतर्कता वभाग का नेतृत्व वर्तमान में मुख्य सतर्कता अ धकारी करते हैं एवं प्रबंधक (सतर्कता) उनकी सहायता करते हैं। सतर्कता वभाग निवारक सतर्कता पर अ धक बल देता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के निर्देशानुसार, भारताचार को ना कहें की वषय पर नेपा ल मटेड में दिनांक 30.10.2023 से दिनांक 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वी.ए.डबल्यू.) मनाया गया। सप्ताह के दौरान व भन्न गति व धयों का आयोजन कया गया।

सतर्कता वभाग मण्डल स्तर से नीचे के कर्मचारियों के वरुद्ध शकायतों को निपटाता है, सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लये सी.वी.सी., सी.बी.आई. एवं एम.एच.आई. के सी.वी.ओ. के साथ एक अंतराफलक के रूप में कार्य करता है। सहमत सूची एवं ओ.डी.आई. सू चयाँ तैयार की जाती हैं, सतर्कता स्वीकृति दी जाती है एवं त्रैमा सक प्रगति एवं निष्पादन रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को प्रस्तुत की जाती है।

26. मण्डल की स मति

अद्यतन मण्डल की स मति के संबंध में ववरण निग मत शासन प्रतिवेदन में अनुलग्नक **IV** पर संलग्न है।

27. निग मत शासन

निग मत शासन पर प्रतिवेदन अनुलग्नक **IV** पर संलग्न है।

(i) निग मत शासन पर डी.पी.ई. निर्देशानुसार निग मत शासन (सी.जी.) पर प्रारूप प्रमाण पत्र।

(ii) कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 204 (1) के तहत स चवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन।

स्वतंत्र निदेशकों ने मण्डल को अपने खुलासे प्रस्तुत कए हैं क वे कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ता क स्वयं को कम्पनी अ धनियम, 2013 एवं प्रासं गक नियमों के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कया जा सके।

28. निदेशकों का उत्तरदायित्व ववरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लये वा र्षक लेखा की तैयारी हेतु निदेशक मण्डल कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायित्व एवं अनुपालन सुनिश्चित करते है तथा कथन करते है क :-

i. वा र्षक खाते बनाते समय सैध्दांतिक बदलाव से संब धत उ चत स्पष्टीकरण के साथ प्रभावी खतौनी मानकों का पूरा अनुपालन कया गया है;

ii. निदेशकों ने इन खतौनी सध्दांतों का चुनाव कया था तथा इसे दृढता से लागू कया एवं निर्णय कया और अनुमान लगाया क यह उ चत एवं दूरदर्शी हैं जिससे क वे वत्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों के संबंध में यथा अव ध लाभ एवं हानि के संबंध में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण से वचार दें;

iii. निदेशकगणों ने कम्पनी की परिसम्प त्त को सुर क्षत रखने और धोखाधड़ी को रोकने एवं उसका पता लगाने तथा अन्य अनिय मतताओं को रोकने के लये इस अ धनियम के प्रावधानों के तहत खतौनी के उ चत एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लये आवश्यक एवं समु चत ध्यान रखा गया है;

iv. वा र्षक खातों को सतत व्यापार अवधारणा पर तैयार कया है;

v. कम्पनी के अनुपालन द्वारा निदेशकों के पास तैयार कया आंतरिक वत्तीय नियंत्रित हो और यथा आंतरिक वत्तीय नियंत्रण सटीक एवं प्रभावी प्रचालन हो;

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के पालन सुनिश्चित हेतु समु चत व्यवस्था की सोच निदेशकों के पास है तथा यथा व्यवस्थायें सटीक एवं प्रभावी प्रचालन है;

29. प्रबंधन चर्चा एवं वश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं वश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक **V** पर है।

30. अंकेक्षक

वैधानिक अंकेक्षक : मेसर्स ए.आई. कोठारी एवं एसो सएटस, सनदी लेखापाल, जलगाँव, को वर्ष 2023-24 के लये पत्र क्रमांक सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./केन्द्रीय सरकार, नेपा (1)/1465 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त कया गया था।

आंतरिक अंकेक्षक : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अ धनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के आंतरिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लये मेसर्स पी.सी. छाजेड एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल नियुक्त कये गये थे।

स चवीय अंकेक्षक : कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 204, जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय का र्मक की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने वत्तीय वर्ष 2023-24 के लये कम्पनी के स चवीय अंकेक्षण करने हेतु आई.जी. एण्ड एसो सएट्स, पेशेवर कम्पनी स चव को नियुक्त कया है।

लागत अंकेक्षक : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अ धनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लागत अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लये मेसर्स चटर्जी गाज़ी & एसो सएटस, सनदी लेखापाल नियुक्त कये गये थे।

31. अंकेक्षक प्रतिवेदन

अंकेक्षक के प्रतिवेदन में कोई योग्य टिप्पणी नहीं है एवं अंकेक्षक की टिप्पणी प्रकृति में स्व-व्याख्यात्मक है तथा इस लये मण्डल के प्रतिवेदन में कसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

32. अंकेक्षक प्रतिवेदन के अनुसार धोखाधड़ी का ववरण

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वत्त वर्ष के दौरान कम्पनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। कम्पनी के अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भी समर्थन कया जा रहा है क्यों क दिनांक 31.03.2024 को समाप्त व तय वर्ष के लये उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

33. संबं धत पार्टी लेन-देन

वर्ष के दौरान, संबं धत पार्टियों के साथ कोई भी लेन-देन अ धनियम की धारा 188 (1) के दायरे में नहीं आता है। इस लये, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रपत्र ए.ओ.सी.-2 कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

34. सतर्कता तंत्र की स्थापना

कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के लये अपने निदेशकों और कर्मचारियों हेतु एक सतर्कता तंत्र स्था पत करना आवश्यक नहीं है।

35. कसी भी नियामक प्रा धकरण/ट्रिब्यूनल/न्यायालय द्वारा पारित आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भ वष्य में चल रही चंता की स्थिति एवं कम्पनी संचालन को प्रभा वत करने वाले कसी भी नियामक प्रा धकरण या न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स द्वारा कोई आदेश पारित नहीं कया गया।

36. स चवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

स चवीय अकेक्षक द्वारा दिये गये स चवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के निग मत शासन प्रतिवेदन में अनुलग्नक **IV** में संलग्न है। स चवीय अंकेक्षक की टिप्पणी प्रकृति में स्व-व्याख्यात्मक है।

37. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी ने समु चत आंतरिक नियंत्रण परिमाण बनाया है। यह प्रबंधन आच्छादि समस्त समीक्षात्मक और आवश्यक गति व धयों द्वारा प्रणाली और व भन्न मैनुअलों के फार्म में हैं। ये मैनुअल और प्रणाली समय-समय पर अद्यतित होती हैं और इसका सख्ती से पालन कया जाता है, जो आंतरिक अंकेक्षण द्वारा सुनिश्चित कया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण वभाग व भन्न नीतियों एवं प्रणा लयों के अनुपालन में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावीयता तथा पर्याप्तता, समीक्षा एवं जाँच करता है। आंतरिक अंकेक्षण की कार्य प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता की समीक्षा मण्डल स्तर की अंकेक्षण स मति द्वारा की जाती है।

38. सामग्री परिवर्तन और वचनबध्दता, यदि कोई, कम्पनी की वत्तीय स्थिति को प्रभा वत करता है

कम्पनी में कोई सामग्री परिवर्तित नहीं है और वचनबध्दता कम्पनी के वत्तीय वर्ष के बंद होने के लये निरंतर प्रकट हुई है, जिससे तुलन पत्र और प्रतिवेदन की ति थ से संबं धत, स्वीकृत योजना के अनुसार आर.एम.डी.पी. के क्रयांवयन के लये, को छोड़कर कम्पनी की वास्त वक स्थिति को प्रभा वत कर सकती है।

39. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का ववरण

वत्तीय ववरण के नोट में दिये गये ऋण, गारंटी और निवेश कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत अपना लया गया है।

40. जमा

कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 73 एवं कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की सीमा में कम्पनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं कया है।

41. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्प णयाँ

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लये कम्पनी के खातों पर कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से शून्य टिप्प णयां प्राप्त हुई।

42. मण्डल सभायें

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने चार सभायें आयोजित की।

क्रमांक	1	2	3	4
दिनांक	20.04.2023	28.08.2023	16.10.2023	09.02.2024
उपस्थित निदेशकों की संख्या	4	5	5	5

43. अंकेक्षण स मति

वर्ष के दौरान अंकेक्षण स मति ने चार सभायें आयोजित की।

क्रमांक	1	2	3	4
दिनांक	20.04.2023	28.08.2023	16.10.2023	09.02.2024
उपस्थित सदस्यों की संख्या	3	3	3	3

वर्ष के दौरान स्टैकहोल्डर संबंध स मति की कोई बैठक नहीं हुई।

44. निदेशक मण्डल एवं के.एम.पी. का गठन

मण्डल का गठन इस प्रकार है :-

क्र.	नाम	ववरण	वर्ष के दौरान परिवर्तन
1.	डॉ. रेणुका मश्रा	दिनांक 29.06.2022 से अंशका लक कार्यालीन निदेशक	डॉ. रेणुका मश्रा का नेपा ल मटेड में दिनांक 12.04.2023 को अंशका लक कार्यालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
2.	सुश्री मुक्ता शेखर	दिनांक 12.04.2023 से अंशका लक कार्यालीन निदेशक	सुश्री मुक्ता शेखर नेपा ल मटेड में दिनांक 12.04.2023 से अंशका लक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त की गई।
3.	कमोडोर सौरभ देब	दिनांक 01.01.2021 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कमोडोर सौरभ देब ने नेपा ल मटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया एवं उनका कार्यकाल दिनांक 26.03.2024 को समाप्त हो गया।
4.	श्री राकेश कुमार चोखानी	दिनांक 26.03.2024 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	श्री राकेश कुमार चोखानी नेपा ल मटेड में दिनांक 26.03.2024 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त हुये।
5.	श्री पी.के. नाईक	दिनांक 02.05.2019 से निदेशक (वत्त)	श्री पी.के. नाईक को दिनांक 02.05.2019 से निदेशक (वत्त) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त कया गया है तथा दिनांक 02.05.2023 से एक वर्ष का और वस्तार कया गया है।
6.	श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े	दिनांक 05.06.2023 से स्वतंत्र निदेशक	श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े नेपा ल मटेड में दिनांक 05.06.2023 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कये गये।
7.	श्री अतुल कुमार मश्रा	दिनांक 03.03.2023 से अंशका लक कार्यालीन निदेशक दिनांक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।	श्री अतुल कुमार मश्रा नेपा ल मटेड में दिनांक 03.03.2023 से अंशका लक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त हुये एवं दिनांक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।

के.एम.पी. की जानकारी इस प्रकार है :-

क्र.	नाम	ववरण	वर्ष के दौरान परिवर्तन
1.	श्री सी.एन. वर्मा	दिनांक 28.06.2023 से सी.एफ.ओ.	श्री सी.एन. वर्मा दिनांक 28.06.2023 से दिनांक 15.01.2024 तक सी.एफ.ओ. नियुक्त कये गये
2.	श्री वकास रेड्डी	दिनांक 15.01.2024 से सी.एफ.ओ.	श्री वकास रेड्डी दिनांक 15.01.2024 से सी.एफ.ओ. नियुक्त कये गये
3.	श्रीमती पू र्णमा पाराशर	दिनांक 20.03.2019 से कम्पनी स चव	श्रीमती पू र्णमा पाराशर ने नेपा ल मटेड के कम्पनी स चव के पद से त्यागपत्र दिया एवं उनका कार्यकाल दिनांक 15.01.2024 को समाप्त हो गया।
4.	श्रीमती नि ध मश्रा	दिनांक 15.01.2024 से कम्पनी स चव	श्रीमती नि ध मश्रा नेपा ल मटेड में दिनांक 15.01.2024 से कम्पनी स चव के पद पर नियुक्त हुई।

45. अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज के वपणन की स्थिति

भारतीय अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज उद्योग का अवलोकन तथा नेपा के लये भ वष्य की संभावनायें

भारतीय कागज एवं पल्प बाजार का मूल्य

भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिका बाजार में राजस्व वर्ष 2024 में 2.95 बि लयन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। राजस्व में 1.70% की वा र्षक वृद् ध दर (सी.ए.जी.आर. 2024-2029) प्रद र्शत होने का अनुमान है, जिससे 2029 तक अनुमानित बाजार मात्रा 3.21 बि लयन अमेरिकी डॉलर हो जायेगी।

भारत में अखबारी कागज उद्योग का भ वष्य क्या है?

अब रुपये 30000 करोड़ के उद्योग में, 84 प्रतिशत एक बहुत बड़ा राजस्व है एवं इससे यह पता चलता है क कम से कम आने वाले कुछ वर्षों तक भारत में स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों का भ वष्य अत्यंत सकारात्मक रहेगा एवं समाचार पत्र उद्योग में वृद् ध स्थानीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों द्वारा संचा लत होगी।

भारत में अखबारी कागज उद्योग के वकास का भ वष्य क्या है?

भारतीय कागज और पेपरबोर्ड पैकेजिंग बाजार के वर्ष 2027 तक 6.6 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. से बढ़ने का अनुमान है। उद्योग ने वक्रय मात्रा में वृद् ध, उच्च उत्पादन एवं वत्तीय वर्ष 23 में वक्रय राजस्व में उल्लेखनीय 45 प्रतिशत की वृद् ध देखी।

कागज उत्पादन का भ वष्य क्या है?

कुल मलाकर, कागज निर्माण का भ वष्य स्थिरता, डजिटलीकरण, प्रद्यो गकी एवं बदलती उपभोक्ता प्राथ मकताओं सहित कई कारकों से आकार लेने की संभावना है। तथा प, उद्योग को चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा, कन्तु समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लये इसका वकास एवं अनुकूलन जारी रहने की भी संभावना है।

क्या भारत में प्रंट मी डया जी वत रहेगा?

एफ.आई.सी.सी.आई.-ई.वाई. के प्रतिवेदन के अनुसार, वैश्विक प्रवृ त्त के वरुद्ध, भारत में प्रंट मी डया सतत सजीव, वर्ष 2023 में वज्ञापन राजस्व में 4% की वृद् ध हुई।

अखबारी कागज खण्ड

अखबारी कागज खण्ड में भारतीय पेपर उद्योग का लगभग ~15% हिस्सा शा मल है एवं साक्षरता में सुधार तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के बढ़ते प्रसार के कारण वत्तीय वर्ष 2008-17 के दौरान 3.5% की सी.ए.जी.आर. से बढ़कर 2.6 म लयन मीट्रिक टन हो गया है। अखबारी कागज खण्ड की संभावना मुख्य रूप से प्रंट मी डया उद्योग द्वारा इसकी खपत पर निर्भर करती है।

लेखन कागज खण्ड

डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च का वश्लेषण है क लेखन एवं मुद्रण तथा वशेष कागज बाजार का मूल्य 2021 में 2660.00 म लयन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2029 तक 4502.48 म लयन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2022 से वर्ष 2029 की अनुमानित अव ध के दौरान 6.80% की सी.ए.जी.आर. दर्ज करेगा।

नेपा ल मटेड के लये भ वष्य का दृष्टिकोण

नेपा के पास मध्य एवं पश्चिम भारत के अखबारी कागज खण्ड के बड़े हिस्से का अ धग्रहण करने की क्षमता है। वर्तमान में नेपा के पास अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज के उत्पादन एव अ धकतम क्षमता उपयोग तथा लागत अनुकूलन को प्राप्त करने की 1 लाख मीट्रिक टन की स्था पत क्षमता है। नेपा ल मटेड आत्मनिर्भर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन सकता है एवं कागज निर्माण क्षेत्र में मेक इन इं डया में योगदान दे सकता है। नेपा अखबारी कागज से लेकर लेखन एवं मुद्रण कागज के साथ-साथ क्राफ्ट पेपर तक उत्पाद व वधीकरण की संभाव्यता का भी पता लगा सकता है।

46. लागत अ भलेखों का अनुरक्षण

वनिर्दिष्ट खाते नि र्मत एवं अनुर क्षत कये गये हैं।

47. मण्डल के निष्पादन का मूल्यांकन

निग मत संबंधी सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अ धसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 134 (पी) के प्रावधानों के पालन से छूट प्राप्त है।

चूँ क नेपा ल मटेड एक सरकारी कम्पनी है, इस लये यथा व र्णत निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मि लत नहीं है।

48. को वड-19 के प्रभाव

महामारी के रूप में कोरोना वायरस (को वड-19) का प्रकोप एक महत्वपूर्ण बाधा एवं वैश्विक आ र्थक गति व धयों में मंदी का कारण बना। कम्पनी ने अपनी उपलब्ध परिसम्प त्तयों, निवेश, व्यवसाय प्राप्य एवं मालसू चयों की वहन मात्रा का आकलन करने में इस के प्रभाव को अ धकतम सीमा तक मान्य कया। स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक महामारी का प्रभाव इन वत्तीय ववरणों के अनुमोदन की ति थ के अनुमान से भन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, को वड-19 के प्रभाव का आकलन एक लगातार प्र क्रया है, जो इसकी प्रकृति एवं कालाव ध के साथ अनिश्चितता में सहयोग प्रदान करता है।

49. पूँजी संरचना

कम्पनी की अ धकृत एवं चुकता पूँजी क्रमशः रुपये 800 करोड़ तथा रुपये 694.32 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आर.एम.डी.पी. के लये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त धनराशी के वरुद्ध आवंटित साम्य अंश पूँजी रुपये 78.41 करोड़ का कार्य कया गया।

50. ई-प्रोक्योरमेंट/इंटी ग्रटी पैक्ट

संगठन में ई-प्रोक्योरमेंट सु वधा वद्यमान है। मेसर्स एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना वज्ञान केन्द्र), नई दिल्ली ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लये सेवा प्रदाता है। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट/GeM पोर्टल के माध्यम से ई-नि वदायें आमंत्रित की जा रही हैं। इंटी ग्रटी पैक्ट लागू कया गया है। रुपये 2 करोड़ से अ धक की सभी नि वदाओं के लये इंटी ग्रटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के लये आई.ई.एम. (स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स) को नियुक्त कया गया है।

51. पारिश्र मक नीति

नेपा ल मटेड में, अ धकारियों के लये वेतन एवं अन्य लाभ भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित है। दिनांक 01.01.1997 से प्रभावी अंतिम वेतन पुनरीक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 7(8)/2009-पी.ई. VII दिनांक 25.09.2012 के अनुसार कया गया था एवं नेपा ल मटेड में इसे 29.03.2013 को लागू कया गया है। सी.पी.एस.ई. के मण्डल स्तर एवं उससे नीचे के अ धकारियों एवं नॉन-यूनियनाईज्ड सुपरवायजरों के वेतन पुनरीक्षण के लये एम.एच.आई. ने वेतन पुनरीक्षण लागू करने के लये राष्ट्रपति के निर्देश जारी कये हैं। कन्तु दिनांक 01.01.2007 एवं दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण का कार्यान्वयन अभी भी लंबित है।

52. अंकेक्षकों एवं पी.सी.एस. द्वारा अपने प्रतिवेदन में योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्प णयों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्प णयाँ

वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं स चवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों का प्रतिवेदन का हिस्सा है।

53. डजिटलीकरण, कम्पनी की वेबसाइट से लंक, ई.आर.पी., व डयो कॉन्फ्रें संग, बिल मार्गन इत्यादि।

नेपा में डजिटलीकरण : भारत सरकार की डजिटल इं डया पहल के अनुरूप एवं पारद र्शता बढ़ाने, कम्पनी के प्रचालन की दक्षता में सुधार करने के लये पछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख पहल लागू की गई हैं, जिनमें कुछ नाम हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं, ई.आर.पी. एवं कारखाने के लये ई-प्रोक्योरमेंट शा मल है। कम्पनी अपने अंशधारकों के साथ अपना वा र्षक प्रतिवेदन, साधारण सभा एवं वेबसाइट द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद करती है, जिसे नेपा की आ धकारिक वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर देखा जा सकता है। जानकारी एवं नवीनतम अपडेट एवं कम्पनी द्वारा की गई घोषणायें कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर देखी जा सकती हैं, जिसमें कम्पनी पार्श्विका/नेपा का संगठनात्मक इतिहास, संकल्पना एवं लक्ष्य, वा र्षक प्रतिवेदन, प्रबंधन के संदेश, नवीनतम नि वदायें, फोटो गैलेरी, संयंत्र इत्यादि शा मल हैं।

व डयो कॉन्फ्रें संग : व डयो कॉन्फ्रें संग का उपयोग नेपा में दिन-प्रतिदिन के कामकाज, गति व धयों की निगरानी, संयंत्र/वभागों के निष्पादन की समीक्षा, मण्डल बैठकें आयोजित करने, कर्मचारियों को प्र शक्षण आदि के लये कया जाता है। व डयो कॉन्फ्रें संग उत्पादकता बढ़ाने, समय बचाने, यात्रा व्यय को कम करने में महत्वपूर्ण कारक रही है।

54. आर.टी.आई. अ धनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपके संस्थान में सूचना का अ धकार अ धनियम, 2005 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कया जाता है। आरटीआई अ धनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एक केन्द्रीय लोक सूचना अ धकारी (सी.पी.आई.ओ.) एवं प्रथम अपीलीय प्रा धकारी (एफ.ए.ए.) को ना मत कया गया है। वांछित जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती है।

55. प्र शक्षण एवं वकास

आज का व्यावसायिक परिवेश बेहद अप्रत्या शत है। इस परिवेश में फलने-फूलने के लये निरंतर प्र शक्षण एवं वकास से कर्मचारियों को कसी भी उद्योग में व भन्न भू मकाओं एवं जिम्मेदारियों में बदलाव में सहायता मलती है। मानव संसाधन वकास के भाग के रूप में कम्पनी ने सदैव व भन्न स्तरों पर निरंतर प्र शक्षण एवं वकास की संस्कृति को बढ़ावा दिया है एवं कम्पनी के मानव संसाधन पेशेवरों ने ऐसे कार्यस्थलों को आकार दिया है, जो व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लये सशक्त बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्थान एवं संगठनात्मक समृद् ध दोनों होती है। वत्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल को निखारने के लये व भन्न ऑनलाइन/ऑफलाइन प्र शक्षण प्रदान कये गये। कम्पनी बदलते व्यावसायिक परिवेश एवं आवश्यकतानुसार वर्ष भर कर्मचारियों को बाहरी प्र शक्षण के लये भी नामां कत करती है।

कर्मचारियों को उनके कार्य के संबं धत क्षेत्रों में संगोष्ठी एवं सम्मेलनों में भाग लेने के अवसर भी दिये जाते हैं। दिन-प्रतिदिन के प्र शक्षणों के अतिरिक्त, कम्पनी ने ज्ञान साझाकरण सत्र भी आयोजित कये हैं, जिसमें सभी इकाइयों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लया। ये सत्र सामूहिक ज्ञान को बढ़ाते है तथा कर्मचारी बहुमूल्य जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं एवं बेहतर उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं।

56. आभार

भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सतत सहायता के लये मण्डल ह्रदय से आभार व्यक्त करता है। पी.एस.यू. के पूरे स्पेक्ट्रम में से, आपकी कम्पनी एकमात्र है जिसे पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत कया गया है। निदेशक मण्डल इस समर्थन के लये आभारी है। निदेशकगण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं स चवीय अंकेक्षकों को भी उनके मूल्यवान सुझावों और मार्गदर्शन के लये आभार व्यक्त करते है। निदेशकगण ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, एवं बैंकर्स का भी उनके द्वारा प्रदत्त लगातार संरक्षण एवं सहायता के लये आभार ज्ञा पत करते हैं। मण्डल अपने अंशधारियों का भी धन्यवाद ज्ञा पत करता है, जिन्होंने पछले कई वर्षों से आज तक कोई लाभ न मलने के बावजूद अपना धैर्य बनाये रखा। उनकी सहायता ने कम्पनी को अपने कठिनाई भरे वर्षों में अपरि मत शक्ति प्रदान की।

निदेशक मण्डल कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर कम्पनी के प्रचालन के सुगम संचालन और आधुनिकीकरण परियोजना के लये उनके गम्भीर प्रयासों और योगदानों के लये सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की सराहना करता है जो कम्पनी के आधुनिकीकरण परियोजना में योगदान दे रही हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लये

हस्ता./-

राकेश कुमार चोखानी

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(अतिरिक्त प्रभार)

डी.आई.एन. : 10590173

दिनांक : 07.08.2024

स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

दिनांक 31.03.2024 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों/अ.प.व. इत्यादि के संबंध में रोजगार की स्थिति

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	%	अनुसूचित जनजाति की संख्या	%	अन्य पछड़े वर्ग की संख्या	%
ए.	42	3	7.14	0	0.00	12	**28.57**
बी.	104	7	6.73	3	2.88	14	**13.46**
सी.	-	-	-	-	-	-	**-**
डी.	**5**	**5**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**

2. भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	वकलांग भूतपूर्व सैनिक	%	युध्द में मारे गये भूतपूर्व सैनिक के आश्रित	%	अन्य भूतपूर्व सैनिक	%
ए.	42	-	-	-	-	-	-
बी.	104	-	-	-	-	-	**-**
सी.	-	-	-	-	-	-	**-**
डी.	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. शारीरिक वकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	शारीरिक वकलांग की संख्या	शारीरिक वकलांगों की श्रेणी
ए.	42	0	**-**
बी.	104	0	**-**
सी. एवं डी.	**5**	**0**	**-**

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

दिनांक 31.03.2024 को महिला कर्मचारियों का प्रतिनि धत्व

	वेतनमान (रुपये)	कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	%
ए.	अ धकारी			
	22500-27300	0	0	**0**
	20500-25000	0	0	**0**
	18500-23900	3	0	**0**
	17500-22300	1	0	**0**
	16000-20800	2	0	**0**
	14500-18700	11	0	**0**
	13000-18250	13	1	**7.69**
	10750-16750	11	0	**0**
	8600-14600	1	0	**0**
	6550-11350	14	2	**14.29**
योग ए		**56**	**3**	**5.36**
बी.	नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवायजर्स			
	6000-9040	21	2	**9.52**
योग बी		**22**	**2**	**9.52**
सी.	कर्मचारी			
	5900-8845	11	0	**0**
	5800-8760	27	1	**3.70**
	5650-8680	36	2	**5.56**
	5350-8350	0	0	**0**
	5250-8060	0	0	**0**
	4850-7600	0	0	**0**
	4650-7200	0	0	**0**
	4450-6800	0	0	**0**
	4300-6450	0	0	**0**
	4200-6150	0	0	**0**
योग सी		**74**	**3**	**4.05**
कुल योग (ए+बी+सी)		**151**	**08**	**5.30**

अनुलग्नक-III

प्रपत्र ए

(ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में ववरणों के खुलासे के लये प्रपत्र)

क्र.	ववरण	इकाई	2023-24	2022-23
I	अखबारी तथा लेखन एवं मुद्रण कागज			
	वद्युत और ईंधन का उपभोग			
	1. वद्युत			
	(ए) क्रय की गई इकाई (म.प्र. व.म. ग्रड)	के.डब्ल्यू.एच.	9835450	8657250
	कुल रा श	रुपये लाख	900.98	953.16
	लागत/इकाई	रुपये	10.91	11.01
	(बी) निजी उत्पादन इकाई			
	(i) पावर हाउस	के.डब्ल्यू.एच.	30135100	11765400
	(ii) डी.जी. सेट	के.डब्ल्यू.एच.	1360	350
	(सी) कुल इकाई (ए + बी)		39971910	20423000
	2. पावर हाउस में प्रयुक्त कोयला			
	मात्रा	मी.टन	49929.40	19573.87
	कुल लागत	रुपये लाख	58.78	58.78
	औसत दर	रुपये/मी.टन	4882	4882
	3. ईंधन तेल : डीजल			
	मात्रा	क.ली.	2.05	1.65
	कुल रा श	रुपये लाख	99750	99750
	औसत दर	रुपये/क.ली.	95000	95000
	4. अन्य/आंतरिक उत्पादन		निरंक	निरंक
	उत्पादन की प्रति इकाई खपत			
	अखबारी कागज उत्पादन	मी.टन	21607	6526
	लेखन एवं मुद्रण कागज उत्पादन	मी.टन	1749	6526
	बिजली (निजी उत्पादन)	के.डब्ल्यू.एच./टन	1290.58	1802.85
	कागज को कोयला प्रति टन	(कलोग्राम/टन)	2.13	3.126
	ईंधन तेल	(लीटर/टन)	निरंक	निरंक

(प्रौद्यो गकी आत्मसातीकरण के संदर्भ में ववरणों के खुलासे के लये प्रपत्र)

(ए) अनुसंधान एवं वकास (आर. एण्ड डी.) गति व धयाँ

	1. व शष्ठ क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान व वकास कये गये।	(ए) उच्च चमक वाले कागज के निर्माण के लये कम रसायनों एवं आधुनिक ड-इं कंग सेल के साथ अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना।
	2. उपरोक्त अनुसंधान एवं वकास के परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ।	(ए) लागत दक्षता, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्यो गकी में सुधार के लये रिसाइ कल आधारित कच्चे माल का उपयोग। (बी) सो डयम हाइड्रो सल्फाइट एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर मौ लक क्लोरीन मुक्त वरंजन।
	3. भावी कार्य योजना	(ए) आर.एम.डी.पी. के पश्चात, तैयार कागज उत्पादों (लेखन एवं मुद्रण तथा अखबारी कागज) के वांछित गुणों को प्राप्त करने एवं उत्पादों की सर्वोत्तम गुणवत्ता को प्राप्त करने के लये, उन्नत एवं नये स्था पत ड-इं कंग प्लांट एवं पुनर्नि र्मत पेपर मशीन में रसायनों के प्रभावी तथा आ र्थक उपयोग के लये कच्चे माल और रसायनों के व भन्न संयोजनों का परीक्षण। (बी) ई.टी. प्लांट में शून्य तरल निर्वहन को पूर्ण करने में सहायता करना।
	4. अनुसंधान व वकास का व्यय	(ए) पूँजी - 32.00 लाख (बी) आवर्ती - निरंक (सी) कुल - 32.00 लाख
(बी)	प्रौद्यो गकी आत्मसातीकरण, अनुकुलन एवं नवीनीकरण	मल आर.एम.डी.पी. के तहत बेहतर अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण श्रेणी कागज का उत्पादन करेगी। इस प्रकार, उत्पादकता के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप होगी।
(सी)	वदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन	निर्यात संबं धत गति व धयाँ, निर्यात बढ़ाने संबंधी की जाने वाली पहल, उत्पाद तथा सेवा कार्य और निर्यात योजना के लये नये निर्यात बाजारों का वकास (ए) कम्पनी ने भारत सरकार के ई.पी.सी.जी. (एक्सपोर्ट प्रमोशन कै पटल गुड्स) योजना के तहत संयंत्र और मशीनरी का आयात कया है, जिन्होंने छह गुना निर्यात दायित्व के वरुध्द रुपये 26 करोड़ के ई.पी.सी.जी. अनुज्ञा पर ऋणी की है। निर्यात दायित्व के अनुपालन में, आरएमडीपी के पश्चात तैयार कागज का उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात निर्यात कया जाएगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी निर्यात के रूप में अपनी भ वष्य के वक्रय (आर.एम.डी.पी. के पश्चात) का अनुमान लगा रही है, क्यों क यह अपने उत्पाद को लेखन एवं मुद्रण श्रेणी में व वधता प्रदान कर रही है।
(डी)	कुल वदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन	(i) अर्जन - निरंक (ii) उपयोग (ओ.आई.एन. की अ धप्राप्ति) - निरंक

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लये

	हस्ता./-	हस्ता./-
दिनांक : 07.08.2024	राकेश कुमार चोखानी	प्रदीप कुमार नाईक
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वत्त)
	(अतिरिक्त प्रभार)	(अतिरिक्त प्रभार)
	डी.आई.एन. : 10590173	डी.आई.एन. : 08676709

अनुलग्नक-**IV**

निग मत शासन

निग मत शासन कम्पनी को इस प्रकार से शा सत करने के लये प्रणाली अथवा उपायों को अंतर्निहित करता है, ता क, निदेशक मण्डल की अंशधारियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रति अ धक जवाबदारी सुनिश्चित हो सके। यह निदेशक मण्डल, अंशधारियों के प्रति संस्था पत निदेशकों की जवाबदेही पूँजी निवेशकों तथा पक्षधर समूहों के लये मार्गद र्शका को और अ धक प्रभावी बनाने की शुरुआत एवं कार्य निष्पादन की नवीन गुणवत्ता, मण्डल एवं अ धशाषी अ धकारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध बनाने की भू मका को परिभा षत करता है। आपकी कम्पनी निग मत शासन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रणाली को अपनाने के लये वचनबध्द है। कम्पनी के कार्यों में स्पष्ट की गई निग मत शासन की अपने सम्पूर्ण अंशधारियों के मूल्य और हितों को प्राप्त करने की है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लये सार्वजनिक उपक्रम वभाग द्वारा लागू की गई निग मत शासन की निर्दे शका को वक सत एवं अपना लया है। मण्डल ने यह सुनिश्चित कया है क कम्पनी के पास आवश्यक नियामक साधन हो ता क वत्तीय स्थिति, कार्य निष्पादन, स्वा मत्व एवं कम्पनी की शासन से संबं धत सूचनायें समय एवं यथार्थता के साथ प्रकट की जा सके।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लये निग मत शासन पर आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार निग मत शासन पर प्रतिवेदन नीचे दिया गया है :-

1. कम्पनी की दार्शनिक प्रणाली

   निग मत शासन पर नेपा ल मटेड की दार्शनिक प्रणाली, इसके समस्त संचालन में पारद र्शता, ईमानदारी एवं सुनीति के उच्चतम स्तर प्राप्त करने का प्रयास है। कम्पनी को वश्वास है क अनुकूल निग मत शासन दीर्घाव ध निग मत लक्ष्य और ग्राहकों का प्रति मूल्य पाने के लये आवश्यक है। कम्पनी का व्यावसायिक लक्ष्य उत्पादन एवं इसके उत्पाद का वपणन इस प्रकार करना है ता क प्रभावोत्पादकता का सृजन हो जिससे अंशधारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार एवं ऋणदाता सहित स्टेकहोल्डरों पर दीर्घाव ध प्रभाव कायम रखा जा सके।

2. निदेशक मण्डल

   (i) निदेशकों का संयोजन एवं संवर्ग

   मण्डल का आकार

   नेपा ल मटेड धारा 2 (45) एवं कम्पनी अ धनियम, 2013 के अंतर्गत एक सरकारी कम्पनी है। कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसो सएशन के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अ धकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, नेपा ल मटेड के समस्त निदेशकगण भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कये जाते हैं।

   कम्पनी के अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होंगी।

3. मण्डल का संयोजन

   दिनांक 31.03.2024 को नेपा ल मटेड के निदेशक मण्डल में 5 निदेशक सम्मि लत हैं, उनमें से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित 2 पूर्णका लक निदेशक हैं, एक पूर्णका लक निदेशक-निदेशक (वत्त) एवं दो (2) सरकार द्वारा ना मत निदेशक (एक भारत सरकार द्वारा ना मत एवं दूसरे मध्यप्रदेश शासन द्वारा ना मत) एवं एक स्वतंत्र निदेशक है।

   मण्डल की बैठकें

   वर्ष 2023-24 के दौरान, मण्डल ने 4, दिनांक 20.04.2023, 28.08.2023, 16.10.2023 एवं 09.02.2024 को बैठकें आयोजित की।

वर्ष 2023-24 के लये निदेशक मंडल की बैठक एवं वा र्षक साधारण सभा में निदेशकों की उपस्थिति का ववरण निम्नानुसार है :-

निदेशकगणों का नाम	श्रेणी	मण्डल बैठक आयोजित	मण्डल की बैठक में सहभा गता का अ धकार	मण्डल बैठक में सहभा गता	पछली ए.जी.एम. में उपस्थिति
कमोडोर सौरभ देब	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	4	4	4	हाँ
श्री राकेश कुमार चोखानी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	4	0	0	लागू नहीं
डॉ. रेणुका मश्रा	अंशका लक कार्यालीन निदेशक	4	0	0	लागू नहीं
सुश्री मुक्ता शेखर	अंशका लक कार्यालीन निदेशक	4	4	4	
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त)	4	4	4	हाँ
श्री अतुल कुमार मश्रा	अंशका लक कार्यालीन निदेशक	4	4	4	नहीं
श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक	4	3	3	हाँ

अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में उनके निदेशक एवं अध्यक्ष/मण्डल स मतियों की सदस्यता का ववरण, जिसमें वे दिनांक 31.03.2024 को निदेशक हैं, स्थिति दर्शाने वाला ववरण निम्नानुसार है :-

क्र.	निदेशकगणों का नाम	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशकत्व	स मति के पदों पर कायम	
1.	[1]कमोडोर सौरभ देब	निरंक	-	-
2.	[2]श्री राकेश कुमार चोखानी	निरंक	-	-
3.	[3]डॉ. रेणुका मश्रा	1. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सी.सी.आई.एल.) 2. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स & इन्स्ट्रूमेंट्स ल मटेड (आर.ई.आई.एल.) 3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) ल मटेड	-	-
4.	[4]सुश्री मुक्ता शेखर	1. एच.एम.टी. मशीन टूल्स ल मटेड 2. एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) ल मटेड 3. एच.एम.टी. ल मटेड 4. एच.एम.टी. वाचेस ल मटेड 5. ब्रिज & रूफ कम्पनी (इं डया) ल मटेड 6. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 7. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स & इन्स्ट्रूमेंट्स ल मटेड 8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) ल मटेड	-	-
5.	[5]श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	निरंक	-	-
6.	[6]श्री अतुल कुमार मश्रा	मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम ल मटेड		
7.	[7]श्री पी.के. नाईक	वर्तमान में ए.जी.एम. (वत्त) बी.एच.ई.एल., भोपाल के रूप में पदना मत	-	-

[1]कमोडोर सौरभ देब ने नेपा ल मटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया एवं उनका कार्यकाल दिनांक 26.03.2024 को समाप्त हो गया।

[2]श्री राकेश कुमार चोखानी नेपा ल मटेड में दिनांक 26.03.2024 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कये गये।

[3]डॉ. रेणुका मश्रा नेपा ल मटेड में दिनांक 12.04.2023 से अंशका लक कार्यालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।

[4]सुश्री मुक्ता शेखर नेपा ल मटेड में दिनांक 12.04.2023 से को अंशकालीक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त की गई।

[5]श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े नेपा ल मटेड में दिनांक 05.06.2023 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कये गये।

[6]श्री अतुल कुमार मश्रा नेपा ल मटेड में दिनांक 03.03.2023 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त कये गये एवं दिनाक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।

[7]श्री पी.के. नाईक को दिनांक 02.05.2019 से निदेशक वत्त (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त कया गया है, जिसमें दिनांक 02.05.2023 से और एक वर्ष का वस्तार कया गया है।

4. निदेशक मण्डल की स मतियाँ

मण्डल ने मण्डल की निम्न ल खत स मति का गठन कया है :-

1. अंकेक्षण स मति
2. स्टेकहोल्डर्स संबंध स मति
3. नामांकन एवं पारिश्र मक स मति

अंकेक्षण स मति संयोजन

परिच्छेद 292ए के अनुसरण में, कम्पनी ने दिनांक 18.08.2003 से अपने निदेशक मण्डल में से अंकेक्षण स मति का गठन कया है। अंकेक्षण स मति का समय-समय पर पुनर्गठन कया जाता है, ता क निग मत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों को सम्मि लत कया जा सके। अंकेक्षण स मति कम्पनी के लेखा, अंकेक्षण एवं प्रतिवेदित व्यवहारों की गुणवत्ता तथा प्रामा णकता की निगरानी के लये और वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के साथ इनके अनुपालन के लये मण्डल की जवाबदारी में सहायता करती है। स मति का उद्देश्य कम्पनी की लेखा एवं वत्तीय प्रतिवेदनों की प्र क्रया, कम्पनी के अंकेक्षण, वत्तीय ववरणों, स्वतंत्रता, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन एवं पारिश्र मक, आंतरिक अंकेक्षकों का कार्यनिष्पादन, कम्पनी की जो खम प्रबंधन नीतियों इत्यादि की देखरेख करना है।

अंकेक्षण स मति की संरचना एवं सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या निम्नानुसार है :-

1.	श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	अध्यक्ष
2.	सुश्री मुक्ता शेखर	सदस्य
3.	श्री अतुल कुमार मश्रा	सदस्य
4.	श्री पी.के. नाईक	सदस्य

1. सुश्री मुक्ता शेखर, दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक सदस्य के रूप में
2. श्री अतुल कुमार मश्रा, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में (दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक अध्यक्ष के रूप में)
3. श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े, दिनांक 28.08.2023 से अध्यक्ष के रूप में
4. श्री पी.के. नाईक, दिनांक 25.09.2020 से सदस्य के रूप में

वर्ष 2023-24 के दौरान, मण्डल ने 4, दिनांक 20.04.2023, 28.08.2023, 16.10.2023 एवं 09.02.2024 को बैठकें आयोजित की। सदस्यों की उपस्थिति का ववरण निम्नानुसार हैं :-

निदेशक का नाम	श्रेणी	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में सहभा गता का अ धकार	बैठकों में भागीदारी की संख्या
श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)	4	2	2
सुश्री मुक्ता शेखर	ना मत निदेशक (सदस्य)	4	2	2
श्री अतुल कुमार मश्रा	ना मत निदेशक (सदस्य)	4	4	4
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त) (सदस्य)	4	4	4

स्टेकहोल्डर्स संबंध स मति

स्टेकहोल्डर्स संबंध स मति अंशों के हस्तांतरण एवं पंजीयन के संबंध में अंश हस्तांतरण,पारगमन, अवास्त वक अंश प्रमाण पत्रों के निर्गमन, वभाजन एवं समेकन अनुरोध तथा अन्य मामलों के अनुमोदन का व्यवहार करती है।

स्टेकहोल्डर्स संबंध स मति का संयोजन निम्नानुसार है :-

1.	श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	अध्यक्ष
2.	कमोडोर सौरभ देब	सदस्य
3.	सुश्री मुक्ता शेखर	सदस्य
4.	श्री अतुल कुमार मश्रा	सदस्य
5.	श्री पी.के. नाईक	सदस्य

1. कमोडोर सौरभ देब, दिनांक 08.09.2021 से सदस्य के रूप में
2. सुश्री मुक्ता शेखर, दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक सदस्य के रूप में
3. श्री अतुल कुमार मश्रा, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में (दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक अध्यक्ष के रूप में)
4. श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े, दिनांक 28.08.2023 से अध्यक्ष के रूप में
5. श्री पी.के. नाईक, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में

वत्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

नामांकन एवं पारिश्र मक स मति

नामांकन एवं पारिश्र मक स मति, जिसमें कम्पनी के गैर-अ धशासी निदेशकगण सम्मि लत है। स मति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :-

1.	श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	अध्यक्ष
2.	सुश्री मुक्ता शेखर	सदस्य
3.	श्री अतुल कुमार मश्रा	सदस्य
4.	श्री पी.के. नाईक	सदस्य

1. सुश्री मुक्ता शेखर, दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक सदस्य के रूप में
2. श्री अतुल कुमार मश्रा, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में (दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक अध्यक्ष के रूप में)
3. श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े, दिनांक 28.08.2023 से अध्यक्ष के रूप में
4. श्री पी.के. नाईक, दिनांक 25.09.2020 से सदस्य के रूप में

वत्त वर्ष 2023-24 के दौरान दो बैठकें दिनांक 28.08.2023 एवं 16.10.2023 को आयोजित की गई है। सदस्यों की उपस्थिति का ववरण निम्नानुसार हैं :-

निदेशक का नाम	श्रेणी	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में सहभा गता का अ धकार	बैठकों में भागीदारी की संख्या
श्री म लंद शरदचन्द्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)	2	1	1
सुश्री मुक्ता शेखर	ना मत निदेशक (सदस्य)	2	1	1
श्री अतुल कुमार मश्रा	ना मत निदेशक (सदस्य)	2	2	2
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वत्त) (सदस्य)	2	2	2

5. साधारण सभा की बैठक

वर्ष	दिनांक	समय	अवस्थिति	वशेष संकल्प पारित
2019-20	30.12.2020	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	हाँ
2020-21	30.12.2021 तक बढ़ाई गई सभा का आयोजन 14.03.2022 को कया गया	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	नहीं
2021-22	21.12.2022	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	हाँ
2022-23	24.11.2023	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	नहीं

पछले तीन वर्षों में वा र्षक साधारण सभा में पारित वशेष संकल्प का ववरण

वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान	वशेष संकल्प पारित
2019-20	30.12.2020 अपराह्न 4.00 बजे	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	1. नये खण्ड को प्रतिस्था पत करके कम्पनी के संघ के ज्ञापन के अनुच्छेद 4 को हटाना 2. नये खण्ड को प्रतिस्था पत करके कम्पनी के संघ के ज्ञापन के अनुच्छेद V को हटाना
2020-21	30.12.2021, अपराह्न 4.00 बजे तक बढ़ाई गई सभा का आयोजन 14.03.2022, अपराह्न 4.00 बजे कया गया	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	लागू नहीं
2021-22	21.12.2022 अपराह्न 4.00 बजे	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर – 450221 (म.प्र.)	1. कम्पनी के संघ के ज्ञापन के नये खण्ड को अपनाना 2. साम्य अंशों का निर्गमन एवं आवंटन

वत्तीय वर्ष 2023-24 के लये वा र्षक साधारण सभा :

दिनांक एवं दिवस	शनिवार, 26.10.2024
माध्यम	ऑनलाइन माध्यम
समय	अपराह्न 5:00 बजे
स्थान	नेपा ल मटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर 450221 (म.प्र.)

6. प्रकटन

(i) वत्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकारी निदेशकों का पारिश्र मक का भुगतान का ववरण निम्नानुसार है :-

(रा श रुपये में)

क्रमांक	ववरण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कमोडोर सौरभ देब
ए.	वेतन एवं भत्ते	**36,43,506**
बी.	पी.एफ. में अंशदान	**2,11,158**
सी.	अन्य हितलाभ	**-**
	योग	**38,54,664**

अंशकालीक गैर-आ धकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

अंशका लक गैर-आ धकारिक निदेशकों के पास कोई आ र्थक माल संबंधी अथवा कम्पनी तथा इसके प्रबंधन के साथ कोई व्यवहार नहीं है। उन्होंने अ धवेशन फीस के अलावा कोई पारिश्र मक/कमेशन प्राप्त नहीं कया है।

वत्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल अ धवेशन फीस का भुगतान रुपये 19,000/- है।

(ii) पार्टी के व्यवहार से संबं धत कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य, जिसका बड़े पैमाने पर कम्पनी के हित में कोई सम्भा वत वरोध हो, का खुलासा :

वत्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी में ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है।

(iii) वगत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अपालन, शास्ति, सरकार द्वारा जारी कोई दिशा-निर्देशों से संबं धत कसी वषय पर कोई वैधानिक प्रा धकारी द्वारा कम्पनी पर आक्षेप लगाना इत्यादि का ववरण :

ई.पी.एफ.ओ. की ओर से दिनांक 26.10.2021 को पी.एफ. चालान की देरी से जमा रा श पर शास्ति एवं ब्याज की वसूली के लये कुर्की आदेश प्राप्त हुआ था।

(iv) व्हिसील ब्लोवर नीति और अ भपुष्टि ऐसी हो क कोई भी का र्मक अंकेक्षण स मति में सम्मि लत होने के लये मना नहीं करें :

वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई शकायत प्राप्त नहीं हुई और कसी भी व्यक्ति को अंकेक्षण स मति तक पहुंच से वं चत नहीं कया गया

7. संसूचना का साधन

कम्पनी ने अपने अंशधारियों को वा र्षक प्रतिवेदन, साधारण सभा और वेबसाइट द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से सू चत कया है। कम्पनी के संबंध में सूचना एवं नवीनतम अद्यतन जानकारी के लये कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर सम्पर्क साध सकते हैं।

8. आचार संहिता

सार्वजनिक उपक्रम वभाग (डी.पी.ई.) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लये जारी निग मत शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में नेपा ल मटेड के वरिष्ठ प्रबंधन का र्मकों एवं मण्डल के सदस्यों के लये व्यापार आचरण एवं नैतिक संहिता नि र्मत कर दिनांक 06.08.2013 से प्रभावी की जा चुकी है। इस संहिता को अ धकारियों के लये आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के साथ संयोजन कर पढ़ा जाये। इस संहिता का प्रयोजन कम्पनी के मामलों के प्रबंध में पारदर्शी प्र क्रया और नैतिक प्रवृ त्त को बढ़ावा देना है। यह आचार संहिता निम्न ल खत पर लागू है :

(ए) समस्त पूर्णका लक निदेशकगण

(बी) व ध के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकगण के साथ समस्त अंशका लक निदेशकगण एवं

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन (वभागाध्यक्ष)

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लये

	हस्ता./-	हस्ता./-
दिनांक : 07.08.2024	राकेश कुमार चोखानी	प्रदीप कुमार नाईक
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वत्त)
	(अतिरिक्त प्रभार)	(अतिरिक्त प्रभार)
	डी.आई.एन. : 10590173	डी.आई.एन. : 08676709

आई.जी. & एसो शएट्स
कम्पनी स चव
कार्यालय : 608-ए, दि वन, 5, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर-452 001 (म.प्र.)
ई-मेल : **igassociatescs@gmail.com** मोबाईल : 09009403008

ईशा गर्ग
बी.एस.सी. एफ.सी.एस., एम.बी.ए.

निग मत शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा ल मटेड,
नेपानगर (म.प्र.)

मैंने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लये नेपा ल मटेड (सी.आई.एन.: U21012MP1947GOI000636) (कम्पनी) द्वारा भारत सरकार (डी.पी.ई. दिशा-निर्देश), सार्वजनिक उपक्रम वभाग (डी.पी.ई.) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.) के लये निग मत शासन पर जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट निग मत शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण कया :-

1. निग मत शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरा परीक्षण निग मत शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लये कम्पनी द्वारा अपनायी गयी कार्यप्रणाली एवं क्रयान्वयन की समीक्षा तक सी मत हो गया है। यह कम्पनी के वत्तीय ववरण पर न तो अंकेक्षण है और न ही वचारों की अ भव्यक्ति है। यह डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी कया गया सी मत उद्देश्य प्रमाण पत्र है।

2. मेरे मतानुसार एवं मेरी अ धकतम जानकारी और मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार मेरी टिप्पणी की शर्त के अनुसार मैं प्रमा णत करता हूँ क दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वत्तीय वर्ष के दौरान निम्न ल खत के संबंध में प्रावधान को छोड़कर कम्पनी ने डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट निग मत शासन की लागू शर्तों का अनुपालन कया है :-

   (i) निदेशक मण्डल का संयोजन।
   (ii) अंकेक्षण स मति का संयोजन।
   (iii) नामांकन एवं पारिश्र मक स मति का संयोजन।
   (iv) अंकेक्षण स मति की बैठकों की कार्यसाधक संख्या।
   (v) वत्तीय वर्ष 2023-2024 में दो मण्डल बैठकों के बीच 3 महीने से अ धक का अंतर है।
   (vi) तिमाही परिणामों की तैयारी एवं प्रकाशन

3. मैं आगे सू चत करता हूँ क ऐसा अनुपालन न तो आश्वासन है, जहाँ तक कम्पनी की भ वष्य की जीवनक्षमता का संबंध है, न ही क्षमता अथवा प्रभावकारिता, जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी में मामलें संचा लत कये हैं।

कृते आई.जी एण्ड एसो शएट्स
कम्पनी स चव
एफ.आर. क्र. : **I2013MP1054000**
हस्ता./-
(ईशा गर्ग)
(**ÁWÁkbZVj**)
एम.क्र. : एफ.सी.एस. 9955 सी.ओ.पी. क्र. : 12184
सहकर्मी समीक्षा क्र. : 914/2020
यू.डी.आई.एन. : **F009955E001064351**

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 31.08.2024

आई.जी. **&** एसो शएट्स
कम्पनी स चव
कार्यालय : 608-ए, दि वन, 5, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर-452 001 (म.प्र.)
ई-मेल : **igassociatescs@gmail.com** मोबाईल : 09009403008

ईशा गर्ग
बी.एस.सी. एफ.सी.एस., एम.बी.ए.

प्रपत्र क्र. एम.आर.-3

स चवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 31.03.20**24** को समाप्त वत्तीय वर्ष के लये

[कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय का र्मक की नियुक्ति एवं पारिश्र मक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स नेपा ल मटेड,
पंजीकृत कार्यालय : नेपानगर,
जिला बुरहानपुर - 450 221 (म.प्र.)
सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

मैं, मेसर्स नेपा ल मटेड (इसके आगे कम्पनी कहा गया) सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636 द्वारा कुशल निग मत अभ्यास के अनुपालन हेतु अनुकूल सां व धक प्रावधान की सम्मति से स चवीय अंकेक्षण संचा लत कर चुका हूँ। स चवीय अंकेक्षण इस रुप में संचा लत कया गया था क मुझे निग मत, व्यवहार/ सां व धक समाप्ति और मेरे अ भमत की अ भव्यक्ति के लये उ चत आधार प्रदान कया जाये।

कम्पनी द्वारा रखी गई कम्पनी की पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र एवं दायर ववर णयाँ तथा अन्य दस्तावेज़ और कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना की मेरी पुष्टि पर आधारित, इनके अ धकारी, एजेंट्स और प्रमा णत प्रतिनि ध स चवीय अंकेक्षण आयोजित करने के दौरान मेरा/हमारा इस प्रकार प्रतिवेदन है क हमारे अ भमत में, कम्पनी के पास, अंकेक्षण समय दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वत्तीय वर्ष के दौरान यहाँ नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कया गया है एवं कम्पनी के पास पर्याप्त मण्डल प्र क्रयायें एवं अनुपालन तंत्र स्था पत हो; इसके पश्चात कये गये प्रतिवेदन की सीमा तक, तरीके से एवं उसके अधीन बना है।

हम दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वत्तीय वर्ष के लये कम्पनी द्वारा रखी गई पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र एवं दायर ववर णयाँ और अन्य की निम्न ल खत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर चुके हैं :-

(i) कम्पनी अ धनियम, 2013 (अ धनियम) और इसके तहत बने नियम, संशोधनों छूटों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जावे, के अंतर्गत;

(ii) सुरक्षा ठेका (वनियम) अ धनियम, 1956 (एस.सी.आर.ए.) और इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत; कम्पनी अंकेक्षण अव ध के दौरान एक असूचीबद्ध कम्पनी रही है।

(iii) जमाकर्त्ता अ धनियम, 1996 एवं वनियम और इसके तहत बनाये गये बायलॉज के अंतर्गत;

(iv) वदेशी वनिमय प्रबंधन अ धनियम, 1999 और वदेश प्रत्यक्ष निवेश, स्वदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वा णज्यिक ऋणी की सीमा के अंतर्गत नियम एवं वनियम बनाये गये; कम्पनी पर लागू नहीं है क्यों क समीक्षाधीन वत्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रतिवेदन करने योग्य प्रसंग नहीं था।

(v) सुरक्षा एवं भारतीय वनिमय मण्डल अ धनियम, 1992 (एस.ई.बी.आई. अ धनियम) के अंतर्गत वनियम और नियत निर्देश निम्न ल खत है :-

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (अंशों और कब्जा का वास्त वक ऽपार्जन) वनियम, 2011, समय-समय पर यथा संशो धत। लागू नहीं

(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (अंत: व्यापार का प्रतिबंध) वनियम, 2015, समय-समय पर यथा संशो धत। लागू नहीं

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (पूँजी और आवश्यक खुलासे का निर्गमन) वनियम, 2018, समय-समय पर यथा संशो धत। लागू नहीं

(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (अंश आधारित कर्मचारी हितलाभ एवं स्वीट साम्य) वनियम, 2021. लागू नहीं

(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (सुरक्षा देय का निर्गमन एवं सूचीबध्दता) वनियम, 2021. लागू नहीं

(एफ) कम्पनी अ धनियम एवं ऽपभोक्ता के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (निर्गमन एवं अंश हस्तांतरण एजेंटों के पंजीयक) वनियम, 1993. लागू नहीं

(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (साम्य अंशों की असूचीबध्दता) वनियम, 2021, समय-समय पर यथा संशो धत। लागू नहीं

(एच) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) वनियम, 2018. लागू नहीं

(आई) भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय मण्डल (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) वनियम, 2021. लागू नहीं

(vi) कम्पनी पर वशेष रूप से लागू अन्य कानून

(ए) कारखाना अ धनियम, 1948;

(बी) ठेका श्र मक (वनियम एवं ऽन्मूलन) अ धनियम;

(सी) बाल श्र मक (वर्जन एवं वनियम) अ धनियम, 1986;

(डी) प्र शक्षु अ धनियम;

(ई) पर्यावरण संरक्षण अ धनियम, 1986;

(एफ) घातक दुर्घटना अ धनियम;

(जी) औद्यो गक ववाद अ धनियम;

(एच) औद्यो गक रोजगार स्थायी आदेश अ धनियम;

(आई) श्र मक संघ अ धनियम;

(जे) जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अ धनियम, 1974;

कम्पनी ने वशेष रूप से कम्पनी पर लागू कानूनों के अनुपालन की पुष्टि की है।

मैं निम्न ल खत लागू धारा के अनुरुप की भी जाँच कर चुका हूँ :-

(i) भारत के कम्पनी स चवीय के संस्थान द्वारा जारी स चवीय मानदंड।

(ii) यदि लागू हो, तो कम्पनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कये गये सूची समझौते लागू नहीं।

समीक्षाधीन अव ध के दौरान कम्पनी ने निम्न ल खत टिप्प णयों के अधीन उपर दर्शाये अ धनियम, नियमों, वनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन कया है :-

1. वत्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल में कार्यात्मक, नामां कत एवं स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है।

2. कम्पनी ने अंकेक्षण स मति का गठन कया है तथा सार्वजनिक उद्यम वभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8) 2005-जी.एम. दिनांक 14.05.2010 के तहत एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लये निग मत शासन (दिशा-निर्देश) पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कया है, कन्तु स मति की संरचना कम्पनी अ धनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार इष्टतम नहीं है, इस लये अंकेक्षण स मति की कार्यसाधक संख्या उ चत नहीं है।

3. कम्पनी ने नामांकन एवं पारिश्र मक स मति का गठन कया है तथा सार्वजनिक उद्यम वभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8) 2005-जी.एम. दिनांक 14.05.2010 के तहत एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लये निग मत शासन (दिशा-निर्देश) पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कया है, कन्तु स मति की संरचना कम्पनी अ धनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार इष्टतम नहीं है, इस लये नामांकन एवं पारिश्र मक स मति की कार्यसाधक संख्या उ चत नहीं है।

4. वत्तीय वर्ष 2023-2024 में दो मण्डल बैठकों के मध्य का अंतर तीन माह से अ धक है, जैसा क सार्वजनिक उद्यम वभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8) 2005-जी.एम. दिनांक 14.05.2010 एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लये निग मत शासन (दिशा-निर्देश) पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत है।

5. वत्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्यों क एम.एच.आई. ने कम्पनी के निदेशक मण्डल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कया था एवं केवल एक व्यक्ति की उपस्थिती में बैठकें आहूत नहीं की जा सकती थी। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। कम्पनी ने समय-समय पर अपने मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति के संबंध में एम.एच.आई. को सू चत कया।

6. वत्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 184(1) एवं 189(2) के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियम के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी स चव एवं मुख्य वत्तीय अ धकारी के प्रपत्र एम.बी.पी.-1 में अ भरु च का खुलासा प्राप्त कर लया है, कन्तु कम्पनी स चव एवं मुख्य वत्तीय अ धकारी के प्रपत्र एम.बी.पी.-1 में अ भरु च का खुलासा मण्डल बैठक में नोट नहीं कया गया है।

7. कम्पनी ने कुछ प्रपत्रों को छोड़कर आर.ओ.सी. ई-प्रपत्र/ववरणी समय पर दायर करने के संबंध में कम्पनी अ धनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन कया है।

8. कम्पनी के कम्पनी स चव के रूप में श्रीमती नि ध मश्रा की नियुक्ति

श्रीमती नि ध मश्रा ने ई-मेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने की पुष्टि की थी एवं दिनांक 04.10.2023 को कम्पनी में पदभार ग्रहण करने की पुष्टि भी की थी, कन्तु श्रीमती नि ध मश्रा ने दिनांक 15.01.2024 को कम्पनी स चव के रूप में कम्पनी में पदभार ग्रहण कया। तथा प, श्रीमती नि ध मश्रा ने दिनांक 19.06.2024 को e-CSIN EA053762F000026130 का सृजन कर दिया था।

यह ICSI e-CSIN के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है एवं कम्पनी स चव अ धनियम, 1980, जिसे कम्पनी स चव अ धनियम, 1980 की प्रथम एवं द् वतीय अनुसूची के साथ पढ़ा जावे, का उल्लंघन है।

तथा प, उनकी गंभीर च कत्सीय स्थिति के कारण हुये वलंब को प्रबंधन द्वारा स्वीकार कया गया।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ क

कम्पनी के निदेशक मण्डल का पूर्ण गठन अ धकारी निदेशक, गैर-अ धकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के समु चत संतुलन के साथ नही कया गया है। निदेशक मण्डल के गठन में परिवर्तन अ धनियम के प्रावधान के अनुरुप में समीक्षाधीन अव ध के दौरान कया गया है कंतु अनुगामी मण्डल बैठक में नोट नहीं कया गया।

सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है क मण्डल बैठक, एजेण्डा और एजेण्डा पर पर्याप्त नोट्स लगभग 7 दिवस के पूर्व भेज दिया गया एवं बैठक से अर्थपूर्ण भागीदारी और बैठक से पूर्व एजेण्डा मद में आगे की सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसरण और पाने हेतु एक व्यवस्था अपनाई गई।

मण्डल की बैठकों एवं स मति की बैठकों में अ धकांश निर्णय सर्वसम्मति से लये जाते हैं, ऐसा भी मामला हो, निदेशक मण्डल या मण्डल की स मति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज कया जाता है।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ क कम्पनी में जाँच और लागू कानून, नियम, वनियम और निर्देश के अनुपालन के लये कम्पनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरुप कम्पनी में इसकी पर्याप्त प्रणाली और प्र क्रया है।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ क अंकेक्षण अव ध के दौरान

कम्पनी ने सार्वजनिक उद्यम वभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8) 2005-जी.एम. दिनांक 14.05.2010 के तहत एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लये निग मत शासन (दिशा-निर्देश) पर जारी दिशा-निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं कया है।

कृते आई.जी एण्ड एसो शएट्स
कम्पनी स चव
एफ.आर. क्र. : **I2013MP1054000**
हस्ता./-
(ईशा गर्ग)
(**ÁWÁkbZVj**)
एम.क्र. : एफ.सी.एस. 9955 सी.ओ.पी. क्र. : 12184
सहकर्मी समीक्षा क्र. : 914/2020
यू.डी.आई.एन. : **F009955E001064351**

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 31.08.2024

नोट :- इस रिपोर्ट को हमारे पत्र दिनांक 31.08.20**24** के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक **I** के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट के प्रपत्र एवं अ भन्न अंग हैं।

आई.जी. **&** एसो शएट्स
कम्पनी स चव
कार्यालय : 608-ए, दि वन, 5, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर-452 001 (म.प्र.)
ई-मेल : **igassociatescs@gmail.com** मोबाईल : 09009403008

ईशा गर्ग
बी.एस.सी. एफ.सी.एस., एम.बी.ए.

अनुलग्नक - **I**

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा ल मटेड,
पंजीकृत कार्यालय : नेपानगर,
जिला बुरहानपुर - 450 221 (म.प्र.)
सी.आई.एन. : **U21012MP1947GOI000636**

इस ति थ के हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. स चवीय अ भलेखों का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन स चवीय अ भलेखों पर अ भमत व्यक्त करना है।

2. मैंने अंकेक्षण व्यवहारों एवं प्र क्रयाओं का पालन कया है, जो स चवीय अ भलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उ चत आश्वासन प्राप्त करने के लये उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लये परीक्षण के आधार पर सत्यापन कया गया था क स चवीय अ भलेखों में शुध्द तथ्य परिल क्षत हों। मैं मानता हूँ क प्र क्रयाओं एवं व्यवहारों, हमने अपने अ भमत के लये एक उ चत आधार प्रदान कया।

3. मैंने व भन्न कर देनदारियों एवं उसके भुगतान, लागू IND-AS के अनुपालन, वत्तीय रिकॉर्ड एवं कम्पनी के खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्या पत नहीं कया है, क्यों क यह स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा कये जा रहे सां व धक अंकेक्षण के अधीन है।

4. जहाँ कभी आवश्यक हो, हमने लागू कानूनों, नियमों एवं वनियमों तथा घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र/आंकड़े/जानकारी प्राप्त कया है।

5. निग मत एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, वनियमों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों इत्यादि का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जाँच परीक्षण के आधार पर प्र क्रयाओं के सत्यापन तक सी मत थी।

6. स चवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कम्पनी की भ वष्य की व्यवहार्यता के लये एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लये प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन कया है।

7. मैंने व भन्न कानूनों के अनुपालन के सत्यापन के लये प्रस्तुत कए गए दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्ट प्रतियों पर भरोसा कया है।

कृते आई.जी एण्ड एसो शएट्स
कम्पनी स चव
एफ.आर. क्र. : **I2013MP1054000**
हस्ता./-
(ईशा गर्ग)
(**ÁWÁkbZVj**)
एम.क्र. : एफ.सी.एस. 9955 सी.ओ.पी. क्र. : 12184
सहकर्मी समीक्षा क्र. : 914/2020
यू.डी.आई.एन. : **F009955E001064351**

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 31.08.2024

अनुलग्नक V

प्रबंधन चर्चा एवं वश्लेषण रिपोर्ट

प्रस्तावना

वर्ष 2022-24 के दौरान नेपा ने को वड के पश्चात के कार्य क्षेत्र में इनपुट कच्चे माल के लये बाजार में कीमत में भारी बदलाव देखा है। समग्र आर.एम.डी.पी. ने केवल 40% संयंत्र एवं मशीनरी को कवर कया है, शेष सभी संयंत्र पुराने हैं। ठेकेदारों के बचे कसी भी कार्य को पूर्ण करने के लये नेपा को आंतरिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ा।

तथा प, मशीनों ने 10 से 12 माह के पश्चात प्रचालन की स्थिरता हा सल कर ली है। कम्पनी को परिचालन चलाने के लये कार्यशील पूँजी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा था। उपरोक्त मुद्दों ने संयंत्र के निरंतर प्रचालन को प्रभा वत कया है। नेपा को संयंत्र के सुचारु प्रचालन के लये कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन प्रत्यक्षत: कुशल लोगों को हायर करने के अलावा स्थानीय आबादी को रोजगार देने पर अत्य धक ध्यान दे रहा है। प्रबंधन श्रमशक्ति के मुद्दों से निपटने के लये सरकार के निर्देशानुसार GeM पोर्टल के माध्यम से ठेकेदारों, वक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्था करने का भी प्रयास कर रहा है।

उद्योग परिदृश्य

वस्तृत रूप से, उद्योग को चार मुख्य खण्डों में अर्थात् लेखन एवं मुद्रण कागज, औद्यो गक पैकेजिंग कागज, वशेष कागज तथा अखबारी कागज वर्गीकृत कया जाता है। भारत दुनिया में कागज उत्पादक देशों में 16 म लयन टन की कुल स्था पत क्षमता के साथ 15वें स्थान पर है। मांग 17 म लयन टन अनुमानित है। ए शयाई औसत 26 कलोग्राम एवं वश्व औसत 58 कलोग्राम के मुकाबले प्रति व्यक्ति खपत लगभग 13 कलोग्राम है। 6% की औसत वा र्षक वृद् ध के साथ भारत को दुनिया में कागज के लये सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार माना जाता है। वर्ष 2021-22 तक घरेलू खपत बढ़कर 25 म लयन टन होने की उम्मीद है। भारतीय कागज उद्योग देश भर में फैले व भन्न आकारों के 750 से अ धक पेपर मलों के साथ अत्य धक वभक्त है। केवल 50 मलें 50,000 टी.पी.ए. या उससे अ धक की क्षमता की हैं। कुल क्षमता उपयोग 80-90% अनुमानित है। तथा प, को वड-19 महामारी के प्रसार ने कागज बाजार के वकास को प्रभा वत कया है, आयातित एवं स्वदेशी कागज की मांग 60% तक गर गई है। बाजार हाल के दिनों में धीरे-धीरे गति पकड़ते हुये सुधार की राह पर है।

भारतीय कागज उद्योग दृष्टिकोण

अगले पांच वर्षों में, घरेलू उद्योग के वर्ष 2027 तक 25 म लयन टन तक पहुंचने के लये 6-7% सी.ए.जी.आर. से बढ़ने का अनुमान है। भारत में अखबारी कागज का कुल उत्पादन लगभग 2.0 म लयन टन प्रतिवर्ष है, जब क मांग लगभग 2.7 म लयन टन है। उद्योग 2% की दर से बढ़ रहा है।

महामारी के पश्चात के क्षेत्र में भारी मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। कागज बनाने के लये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव हाल के दिनों में आसमान छू गया है, जिससे वनिर्माण लागत बहुत अ धक हो गई है। हाल ही में मांग एवं आपूर्ति संतुलन पर पहुँच गई है एवं आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में कुछ स्थिरता आ गई है, फर भी कागज का बाजार अस्थिर है एवं जीवंत ग्रामीण बाजार में फल-फूल रहा है।

कागज उद्योग दशकों से बृहत प्रमुखता एवं सामाजिक प्रासं गकता का बढ़ता उद्योग रहा है। पछले दशक में औसत वा र्षक वकास दर तथा प 1% या तो गर गई है। इस प्रकार, भारत आने वाले दशक में ठोस वकास प्रक्षेपवक्र नहीं होने के बावजूद पर्याप्त वकास का सही अवसर रखता है, यद्य प वकास की वर्तमान प्रवृ त्त 6-7% वा र्षक कायम है। श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत अ धक है। भारतीय कागज उद्योग अमेरिका, चीन, जापान एवं जर्मनी के पश्चात वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2030 तक भारतीय कागज एवं गत्ते की मांग लगभग 30 म लयन टन होने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लये आने वाले समय में जी.डी.पी. की स्थिति स्वदेशी कागज उद्योग के साथ-साथ परिल क्षत होगी। यद्य प, अखबारी कागज खण्ड बढ़ना अपे क्षत है, न क वत्तीय वर्ष 2019-20 की अपे क्षत लाइनों पर। तथा प, भारत में वकास का सकारात्मक संकेत कायम रहेगा एवं वैश्विक स्तर पर परिणाम भारत के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। संक्षेप में, भारत को को वड-19 के लये भारतीय एवं वैश्विक मंदी पर हानिकारक प्रभाव पड़ने के पश्चात कागज के सभी खंडों में वृद् ध कायम रहेगी तथा मैक्रो एवं सूक्ष्म नियामक उपायों के माध्यम से आ र्थक गति व ध की बहाली हो जाती है।

भारतीय उप-महाद्वीप में कागज की मांग वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है एवं कागज की प्रमुख मांग अर्थात लगभग 60% घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूर्ण होती है। पैकेजिंग एवं व शष्ट कागज में सी.ए.जी.आर. क्रमशः 9.14% एवं 11.64% देखी गई है। अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज क्षमता सी.ए.जी.आर. (2017-2020) में 2.6% और 5.89% की वृद् ध देखी गई है। भारत में कागज के खपत स्वरूप में बदलाव आया है। कागज की खपत में इस कमी का कारण डिजिटलीकरण में वृद् ध तथा ऑनलाइन समाचार अनुप्रयोगों एवं समाचार फीड की अ धक से अ धक पहुंच है। अखबारी कागज एवं डब्ल्यू.पी.पी. की खपत क्रमशः 2-2.9 एवं 5.5 म लयन टन है।

कागज उद्योग कठिन समय का सामना कर रहा है एवं एक निरंतर तथा अ भनव दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप निरंतर वकास होगा। चूं क भारत में कागज की मांग अभी भी बढ़ रही है, इस लये कागज उद्योग के लये बेहतर भ वष्य होगा। वैश्विक अखबारी कागज बाजार की अस्थिर स्थितियों ने कच्चे माल की कीमत में वृद् ध को छोडकर बाजार की मांग को प्रभा वत नहीं कया है। चीन से निर्यात की वापसी ने बाजार में कुछ जगह बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय बाजार के फलने-फूलने की उम्मीद है।

अखबारी कागज खण्ड

वर्ष 2022 में कुछ अप्रत्या शत वृद् ध को छोडकर अन्य पेपर खण्ड की तुलना में अखबारी कागजों में पछले कुछ वर्षों में सबसे धीमी वृद् ध देखी गई है। डिजिटल अनुप्रयोगों और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम प्लेटफार्मों के उदय के कारण दैनिक समाचार पत्रों में धीमी वृद् ध हुई है। उपभोक्ता सामान्यतः राष्ट्रीय समाचारों को टी.वी. के माध्यम से राष्ट्रीय समाचारों पर नजर रखता है एवं संचार माध्यम के शहरी क्षेत्र तक पहुँचने की प्रवृ त्त, साक्षरता दर में वृद् ध के कारण भारत के ग्रामीण हिस्से में अखबारी कागज की खपत में वृद् ध देखी गई है। आंतरिक रूप से हाल के दिनों में स्थानीय भाषा, प्रारम्भिक संस्कारण में वृद् ध देखी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद् ध, बड़े पैमाने पर शहरीकरण एवं सकाल घरेलू उत्पाद की वृद् ध के साथ, अखबारी कागज की मांग में और अ धक वृद् ध होने की पूरी संभावना है।

लेखन कागज खण्ड

डब्ल्यू.पी.पी. खण्ड के 4% की दर से बढ़ने की संभावना है एवं इसकी गति जारी रहने की उम्मीद है। मुख्य खंड सेवा उद्योग, प्रकाशन गृह एवं शक्षा क्षेत्र हैं, जो डब्ल्यू.पी.पी. के भारी उपयोगकर्ता हैं। एक बार अर्थव्यवस्था को को वड-19 परिदृश्य में सामान्य गति पुनर्स्था पत करने के पश्चात इस खंड में भारी वृद् ध होने की संभावना है। इस क्षेत्र का लेखन एवं मुद्रण कागज में वृद् ध के साथ प्रत्यक्ष परस्पर संबंध है। शाला शक्षा, फार्मास्युटिकल क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र पर केंद्र तथा संबं धत राज्य सरकारों द्वारा बढ़ता फोकस एवं उच्चतर बजट आवंटन, उच्च शक्षा के केंद्रों की संख्या में वृद् ध, वत्त वर्ष 2021-22 के दौरान एफ.एम.सी.जी. क्षेत्र में दोहरे अंकों में लगभग 27.9% वृद् ध एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र में वत्तीय वर्ष 2026 तक सी.ए.जी.आर. 27% बढ़ने की संभावना है।

डबल्यू.पी.पी. एवं अन्य पैकेजिंग श्रेणी कागज का निर्यात परिदृश्य

वद्यमान स्थिति को देखते हुये अगली तिमाही में कागज निर्यात मांग में मंदी रहेगी। चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर घरेलू मांग के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पादन क्षमताओं की शुरुआत ने निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ा दिया है। उच्च श पंग लागत एवं व्यापार समझौतों का संयोजन निर्यात में महत्वपूर्ण बाधायें प्रस्तुत करता है, जिसके परिणामस्वरूप पछले वर्षों की तुलना में वक्रय की मात्रा एवं अंतर कम हो गया है।

वद्यमान बाजार स्थितियों की वशेषता मांग की मंदगति, अ धक आपूर्ति एवं लेखन मुद्रण, पैकेजिंग, अखबारी कागज तथा वशेष उत्पादों जैसे व भन्न क्षेत्रों में सस्ते आयात की उपलब्धता है। ये कारक घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव डालने में योगदान दे रहे हैं। तैयार कागज की घटती मांग ने कागज मलों को अपनी दरें कर करने के लये प्रेरित कया है, जिससे आपूर्ति शृंखला में वत्तीय तनाव पैदा हो गया है। यह चुनौतीपूर्ण स्थिति निकट भ वष्य में भी बनी रहने की संभावना प्रतीत होती है।

व भन्न खण्डों में कागज आयात में वृद् ध : कारण एवं भ वष्य की प्रत्याशा

भारतीय कागज उद्योग में आयात में उल्लेखनीय वृद् ध देखी गई है, वशेष रूप से बिना आवरण लेखन एवं मुद्रण खण्ड एवं वशेष श्रेणी में। अमेरिका एवं यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आ र्थक मंदी का सामना करने के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मलें भारत जैसे बाज़ारों की ओर रुख कर रही हैं। इन्डोने शया, कोरिया, थायलैंड जैसे देशों से व्यापार की गतिशीलता एवं समझौते आयात को अ धक आकर्षक बना रहे हैं एवं कीमतें माल के आयात के लये प्रमुख संचालक बन रही है। ग्राहक गुणवत्ता को प्राथ मकता देना जारी रखते हैं, खासकर वद्यमान मुद्रास्फीती की स्थिति के मद्देनजर वे उ चत मूल्य पर बेहतर अनुभव भी चाहते हैं।

इनपुट लागत वश्लेषण एवं लुगदी मूल्य परिदृश्य

वर्तमान में ऐसा लगता है क लुगदी उद्योग अत्य धक आपूर्ति के दौर का सामना कर रहा है, जिसके कारण मालसूची का निर्माण हो रहा है एवं कुछ उत्पादन सु वधायें बंद हो रही हैं। तथा प, आने वाले वर्षों में नई उत्पादन इकाइयाँ प्रारम्भ करने की योजना है, जिससे बाजार में लुगदी की वैश्विक आपूर्ति में और वृद् ध होगी। अत्य धक आपूर्ति की स्थिति तब तक बनी रहने की उम्मीद है, जब तक क मांग में उल्लेखनीय वृद् ध न हो, वशेष रूप से अमेरिका एवं चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से।

आयातीत रद्दी कागज परिदृश्य

पुनर्प्राप्त कागज के मामले में वर्ष 2024 की शुरुआत भारत के लये अनुकूल नहीं रही है। लाल सागर की जटिलताओं जैसी घटनाओं, जिसके कारण माल ढुलाई लागत में वृद् ध हुई एवं वस्तारित समय सीमा के कारण सुपुर्दगी में वलंब ने भारतीय बाजार में रद्दी कागज के आयात के लये प्राथ मक कारक के रूप में आंदोलन एवं कीमत के बीच संतुलन पर ध्यान केन्द्रित कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपूर्ति भी प्रवाह में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्प्राप्त कागज का उपयोग करने वाली बड़ी क्षमता वाली मलों के खुलने से निर्यात के लये दीर्घ फाइबर की कमी हो गई है। इस कमी ने लाल सागर संकट से पहले ही कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। यू.एस. ईस्ट कोस्ट से भारत तक पुनर्प्राप्त फाइबर के लदान के लये समुद्री माल ढुलाई दरों में 400 अमेरिकी डॉलर प्रति 20-फुट कंटेनर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री के लये प्रति टन 20 अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त देना पड़ता है। भारत में अमेरिकी लदान की सुपुर्दगी की समय सीमा 50-60 दिनों तक बढ़ गई है।

कथन में उल्लेख कया गया है क पश्चिम ए शया में संघर्ष, यूक्रेन एवं रूस के मध्य युद्ध तथा लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और इस प्रकार अखबारी कागज की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभा वत कया है। आई.एन.एस. ने कहा, परिणामस्वरूप, अखबारी कागज आपूर्तिकर्ता प्रकाशकों के पहले पुष्टि कये गये आदेश रद्द कर रहे हैं।

लागत संबंधी मनन

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, बढ़ती मांग एवं मुद्रा में उतार-चढ़ाव जैसे व भन्न कारकों के कारण आने वाले समय में भारत के लये आयातित पुनर्प्राप्त फाइबर की कीमत में वास्तव में वृद् ध देखी जा सकती है। तथा प, बाजार की गतिशील प्रकृति एवं व वध परिवर्तनों के प्रभाव के कारण प्रति टन सटीक कीमत की भ वष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है।

प्रति टन कीमत का अनुमान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की गंभीरता एवं अव ध, अन्य क्षेत्रों से मांग में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभा वत करने वाली सरकारी नीतियों तथा मुद्रा वनिमय दरों में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। भारतीय कागज उद्योग के हितधारकों के लये यह साला दी जाती है क वे इन कारकों की बारीकी से निगरानी करें एवं आयातित पुनर्प्राप्त फाइबर की लागत पर कसी भी संभा वत प्रभाव को कम करने के लये अपनी रणनीतियों को तदनुसार समायोजित करें।

नेपा ल मटेड के लये भ वष्य का दृष्टिकोण

भारतीय कागज़ उद्योग में वकास संरचनात्मक आ र्थक कारकों जैसे जनसंख्या वृद् ध दर, जनसांख्यिकी में संक्रमण, साक्षरता दर में सुधार, सरकार द्वारा शक्षा पर अ धक व्यय तथा मुद्रण एवं संचार माध्यम उद्योग में अभूतपूर्व वृद् ध से जुड़ा हुआ है। घरेलू बाजार उद्योग में मुक्त पहुंच को देखते हुये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर उजागर हो गया है।

भारतीय कागज ने खपत स्वरूप एवं उपभोक्ता वरीयताओं में एक बदलाव देखा है। मध्यम आय वर्ग के आय स्तर में वृद्ध एवं उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्ध भी वैश्विक वश्व वद्यालयों के साथ व्यवसायी सम्बध्द ने अपनी प्राथ मकताओं के साथ उपभोक्ताओं की मान सकता एवं व्यवहार को बदल दिया है। गुणवत्ता एवं लागत प्रभावी कागज की मांग तेज गति से बढ़ रही है।

नेपा ल मटेड अपने अस्तित्व के एक मोड़ पर है एवं को वड-19 के पश्चात अभ्यूत्थान में बदलाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। को वड-19 पूर्व परिदृश्य में, नवीनीकरण आधुनिकीकरण मल वकास योजना (आर.एम.डी.पी.) पूर्ण चरम पर थी। हालां क, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन ने एक बार काफी लंबे समय के लये कार्य को रोक दिया था। अब उज्जवल भ वष्य के साथ, वर्तमान प्रबंधन एवं परियोजना नेतृत्व तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पहले से ही निर्णायक नेतृत्व की मुख्य भू मका निभाने के साथ, पुनर्जी वत नेपा ल मटेड तुलन पत्र को सकारात्मक बनाकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

नेपा अंतर्राष्ट्रीय मलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लये तीन प्रमुख कारकों पर वचार कर रही है, जो गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं स्थिरता हैं। इन चुनौतियों के मध्य कागज उद्योग के लये वचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू व वधीकरण है। उत्पाद प्रस्ताव एवं आपूर्ति श्रृंखला स्त्रोतों दोनों में व वधता लाने से व शष्ट बाज़ारों या क्षेत्रों में व्यवधानों से जुड़े संकटों को कम करने में सहायता मल सकती है। नेपा लेखन एवं मुद्रण की गुणवत्ता को और बढ़ाने तथा क्राफ्ट कागज खण्ड में प्रवेश करने पर गंभीरता से वचार कर रहा है।

व्यापार प्रतिबंधों, बाजार की अस्थिरता के कारण, जो मूल्य निर्धारण रणनीतियों एवं लाभ मार्जिन को प्रभा वत कर रहा है तथा इसके अलावा ग्राहक व भन्न भूगोल से वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं, नेपा आने वाले दिनों में इस अवसर को भुनाने का प्रयत्न करेगा।

नेपा परिचालन दक्षता को अनुकू लत करने, नये बाज़ारों एवं राजस्व स्त्रोतों के अन्वेषण तथा आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की रणनीतिक योजना पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इसके अतिरिक्त, उद्योग के भीतर और सरकारी निकायों तथा उद्योग संघों सहित प्रासं गक हितधारकों के साथ सहयोग, ज्ञान साझा करने, सहायक नीतियों के पक्ष समर्थन तथा चुनौतियों के लये सामूहिक प्रति क्रया की सु वधा प्रदान करता है।

कुल मलाकर, स क्रय योजना, रणनीतिक अनुकूलन एवं सहयोग कम्पनी के लये वद्यमान संकट से निपटने तथा लंबी अव ध में मजबूत बनकर उभरने में महत्वपूर्ण होंगे।

सरकार ने बी.सी.डी. की छूट वापस ले ली है एवं वर्ष 2020 में आयातित अखबारी कागज पर 5% सीमा शुल्क की दर प्रस्तुत की है। सरकार ने सभी आयातकों उद्योग वशेष आ र्थक क्षेत्र/मुक्त व्यापार एवं वेयरहाउ संग क्षेत्र के लये पेपर आयात निगरानी प्रणाली (पी.आई.एम.एस.) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इन उपायों से स्थानीय उद्योग को महामारी के पश्चात बाजार में सुधार के इस महत्वपूर्ण समय को जी वत रहने एवं पार करने में सहायता मलेगी। कम्पनी प्रबंधन ने आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, फैब्रिकेटर, कार्यबल आदि से संबं धत कसी भी जटिल मुद्दे को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लये

	हस्ता./-	हस्ता./-
दिनांक : 07.08.2024	राकेश कुमार चोखानी	प्रदीप कुमार नाईक
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वत्त)
	(अतिरिक्त प्रभार)	(अतिरिक्त प्रभार)
	डी.आई.एन. : 10590173	डी.आई.एन. : 08676709

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

प्रपत्र क्र. एम.जी.टी.-9 वा र्षक ववरणी का उध्दरण

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वत्तीय वर्ष पर

[कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य ववरण

i.	सी.आई.एन.	U21012MP1947GOI000636
ii.	पंजीकरण ति थ	25.01.1947
iii.	कम्पनी का नाम	नेपा ल मटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	पब्लिक कम्पनी/सरकारी कम्पनी/अंशों द्वारा ल मटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क ववरण	नेपानगर, जिला बुरहानपुर, म.प्र.-450 221
vi.	क्या सूचीबध्द कम्पनी है	नहीं
vii.	पंजीयक एवं अंतरण अ भकर्त्ता का नाम, पता एवं सम्पर्क ववरण	पूर्वा शेयरजिस्ट्री (आई) प्रायवेट ल मटेड, 9, शवशक्ति इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई, 400011

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गति व धयाँ

कम्पनी के कुल सकल वक्रय का समस्त व्यापार गति व धयाँ में 10% अथवा अ धक अंशदान दर्शाया गया है:-

क्र.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं ववरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कम्पनी के कुल सकल बिक्री का %
1.	अखबारी कागज	4801	87.12%

III. धारित, अधीनस्थ एवं सहायक कम्पनियों के ववरण

क्र.	कम्पनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन./जी.एल.एन.	धारित, अ धनस्थ एवं सहायक	अंशों का %	लागू प्रभाग
1.	अधीनस्थ एवं सहायक कम्पनियाँ नहीं हैं।				

IV. अंशधारिता पैटर्न (साम्य अंश पूँजी कुल साम्य प्रतिशत पर ब्रेकअप)

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में अंशों की संख्या				वर्ष के अंत में अंशों की संख्या				वर्ष के
	अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का %	अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का %	दौरान % परिवर्तन
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/ एच.यू.एफ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) केन्द्र सरकार	-	1204297344	1204297344	97.47	-	1204297344	1204297344	97.47	-
सी) राज्य शासन	-	30537290	30537290	2.47	-	30537290	30537290	2.47	-
डी) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंकें/वत्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ए) (1)	-	1234834634	1234834634	99.94	-	1234834634	1234834634	99.94	-
(2) वदेश									-
ए) एन.आर.आई.-व्यक्तिगत	-	-	-	-		-	-	-	-
बी) अन्य-च्यक्तिगत	-	-	-	-		-	-	-	-
सी) निकाय निगम	-	-	-	-		-	-	-	-
डी)बैंकें/वत्तीय संस्थान	-	-	-	-		-	-	-	-
ई) कोई अन्य	-	-	-	-		-	-	-	-
उप योग (ए) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल अंशधारिता (ए)=(ए)(1) + (ए)(2)	-	1234834634	1234834634	99.94	-	1234834634	1234834634	99.94	-
बी.(1) पब्लिक अंशधारिता									
ए) म्युचुअल फण्ड/ बैंकें/वत्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) उद्यमी पूँजीगत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बीमा कम्पनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) एफ.आई.आई.एस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) वदेश उद्यमी पूँजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (बी) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) गैर-संस्थान	-								
ए) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) वदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यक्तिगत अंशधारियों द्वारा धारित रुपये 1 लाख तक की नाममात्र की अंशपूँजी	-	654930	654930	0.05	-	654930	654930	0.05	-
i) वर्गानुसार अंशधारिता : i) व्यक्तिगत अंशधारियों द्वारा धारित रुपये 1 लाख से अ धक की नाममात्र की अंशपूँजी									
सी) अन्य, हिन्दु अ वभाजित परिवार									
डी) एन.आर.आई.									
उप योग (बी) (2)	-	654930	654930	0.05	-	654930	654930	0.05	-
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (बी)=(बी)(1) + (बी)(2)	-	654930	654930	0.05	-	654930	654930	0.05	-
सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी. आर. के लये अ भरक्षक द्वारा धारित अंश									
कुल योग (ए+बी+सी)	-	1235489564	1235489564	100	-	1235489564	1235489564	100	-

(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता			वर्ष के अंत में अंशधारिता			अंश में % परिवर्तन
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों के रेहन/ऋणग्रस्त अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों के रेहन/ऋणग्रस्त अंशों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	1204297344	97.47	-	1204297344	97.47	-	-
2.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	30537290	2.47	-	30537290	2.47	-	-
	योग	1234834634	99.94	-	1234834634	99.94	-	-

(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो)

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ/अंत में अंशधारिता		वर्ष के दौरान परिवर्तन	कारण	वर्ष के दौरान सं चत अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	बढोत्तरी/ कमी		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	1204297344	97.47%	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं		1204297344	9**7.47%**
2.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	30537290	2.47%	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं		30537290	2.47%

(iv) प्रमुख दस अंशधारकों की अंशधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रसारकों और जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के धारकों के अलावा)

क्र.	प्रमुख दस अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान परिवर्तन			वर्ष के दौरान सं चत अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	दिनांक	बढोत्तरी/ कमी	कारण	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
1.	कौ शक एस. भट्ट	11000	0.00		-		11000	0.00
2.	अम्मर अयाज़	5000	0.00		-		5000	0.00
3.	राजू भंडारी	5000	0.00		-		5000	0.00
4.	महाराजा प्र वणचन्द्र भांजडे	4000	0.00		-		4000	0.00
5.	नरिन्द्र कौर सचदेवा	2500	0.00		-		2500	0.00
6.	गो वन्द प्रसाद के. पोद्दार	2200	0.00		-		2200	0.00
7.	हाईनेस एम.के. मोदिनी देवी	2000	0.00		-		2000	0.00
8.	अमीत आर. सुचदे	2000	0.00		-		2000	0.00
9.	यशपाल खन्ना	1850	0.00		-		1850	0.00
10.	चुन्नीलाल गगलदास शाह	1580	0.00		-		1580	0.00

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक की अंशधारिता : निरंक

क्र.	निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक के नाम (सर्वश्री)	वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता			वर्ष के दौरान परिवर्तन			वर्ष के दौरान सं चत अंशधारिता	
		दिनांक	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	दिनांक	बढोत्तरी/ कमी	कारण	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
निरंक									

V. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता, जिसमें ब्याज अदत्त/अर्जित ले कन भुगतान के लये देय नहीं

(रुपये लाख में)

	र क्षत ऋण जमा छोड़कर	अर क्षत ऋण	जमा*	कुल ऋणग्रस्तता
वत्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल रा श	-	24680.00	-	24680.00
ii) ब्याज देय कंतु प्रदत्त नहीं	-	24631.15	-	24631.15
iii) ब्याज जमा कंतु देय नहीं	-	1654.14	-	1654.14
योग **(i+ii+iii)**	-	50965.29	-	50965.29
वत्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जोड़ना	1650.09	-	-	1650
कम करना	-	-	-	1650
शुद्ध परिवर्तन	1650.09			
वत्तीय वर्ष के अंत में				
i) मूल रा श	1650.09	24680.00	-	26330.09
ii) ब्याज देय कंतु प्रदत्त नहीं	-	30.633.29	-	30.633.29
iii) ब्याज जमा कंतु देय नहीं	-	853.44	-	853.44
योग **(i+ii+iii)**	1650.09	**56166.73**	-	**57816.82**

VI निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक का पारिश्र मक (रुपये में)

(ए). प्रबंध निदेशक, पूर्ण का लक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्र मक

(रुपये लाख में)

क्र.	पारिश्र मक का ववरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णका लक निदेशक/प्रबंधक का नाम (सर्वश्री)		कुल रा श
		कमोडोर सौरभ देब	-	
1.	सकल वेतन	38.54	-	38.54
	ए) आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-
	बी) आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत् परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-
	सी) आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत् वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक वकल्प	-	-	-
3.	स्वेट साम्य	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के अनुसार % - अन्य, उल्लेख करें	 - -	 - -	 - -
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (अ धवेशन शुल्क)	-	-	-
योग (ए)		38.54	-	38.54
अ धनियम के अनुसार सीमा		लागू नहीं		

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्र मक (रुपये में)

क्र.	पारिश्र मक का ववरण	निदेशकों का नाम (सर्वश्री)	कुल रा श
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती कमलावती संह	-
	मण्डल/स मति बैठकों में शा मल होने के लये शुल्क	19000	19000
	कमीशन	-	0
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	0
	योग (1)	-	0
2.	अन्य गैर-अ धशाषी निदेशकगण	श्रीमती पद्म प्रया बालाकृष्णन	
	मण्डल/स मति बैठकें अटेन्ड करने के लये फीस	-	-
	कमीशन	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-
	योग (2)	-	-
	योग (बी) = (1+2)	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्र मक	लागू नहीं	-
	अ धनियम के अनुसार समग्र सीमान्त	स्वतंत्र निदेशकों को चुकता की गई अ धवेशन शुल्क कम्पनी अ धनियम, 2013 के अनुसार समग्र सीमान्त के अन्दर है।	

सी. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णका लक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक का पारिश्र मक

(रुपये लाख में)

क्र.	पारिश्र मक का ववरण	प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक					कुल रा श
		सी.ई.ओ.	कम्पनी स चव		सी.एफ.ओ.		
			सुश्री पू र्णमा पाराशर	सुश्री नि ध मश्रा	श्री सी.एन. वर्मा	श्री वकास रेड्डी	
1.	सकल वेतन	निरंक	10.44	1.43	10.28	8.14	30.29
	ए) आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		-		-		-
	बी) आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत् परिलब्धियों का मूल्य		-				-
	सी) आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत् वेतन के स्थान पर लाभ		-				-
2.	स्टॉक वकल्प		-				-
3.	स्वीट साम्य		-				-
4.	कमीशन - लाभ के अनुसार % - अन्य, उल्लेख करें		-				-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें		-				-
	योग (सी)		10.44	1.43	10.28	8.14	30.29

VII. शास्ति/दण्ड/संयोजित का उल्लंघन

प्रकार	कम्पनी अ धनियम की धारा	सं क्षप्त ववरण	लगाए गए शास्ति/दण्ड/ संयोजित शुल्क ववरण	प्रा धकृत (आर.डी./ एन.सी.एल.टी/ अदालत	की गई अपील, यदि कोई (ववरण दें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दण्ड					
संयोजित					
बी. निदेशकगण					
शास्ति			निरंक		
दण्ड					
संयोजित					
सी. अन्य दोषी अ धकारी					
शास्ति					
दण्ड					
संयोजित					

ए.आई. कोठारी एडं एसो सएटस
सनदी लेखापाल
मुख्य कार्यालय पता
201, आदित्य चेम्बर, यूनियन बैंक के ऊपर,
नवी पेठ, ग्राम पोस्ट एवं जिला जलगांव – 452001 (म.प्र.)
मेल : **aikothariassociates@gmail.com,**
मोबाईल: 9823007773/9823005352

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा ल मटेड,
नेपानगर (म.प्र.)

स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के लेखा परीक्षण पर प्रतिवेदन

योग्य अ भमत

हमने नेपा ल मटेड (कम्पनी) के स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों का लेखा परीक्षण कर लया है, जिसमें दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र, तब समाप्त वर्ष के लये लाभ एवं हानि लेखों का ववरण और रोकड़ प्रवाह ववरण एवं वत्तीय ववरणों पर टिप्पणी सहित महत्वपूर्ण लेखा व ध की नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मि लत है।

हमारे वचार में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन के योग्य अ भमत अनुभाग के लये आधार में व र्णत मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपर अर्हता अ भमत परिच्छेद के लये उपरोक्त वत्तीय ववरण जैसा आवश्यक हो, उस व ध में कम्पनी अ धनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और दिनांक 31.03.2024 को कम्पनी मानकों की स्थिति तथा इसी ति थ के लये और इसकी हानि एवं रोकड़ प्रवाह के लये भारत में स्वीकार्य लेखा सध्दांतों की अनुरुपता में सत्य एवं साफ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य अ भमत के लये आधार

1. अ धमान्य अंश आवंटन
   कम्पनी ने कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर रुपये 3000 लाख की लंबित अ धमान्य अंश आवेदन रा श का आवंटन नहीं कया है। यह नि ध वशेष रूप से कर्मचारियों को वी.आर.एस. देने के लये आवंटित की गई थी और रुपये 1100 लाख की रा श का उपयोग कया जाना बाकी है।

2. सम्प त्त, संयत्र तथा उपकरण
   कम्पनी ने नये प्लांट और मशीनरी स्था पत करने के लये व भन्न परिसंप त्तयों को नष्ट कर दिया। लेखा मानक (ए.एस.) 10 - संप त्त, संयंत्र और उपकरण के पैराग्राफ 41 के अनुसार, कम्पनी को प्रतिस्थापन पर परिसंप त्तयों की वहन रा श को मान्यता रद्द करने के प्रावधानों के अनुसार अमान्य करना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, रुपये 96.21 लाख के शुद्ध ब्लॉक वाली त्यागी गई परिसंप त्तयां संप त्त, संयंत्र और उपकरण के तहत बैलेंस शीट में दिखाई देती रहती हैं, जिसके लये वहन रा श का प्रावधान बनाया गया है, सक्षम प्रा धकारी से अनुमोदन के बाद उन परिसंप त्तयों को बट्टे खाते में डालना लंबित है। हम उनके अस्तित्व का पूरी तरह से पता लगाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, इन त्यागी गई परिसंप त्तयों में ऐसी वस्तुएं शा मल हो सकती हैं जो अब मौजूद नहीं हैं और जिन्हें पहले ही बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। कम्पनी के प्रबंधन द्वारा अचल संप त्तयों का भौतिक सत्यापन कया गया था, ले कन उसका प्रभाव लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लये अचल संप त्तयों में वृद्ध के हमारे सत्यापन के दौरान, हमने पाया क नई संप त्तयों पर एसेट कोड का उल्लेख नहीं कया गया है। पहचान की यह कमी हमें परिसंप त्त ववरण की मात्रा और सटीकता पर टिप्पणी करने से रोकती है।

3. आंतरिक वत्तीय नियंत्रण

हमने आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों में कमज़ोरियाँ देखी हैं, जैसे क अचल संप त्त सत्यापन, बैंक समाधान ववरण इत्यादि। बैंक समाधान की प्र क्रया मैन्युअल है और इसे पूरा करने में देरी होती है। कई प्र वष्टियाँ लंबे समय तक खुली और बिना समाधान वाली रहती हैं, जो समाधान प्र क्रया और नकदी प्रबंधन में संभा वत कमज़ोरियों को दर्शाती हैं। अलग से चेक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। ये क मयाँ आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों को मज़बूत करने और सटीक वत्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लये तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

4. व्यापार प्राप्य और अन्य देनदार

रुपये 878.78 लाख (गत वर्ष : रुपये 781.66 लाख) की व्यावसायिक प्राप्तियाँ असुर क्षत और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें नेपा नगर पा लका से वसूल कए जाने वाले जल आपूर्ति शुल्क भी शा मल हैं। इन ऋणों के वरुद्ध अप्रत्यक्ष और संदिग्ध ऋणों के लये रुपये 508 लाख का प्रावधान कया गया है। प्राप्तियों की रा श साल दर साल बढ़ रही है, ले कन नेपा नगर पा लका से कोई धनरा श प्राप्त नहीं हो रही है। इस स्थिति में अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली की कार्रवाई बढ़ाने की आवश्यकता है।

नगरीय कराये की बकाया वसूली रुपये 315.44 लाख है, जिसके वरुद्ध नगरीय कराए की रुपये 20.92 लाख की संदिग्ध वसूली का प्रावधान कया गया है। ऐसे कराए की वसूली न होने की अव ध को देखते हुए यह प्रावधान अपर्याप्त है। नेपा ल मटेड ने वसूली के लये एक नई योजना प्रस्ता वत की है, जिसके तहत लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का नवीनीकरण तभी कया जाएगा, जब पुरानी सुरक्षा जमा रा श को मकान कराए में समायोजित कर दिया जाएगा और शेष बकाया रा श कर्मचारियों द्वारा चुका दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, तीन साल का कराया अ ग्रम रूप से वसूला जाना है। जिन निवा सयों से रुपये 10.41 लाख का कराया बकाया है, वे या तो अपने मकान खाली कर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं, जिससे वसूली संदिग्ध हो गई है।

5. व्यापार लेनदार और व्यापार देयताएं

कम्पनी के पास व्यापार देय और सुरक्षा जमा के लये कसी भी शेष रा श की पुष्टि प्राप्त करने की मानक प्र क्रया नहीं है। वर्तमान और गैर-वर्तमान के तहत व्यापार देय का वर्गीकरण इस तरह के वर्गीकरण की कमी के कारण संभव नहीं है, इस लये सभी को चालू माना जाता है।

47 लेनदारों से रुपये 440.26 लाख की रा श के लये बाह्य पुष्टिकरण मांगे गए। कुछ से पुष्टिकरण प्राप्त हुआ, कम्पनी को शेष रा श की पुष्टि प्र क्रया को मजबूत करने और वक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई शेष रा श का खाताबही शेष रा श के साथ मलान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

6. जमा वसूली योग्यता

रुपये 51 लाख (गत वर्ष रुपये 50.54 लाख) की जमा रा श लंबे समय तक वसूली योग्य है। इन जमारा शयों की वसूली की पुष्टि करने के लये कसी भी पुष्टि या सबूत के अभाव में परिसंप त्तयों की मान्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस लये, इस संबंध में संर क्षत आधार पर प्रावधान कया गया है।

7. भंडारण टैंक का निर्माण

कै पटल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट ल मटेड ने 2 से 3 वर्ष पहले डी.आई.पी. प्लांट के पल्प स्टोरेज के लये एक स्टोरेज टैंक का निर्माण कया था। हालां क, टैंक में रिसाव हो गया है और बाहरी कोटिंग नहीं लगाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक उपयोग के 2 से 3 वर्ष के भीतर ही खराब हो गया है।

हमने कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण कया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वत्तीय ववरणों के लेखापरीक्षण के लये लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे व र्णत कया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कम्पनी अ धनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वत्तीय ववरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लये प्रासं गक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हम स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आई.सी.ए.आई. की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा कया है। हमारा मानना है क हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लये आधार प्रदान करने के लये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वषयवस्तु का महत्व

1. हम नोट क्र. 32.2 पर ध्यान आक र्षत करते हैं क प्रबंधन द्वारा कसी भी तरह के नुकसान का प्रावधान नहीं कया गया है। हमने इस संबंध में हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण पर वश्वास कया है।

2. हम नोट संख्या 33 की ओर ध्यान आक र्षत करते हैं क ग्रेच्युटी के दायित्व का वर्तमान मूल्य रुपये 1,394 लाख है, जिसके वरुद्ध योजना परिसंप त्तयों का उ चत मूल्य रुपये 1074.34 लाख है। योजना परिसंप त्तयों के उ चत मूल्य को समायोजित करने के बाद शुद्ध दायित्व रुपये 320.52 लाख है और प्रबंधन की गणना के अनुसार आकस्मिक और बदली श्र मकों के लये प्रावधान की रा श रुपये 296.20 लाख है, जब क तुलन पत्र में कुल प्रावधान रुपये 616.72 लाख है। पहले की नीति के वपरीत, प्रबंधन ने कए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस लखने का फैसला कया है। इस लये रा श रुपये 1294.25 लाख है। इस प्रकार, लेखांकन नीति में बदलाव के कारण नुकसान रुपये 1294.25 लाख कम हो गया।

3. हम नोट संख्या 17.1 की ओर ध्यान आक र्षत करते हैं: प्राप्य दावों में कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन (ईपीएफओ) द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण पछले वर्षों में भुगतान कए गए नुकसान के लये कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन (ईपीएफओ) से देय रुपये 726.73 लाख शा मल हैं। रुपये 340.64 लाख का प्रावधान कया गया है, और शेष रुपये 386.09 लाख की रा श आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है। इन मामलों में हमारा अ भमत संशो धत नहीं है।

4. कम्पनी के वस्तु एवं सेवा कर रिकॉर्ड का लेखा पुस्तकों में दिखाई देने वाले शेष रा श से मलान नहीं कया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्रे डट लेजर के अनुसार उपलब्ध वस्तु एवं सेवा कर क्रे डट का शेष रुपये 2991.99 लाख है और पुस्तकों के अनुसार शेष रुपये 3285.02 लाख है, जिसमें रुपये 293.03 लाख का अंतर है। इसी तरह पोर्टल के अनुसार नगद खाताबही में शेष रुपये 2.53 लाख है और पुस्तकों के अनुसार यह शून्य है। उक्त अंतर के लये कोई मलान नहीं कया गया है।

5. इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है क आकस्मिक और बदली कर्मचारियों के लये अवकाश नकदीकरण का प्रावधान इस वर्ष से बनाया गया है, पछले वर्षों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। आकस्मिक और बदली कर्मचारियों के लये ग्रेच्युटी प्रबंधन गणना के अनुसार है न क वास्त वक मूल्यांकन के अनुसार। पूर्व अव ध व्यय के रूप में योग्य होने वाली रा श का पता नहीं लगाया गया है और समीक्षाधीन वत्तीय वर्ष में व्यय के रूप में दर्ज नहीं कया गया है।

चालू व्यापार से संबं धत सामग्री अनिश्चितता

हम वत्तीय ववरणों के नोट संख्या 40 की ओर ध्यान आक र्षत करते हैं, जो दर्शाता है क कम्पनी की शुद्ध संप त्त पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसने रुपये 69432.78 लाख की शेयर पूंजी के मुकाबले रुपये 83,713.85 लाख की सं चत हानि दर्ज की है। शुद्ध चालू देयता इसकी वर्तमान परिसंप त्तयों से रुपये 41556.77 लाख अ धक है और कोई सकारात्मक कार्यशील पूंजी नि ध नहीं है।

कम्पनी के वत्तीय ववरण एक वर्तमान व्यवसाय अवधारणा के आधार पर तैयार कये गये हैं, क्यों क कम्पनी ने बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आर.एम.डी.पी. के रूप में ज्ञातव्य पुनरुद्धार योजना के पश्चात पहले ही वा णज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी का व्यवसाय केवल एवं पूर्णरूपेण सरकार के बकाया के निपटान,माफी एवं सफल प्रचालन पर निर्भर है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं कया गया है, क्यों क प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद हमें उम्मीद है क परिचालन को सफलतापूर्वक पटरी पर लाया जा सकेगा।

वत्तीय ववरण एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लये कम्पनी का निदेशक मण्डल ही उत्तरदायी है। वा षक प्रतिवेदन में अन्य जानकारी सहित जानकारी सम्मि लत है, कन्तु वत्तीय ववरण एवं हमारे लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सम्मि लत नहीं है। इस अंकेक्षक के प्रतिवेदन की ति थ के पश्चात कम्पनी के अंकेक्षक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों पर हमारा अ भमत अन्य जानकारी को सम्मि लत नहीं करता है एवं हम आश्वासन निष्कर्ष के कसी भी रुप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वत्तीय ववरणों की हमारे अंकेक्षण के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है क ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें एवं ऐसा करने में, इस बात पर वचार करें क क्या अन्य जानकारी स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों या अंकेक्षण में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम कम्पनी का वा षक प्रतिवेदन पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं क इस अन्य जानकारी का कोई महत्वपूर्ण गलत ववरण है, तो हमें उन्हें, जो शासन के प्रति जिम्मेदार है, इस मामले को बताना होगा।

स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के लये शासन के साथ अ धरो पत एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल कम्पनी अ धनियम, 2013 (अ धनियम) में शा मल धारा 134 (5) के मामलों के लये उत्तरदायी है। इसमें स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों की तैयारी जिससे वत्तीय स्थिति, वत्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह पर सत्य एवं स्पष्ट वचार प्रदान कये हैं, जो कम्पनी के लेखा व ध स्तर में अ धनियम की धारा 133 में लेखा व ध सध्दांत सामान्यत: भारत में स्वीकार्य सम्मि लत है। इस उत्तरदायित्व में पर्याप्त लेखा व ध दस्तावेज शा मल है, जो कम्पनी की सुरक्षा की धारा की सु वधानुसार कम्पनी की सम्प त्त और धोखों को रोकने और उस पर नजर रखने तथा अन्य अनिय मत एवं चुनाव, उ चत लेखा व ध नीति के आवेदन, निर्णय लेने, जो क उ चत रुप रेखा, क्रयांवयन और सटीक आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के रखरखाव, जो क लेखा व ध दस्तावेजों की पूर्णता सही रुप से संचा लत था। इस जवाबदारी में वत्तीय ववरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण से संबं धत आंतरिक नियंत्रण की रुपरेखा, कार्यांवयन एवं रखरखाव सम्मि लत है, जिन्होंने सत्य एवं स्पष्ट वचार प्रदाय कये और सारयुक्त यथार्थ ववरण से स्वतंत्र हैं, चाहे धोखे या गलती के कारण आया हो।

वत्तीय ववरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कम्पनी की क्षमता का आकलन करने के लये वर्तमान समुत्थान के रूप में जारी रखने, खुलासा करने, जो लागू हो, वर्तमान समुत्थान से संबं धत मामलों और लेखांकन के लये वर्तमान समुत्थान के आधार का उपयोग करने के लये उत्तरदायी है, जब तक क निदेशक मण्डल या तो इरादा नहीं करता है क कम्पनी को परिसमापन करना या संचालन को बंद करना या ऐसा करने के लये कोई वास्त वक वकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कम्पनी की वत्तीय प्रतिवेदन प्र क्रया की देखरेख के लये जिम्मेदार है। साथ ही, लेखापरीक्षा अनुपालन मुख्य रूप से प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

वत्तीय ववरणों के अंकेक्षण के लये अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उ चत आश्वासन प्राप्त करना है क क्या समग्र रूप से वत्तीय ववरण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण एवं अंकेक्षक के प्रतिवेदन जारी करने के लये जिसमें हमारी राय भी शा मल है। उ चत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, ले कन यह गारंटी नहीं है क एस.ए. के अनुसार कया गया एक अंकेक्षण सदैव अस्तित्व में होने पर कसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत अनुमान उत्पन्न हो सकता है और माना जाता है क सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मलाकर, वे यथो चत रूप से इन वत्तीय ववरणों पर आधारित लये गये उपयोगकर्ताओं के आ र्थक निर्णयों को प्रभा वत करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

एस.ए.एस. के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पूर्ण अंकेक्षण में पेशेवर संदेह को बनाये रखते हैं। हम भी :-

- स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों की सामग्री के गलत ववरण के जो खमों को पहचानें एवं उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जो खमों के लये उत्तरदायी प्र क्रयाओं को बनावट तथा निष्पादित करें, एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे अ भमत के लये आधार प्रदान करने के लये पर्याप्त तथा उ चत हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत ववरण का पता नहीं लगाने का जो खम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अ धक है, क्यों क धोखाधड़ी में मलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मि लत हो सकती है।

- अंकेक्षण प्र क्रयाओं की रचना करने के लये अंकेक्षण से संबं धत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपना अ भमत व्यक्त करने के लये भी जिम्मेदार हैं क कम्पनी के पास स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वत्तीय नियंत्रण हैं और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा कए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबं धत खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चल रहे चंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, एवं प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबं धत सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चंता का वषय है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं क कसी सामग्री में अनिश्चितता वद्यमान है, तो हमें अपने अंकेक्षक के प्रतिवेदन में स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों में संबं धत खुलासों पर ध्यान आक र्षत करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तब हम हमारे अ भमत को संशो धत करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑ डट साक्ष्य पर आधारित हैं। तथा प, भ वष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कम्पनी को चंता का वषय बना रह सकता है।

- खुलासे सहित स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करें, तथा क्या स्वप्रमा णत वत्तीय ववरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनि धत्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य वषयों में, अंकेक्षण की योजनाबध्द वस्तार एवं समय तथा महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में कसी भी महत्वपूर्ण क मयों को सम्मि लत करते हैं, जिसे हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के साथ ऐसा कथन करते हुये उन्हें भी सहायता मुहैया कराते हैं, जो स्वतंत्रता के संबंध में प्रासं गक नैतिक आवश्यकताओं तथा उनके साथ समस्त सम्बन्धों तथा आँय मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता के लये उ चत माने गए हैं, एवं जहाँ संबं धत सुरक्षा उपाय लागू हो, का अनुपालन करते हैं।

अन्य व धक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) शर्त में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी यथावश्यक कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2020 (आदेश), के साथ हमने इस आदेश के परिच्छेद 3 एवं 4 में सीमा तक लागू वनिर्दिष्ट मामलों पर ववरण अनुलग्नक ए में दिया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अ धनियम, 2013 की 143 की उप धारा 5 के संबंध में जारी निर्देशानुसार, हम यथा निर्देश पर रिपोर्ट अनुलग्नक बी पर देते हैं।

3. अ धनियम का अनुच्छेद 143 (3) के द्वारा यथा आवश्यक, हम प्रतिवेदन करते हैं क :-

   (ए) हमने उपरोक्त योग्य अ भमत पैराग्राफ के आधार पर व र्णत मामलों को छोड़कर वे समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण देखें एवं प्राप्त कये हैं, जो हमारी अ धकतम जानकारी और वश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन के लये आवश्यक थे।

   (बी) हमारे वचार से उपरोक्त योग्य अ भमत पैराग्राफ के आधार पर व र्णत मामलों के संभा वत प्रभावों को छोड़कर व ध द्वारा यथा अपे क्षत लेखों की समु चत पुस्तकें कम्पनी के पास रखी गई हैं, जहाँ तक ऐसी पुस्तकों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

   (सी) तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और रोकड़ प्रवाह ववरण इस प्रतिवेदन के द्वारा लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

   (डी) हमारे मतानुसार, प्रारम्भिक सध्दांत में सक्षम अ भमत के लये जैसा व र्णत है, को छोड़कर, उक्त क थत वत्तीय ववरण अ धनियम के तहत सू चत, जिन्हें अ धनियम की धारा 133 के संबंध में कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जाये, मामलों की अवधारणा पैराग्राफ में दर्शाये को छोड़कर, लेखों के मानदण्डों का पालन करते हैं।

   (ई) उपरोक्त पैराग्राफ में योग्य अ भमत के लये व र्णत वषय एवं व्यापार अवधारणा, जो ऊपर पैराग्राफ व्यापार अवधारणा से संबं धत माल अनिश्चितता में व र्णत है, हमारे अ भमत में कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

   (एफ) सरकारी कम्पनी होने से अ धनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कम्पनी के निदेशकों के लये लागू नहीं होते हैं।

   (जी) खातों के रखरखाव से संबन्धित योग्यता एवं उसमें जुड़े अन्य वषयों को ऊपर दिये गये अर्हताप्राप्त पैराग्राफ के आधार तथा नीचे हमारे अनुलग्नक सी में पृथक प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

   (एच) कम्पनी के स्वप्रमा णत वत्तीय प्रतिवेदन के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रण की यथेष्टता के संबंध में हमारा प्रतिवेदन पृथक से अनुलग्नक सी पर दर्शाया गया है। हमारा प्रतिवेदन स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों पर एक संशो धत अ भमत व्यक्त करता है।

   (आई) अ धनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षक के प्रतिवेदन में शा मल कये जाने वाले अन्य वषयों के संबंध में, कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान अ धसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार सरकारी कम्पनी के लये लागू नहीं हैं।

   (जे) हमारे वचार और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथा संशो धत, के नियम 11 के अनुसार अन्य वषयों, जो अंकेक्षक प्रतिवेदन में समाहित कये गये है, के संबंध में :-

      (i) कम्पनी ने अपने वत्तीय ववरणों में लम्बित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा कया है। वत्तीय ववरणों के नोट क्र.39 का संदर्भ लें।

(ii) कम्पनी के पास अनुमानित ठेके सहित कोई दीर्घाव ध ठेका नहीं था, जिसके लये कोई भौतिक अनुमानित हानि थी।

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शक्षा एवं संरक्षण कोष, जो उन्हें हस्तांतरित कया जाना हो, उसके लये कोई रा श नहीं थी।

(iv) (ए) प्रबंधन ने प्रतिनि धत्व कया है क, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं वश्वास के अनुसार, खातों में नोट क्रमांक 46(एन) में बताये गये के अलावा, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं कया गया है (या तो उधार ली गई नि ध या अंश की कश्त से या कसी भी अन्य स्त्रोत या धन के प्रकार) कम्पनी द्वारा या कसी अन्य व्यक्तियों या इकाईयों में, वदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित, जिसे समझ, चाहे ल खत रूप में दर्ज कया गया हो या अन्यथा, क मध्यस्थ होगा, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से कसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभा र्थयों की ओर कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें;

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनि धत्व कया है क, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं वश्वास के अनुसार, खातों में नोट क्रमांक 46(एन) में बताये गये के अलावा, कम्पनी द्वारा वदेशी इकाई सहित कसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं कया गया है। (फं डंग पार्टियां), इस समझ के साथ, चाहे ल खत रूप में दर्ज कया गया हो या अन्यथा, क कम्पनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फं डंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से कसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभा र्थयों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य प्रदान करना;

(सी) अंकेक्षण प्र क्रयाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उ चत एवं उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें वश्वास हो क नियम 11(ई) के उप-खण्ड (i) एवं (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा क ऊपर (ए) एवं (बी) के तहत प्रदान कया गया, कोई भी सामग्री गलत है।

(v) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घो षत या भुगतान नहीं कया गया है। इस लये, कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vi) कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लये नेपा ल मटेड 59 में ऑ डट ट्रेल (संपादन लॉग) सु वधा की सु वधा वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करना कम्पनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है और तदनुसार, कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वत्तीय वर्ष के लये लागू है क्यों क सॉफ्टवेयर में कोई लेखा सत्यापन (सम्पादन लॉग) नहीं है, इसके लये अनुलग्नक सी देखें।

कृते,

मेसर्स ए. आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 112022W
सीए अ भषेक कोठारी | पार्टनर
सदस्यता संख्या 191911
यू.डी.आई.एन.: 24191911BKFONW3025
दिनांक: 07/08/2024
स्थान: दिल्ली

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के लये अनुलग्नक-ए

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लये नेपा ल मटेड के सदस्यों को समसंख्यक ति थ के हमारे स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में संद र्भत

(i) ए. (ए) कम्पनी पूर्ण ववरण दिखाते हुए उ चत रिकॉर्ड बनाए रखती है, हालां क, यह देखा गया है क संप त्त, संयंत्र और उपकरण के लये मात्रात्मक ववरण अलग से उपलब्ध नहीं हैं, जो बदले में संप त्त, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के उ चत संचालन को प्रभा वत करता है क्यों क मात्राएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। संप त्तयों के उ चत सत्यापन और परिमाणीकरण के लये संप त्तयों पर संप त्त कोड का भी उल्लेख नहीं कया गया है।

(बी) कम्पनी उस वर्ष के दौरान कए गए परिवर्धन/हटाए जाने के लये वा र्षक आधार पर रिकॉर्ड बनाए रखती है, जिसमें अमूर्त परिसंप त्तयों का पूरा ववरण दिखाया जाता है। ईआरपी डब्ल्यूआईपी को वर्ष 23-24 के दौरान 4,70,000/- रुपये पर पूंजीकृत कया गया था।

बी. वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कम्पनी की संप त्त, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन कया है, सवाय पूंजीगत कार्य प्रगति से संप त्त संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित की गई संप त्तयों और वर्ष के दौरान त्याग की गई संप त्तयों के ब्लॉक को छोड़कर और प्रबंधन ने हमें संप त्तयों के भौतिक सत्यापन के लये प्रमाण पत्र प्रदान कया है। हालाँ क, हमारे नमूना जाँच अवलोकन के अनुसार, परिसंप त्तयों की सेवा योग्य या गैर-सेवा योग्य के रूप में स्थिति को खातों की पुस्तकों में पूरी तरह से अद्यतन नहीं कया गया था। इस लये हम इसकी सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

सी. हमारी सर्वश्रेष्ट जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अ भलेखों के परीक्षण के आधार पर समस्त अचल परिसम्प त्तयों के शीर्षक वलेख (उन परिसंप त्तयों को छोड़कर जहाँ कम्पनी पट्टेदार है एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में व धवत निष्पादित कये गये है) वत्तीय ववरणों में कम्पनी के नाम पर रखे गये हैं।

डी. जैसा क हमें सू चत कया गया एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंप त्त, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग परिसंप त्त के अ धकार सहित) या अमूर्त परिसंप त्त या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कया है।

ई. हमारी सर्वश्रेष्ट जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अ भलेखों के परीक्षण के आधार पर बेनामी परिसंप त्त लेनदेन निषेध अ धनियम, 1988 [जिसे पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अ धनियम, 1988 के रूप में जाना जाता था) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत कसी भी बेनामी परिसंप त्त को रखने के लये कम्पनी के वरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) (ए) जैसा क हमें बताया गया है और समझाया गया है क प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन कया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की आवृ त्त बढ़ाई जानी चाहिए और व्यवसाय की प्रकृति और आकार को देखते हुए समग्र प्र क्रया को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(बी) जैसा क प्रबंधन ने हमें बताया और समझाया, कम्पनी को बैंकों या वत्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। एफ.डी.आर. के प्रतिकूल बैंक ऑफ इं डया से रुपये 1,650.09 लाख का अ ध वकर्ष लया गया।

(iii) कम्पनी ने कंपनियों, फर्मों, सी मत देयता भागीदारी या कसी अन्य पार्टियों को निवेश नहीं कया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई र क्षत या अनार क्षत ऋण अथवा अ ग्रम प्रदान कया है एवं इस लये धारा (iii) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

(iv) हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अ धनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के तहत सम्मि लत कोई ऋण एवं निवेश को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(v) कम्पनी ने धारा 73 से 76 के तहत जमा समझी रा श या कम्पनी अ धनियम के कसी भी अन्य प्रासं गक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कसी भी जमा को स्वीकार नहीं कया है। इस लये धारा (v) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

(vi) अ धनियम की धारा 148(1) के तहत लागत अ भलेखों के रखरखाव के लये केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उक्त नियमों के अनुसार निर्धारित खाते और अ भलेख बनाए और बनाए रखे गए हैं। लागत लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दी है क कम्पनी WDV लागू कर रही है ले कन वास्त वक सीधी रेखा पद्धति में।

(vii) ए. भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अंकेक्षण प्रथाओं के अनुसार हमारे द्वारा परीक्षण कये गये खातों और अ भलेखों की पुस्तकों के अनुसार, हमारा अ भमत है क कम्पनी कस्टम ड्यूटी, सामग्री एवं सेवा कर अ धनियम, व्यावसायिक कर एवं अन्य वैधानिक देयताओं सहित नि र्ववाद वैधानिक देयक उपयुक्त प्रा धकारी के पास जमा करने में निय मत रही है। हमे प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन वैधानिक देयताओं के मदों के संबंध में देय कोई भी नि र्ववाद रा श नहीं थी, जो 31 मार्च 2024 से अ धक की अव ध के लये वे देय होने के छह महीने पश्चात शेष रह गई है। (वैधानिक बकाया भुगतान एवं उसका भुगतान न करना)

बी. उप-धारा (ए) में निर्दिष्ट वैधानिक देय रा श के कारण कोई ववादित देय रा श नहीं है, जो कसी भी ववाद के कारण जमा नहीं कया गया है :-

सं व ध का नाम	अव ध	रा श (रुपये लाख में)	जहाँ से ववाद लम्बित है।
प्रवेश कर	2008-09	4.49	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल, इन्दौर
मूल्य समा वष्ट कर	2009-10	75.65	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल
प्रवेश कर	2009-10	7.16	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मूल्य समा वष्ट कर	2010-11	10.42	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल
सम्प त्त कर एवं उस पर ब्याज	1993-94 से 2022-23	202.01	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच
मण्डी कर	1998	35.95	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

(viii) प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्या पत, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं कया गया हो तथा जिसे आयकर अ धनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सम र्पत या प्रकट कया गया हो।

(ix) (ए) कम्पनी ने वत्तीय प्रतिवेदन की ति थ को सरकार के अतिदेय ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक की है, जो नीचे दर्शाया जा रहा है :-

(रा श रुपये में)

उधार की प्रकृति, ऋण प्रतिभूतियों सहित	ऋणदाता का नाम	नियत ति थ पर भुगतान नहीं कया गया	मूलधन या ब्याज	दिनों की संख्या या चुकता नहीं	टिप्पणी, यदि कोई
भारत सरकार से स्वीकृत ऋणों की संख्या	भारत सरकार		मूलधन एवं ब्याज दोनों	पहली कस्त की देय ति थ 31 मार्च 2024 है	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 02.07.2012		33,45,55,487/-		2460	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 02.07.2012		9,24,54,661/-		2460	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 18.03.2013		32,74,08,960/-		2200	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 18.03.2013		3,75,62,330/-		2200	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 19.09.2013		48,34,26,220/-		2081	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-II दिनांक 16.09.2013		9,04,40,540/-		2081	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014		29,70,77,893/-		1843	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014		3,22,91,075/-		1843	
क्र.7(13)/2013/पी.ई.VII दिनांक 07.03.2014		46,51,43,088/-		750	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014		39,02,75,824/-		1634	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014		46,66,12,794/-		1634	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 20.01.2020		411,143,004/-		435	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 23.04.2020		48,225,600/-		335	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 17.07.2020		81,983,520/-		250	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 26.08.2020		54,186,820/-		152	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.10.2020		108,440,620/-		153	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 26.11.2020		66,980,000/-		121	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 03.03.2021		64,233,820/-		384	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.01.2022		119,815,200/-		423	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022		100,588,343/-		366	
कुल		**4,072,845,799**			

(बी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कम्पनी को कसी भी बैंक या वत्तीय संस्थान या कसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्त्ता घो षत नहीं कया गया है।

(सी) वर्ष के दौरान कोई भी साव ध ऋण स्वीकृत या वतरित नहीं कया गया है। साव ध जमा ऋण के वरुद्ध अ ध वकर्ष का लाभ उठाया गया है तथा इसका उपयोग कार्यशील पूंजी और सामान्य निग मत उद्देश्य के लये कया गया है। कोई डायवर्जन नहीं देखा गया।

(डी) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई प्र क्रयाओं के अनुसार तथा कम्पनी के वत्तीय ववरणों की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं क कम्पनी द्वारा हानि की पूर्ति हेतु अल्पाव ध के आधार पर जुटाई गई कसी भी धनरा श का उपयोग दीर्घका लक उद्देश्यों के लये नहीं कया गया है।

(ई) कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है एवं इस लये धारा (ix)(ई) लागू नहीं है।

(एफ) कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है एवं इस लये धारा (ix)(एफ) लागू नहीं है।

(x) (ए) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया।

(बी) कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्र (पूर्णरूपेण, आं शक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रारम्भिक आवंटन या निजी आवंटन कया है, जिसके लये कम्पनी पंजीयक के साथ वैधानिक औपचारिकतायें अभी भी लंबित है।

(xi) (ए) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई;

(बी) कम्पनी अ धनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत केन्द्र सरकार के साथ कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT 4 में हमारे द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

(सी) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारे मतानुसार चूँ क कम्पनी नि ध कम्पनी नहीं है एवं इस लये आदेश की पैरा 3 की धारा (xii)(ए), (xii)(बी) एवं (xii)(सी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अ भलेखों के परीक्षण के आधार पर, व्यवहार, जो पार्टी से संबं धत है, जहाँ लागू है, अ धनियम की धारा 177 एवं धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन कया है एवं इस तरह के व्यवहार की वस्तृत जानकारी लेखा मानक संबं धत पार्टी के प्रकरण के अंतर्गत अपे क्षत वत्तीय ववरणों में प्रकट कर दी गई है।

(xiv) (ए) हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लेखापरीक्षा के दायरे और प्रबंधन द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों के संदर्भ में व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप नहीं है। कवरेज अनुपात और रिपोर्टिंग में सुधार की सख्त आवश्यकता है। नियुक्ति के अनुसार, रिपोर्ट अर्धवा र्षक आधार पर प्रस्तुत करने के बजाय तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जानी थी।

(बी) लेखापरीक्षा अव ध के लये आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर सां व धक लेखापरीक्षक द्वारा वचार कया गया

(xv) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अ भलेखों के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने अ धनियम की धारा 192 में संद र्भत निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ व्यवहार नहीं कया है।

(xvi) (ए) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अ धनियम, 1934 की धारा 45-आई.ए. के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अ धनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सी.ओ.आर.) के बिना कम्पनी ने कोई भी गैर बाइं कन वत्तीय या आवास वत्त गति व धयाँ संचा लत नहीं की हैं।

(सी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभा षत कम्पनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कम्पनी (सी.आई.सी.) नहीं हैं।

(डी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सी.आई.सी. नहीं है, इस लये उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xvi)(डी) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) चालू वत्त वर्ष में कम्पनी को रुपये 9572 लाख की नगद हानि हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) निदेशक मण्डल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी में, वत्तीय अनुपात, उम्रदराज एवं वत्तीय परिसंप त्तयों की वसूली की अपे क्षत ति थयों तथा वत्तीय देनदारियों के भुगतान, वत्तीय ववरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर, हमारा मत है क भौतिक अनिश्चितता अंकेक्षण रिपोर्ट की ति थ के अनुसार वद्यमान है क कम्पनी तुलन पत्र की ति थ पर वद्यमान अपनी देनदारियों को पूर्ण करने में सक्षम है एवं जब वे तुलन पत्र की ति थ से एक वर्ष की अव ध के भीतर आती हैं।

(xx) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अ भलेखों के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकता के अनुसार कम्पनी को कोई रा श व्यय करने की आवश्यकता नहीं है एवं इस लये पैरा 3 की धारा (xx) की उप-धारा (ए) एवं (बी) लागू नहीं होते हैं।

(xxi) चूं क यह रिपोर्ट कम्पनी के स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संबंध में जारी की जा रही है, इस लये उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xxi) लागू नहीं है।

कृते,

मेसर्स ए. आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 112022W

सीए अ भषेक कोठारी | पार्टनर
सदस्यता संख्या : 191911
यू.डी.आई.एन. : 24191911BKFONW3025
दिनांक : 07/08/2024
स्थान : दिल्ली

अनुलग्नक-बी

कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143 (5) में दिये शक्तियों के अनुपालन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दे शत अतिरिक्त मुद्दों पर अंकेक्षण अ भमत

क्र.	सी.ए.जी. निर्देश	अंकेक्षकों का निरीक्षण
1.	क्या आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसा धत करने के लये कम्पनी की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वत्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आई.टी. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	कम्पनी लेखांकन लेनदेन को संसा धत करने के लये फॉक्स प्रो का उपयोग करती है। सभी लेखांकन लेनदेन ऐसी आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसा धत होते हैं। हमारे अंकेक्षण के दौरान हम आई.टी. प्रणाली से बाहर संसा धत कसी भी वत्तीय लेनदेन में नहीं आये हैं। हम वत्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर निहितार्थता का पता नहीं लगा सकते हैं।
2.	वद्यमान ऋण की कोई पुनर्संरचना है या छूट के कसी भी मामले/ऋण पत्र अपलेखन/ऋणों/ ब्याज आदि को कम्पनी द्वारा ऋण चुकाने के लये कम्पनी को देय होने के कारण ऋण के लये देय है, यदि हाँ तो वत्तीय प्रभाव दर्शायें। क्या ऐसे मामलों की ठीक से गणना की जाती है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के लये भी लागू होता है)।	ऐसे कोई मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजें सयों से व शष्ट योजनाओं के लये नि ध (अनुदान/ रियायत इत्यादि) प्राप्त/प्राप्य इसकी निबंधन एवं शर्त के अनुसार ठीक से लेखा/उपयोग के लये थे? वचलन के मामले को सूचीबध्द करें।	केंद्र सरकार से व शष्ट योजनाओं के लये नि ध (अनुदान/रियायत इत्यादि) प्राप्त की गई है और नि धयों की यथो चत गणना के लये/ उपयोग उसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार कया जाता है।

कृते,
मेसर्स ए. आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 112022W

सीए अ भषेक कोठारी | पार्टनर
सदस्यता संख्या : 191911
यू.डी.आई.एन. : 24191911BKFONW3025
दिनांक : 07/08/2024
स्थान : दिल्ली

अनुलग्नक-सी

कम्पनी अ धनियम, 2013 (अ धनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 की धारा **(i)** के अंतर्गत स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने वर्ष समाप्ति के समय पर कम्पनी स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ के संयोजन में दिनांक 31.03.2024 पर नेपा ल मटेड (कम्पनी) के वत्तीय प्रतिवेदन पर वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रण अंके क्षत कया।

आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के लये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के लेखा में दर्शाये मार्गदर्शन टिप्पणी के आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य तत्वों को वत्तीय ववरणों के संदर्भ में शा मल कर कम्पनी द्वारा स्था पत वत्तीय प्रतिवेदन कसौटी पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं संभालने के लये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में रुपरेखा बनाना, यथेष्ट आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों का क्रयान्वयन एवं देखरेख करना, क वह अपने कार्य व्यापार के दक्ष मार्गदर्शन और क्रमानुरुप में सुनिश्चित करने के लये प्रभावी रुप से प्रचा लत कर रहे थे, शा मल कम्पनियों की नीतियों का आसंजन, इसकी परिसम्प त्तयों की सुरक्षा पर, धोखेबाजों अथवा त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अ भलेखों की परिपूर्णता और परिशुध्दता तथा वश्वसनीय वत्तीय सूचना की समय से तैयारी कम्पनी अ धनियम, 2013 के अंतर्गत अपे क्षत है।

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

हमारे उत्तरदायित्व, हमारे अंकेक्षण पर आधारित वत्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी के आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों पर स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में, अ भमत को अ भव्यक्त करना है। हमने अंकेक्षण का आयोजन कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत, नियत मानें और आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी अंकेक्षण पर मानक और वत्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुरुप कया है, आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के एक अंकेक्षक के वस्तृत लागू के लये, आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के एक अंकेक्षण के लये दोनों लागू और आई.सी.ए.आई. द्वारा दोनों जारी कया गया है। दोनों मानक मार्गदर्शन टिप्पणी आवश्यक है क समस्त माल के संबंधों में, क्या यथेष्ट आंतरिक वत्तीय नियंत्रण स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में वत्तीय नियंत्रणों पर स्था पत है, समु चत रखा गया है और अगर यथा नियंत्रण प्रभावी ढंग से प्रचा लत हो, के बारे में हम नीतिगत वषयों और योजना एवं उ चत आश्वासन पाने के लये अंकेक्षण में अनुपालन करें।

हमारा अंकेक्षण, वत्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रण व्यवस्था की यथेष्टता और उनकी प्रचालन प्रभा वता के बारे में, अंकेक्षण साक्ष्य को पाने के लये प्रदर्शन प्रणाली में स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में शा मल रहता है। वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रण का हमारा अंकेक्षण जिसमें स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रण की समझ को पाने, जो खम का मूल्यांकन करना ता क वस्तुगत कमजोरी निकल जाये, आंक लत जो खम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावीयता और रुपरेखा का मूल्यांकन करना, जाँच करना, शा मल है। चयन प्र क्रयाएँ अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जहाँ धोखा अथवा त्रुटि हो, स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के माल त्रुटि ववरण के जो खम का आकलन शा मल है।

हमारा मानना है क हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य वत्तीय प्रतिवेदन से अ धक स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में कम्पनी के आंतरिक वत्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण अ भमत के लये पर्याप्त एवं समु चत आधार प्रदान करते हैं।

वत्तीय ववरणों के संदर्भ में वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों का अ भप्राय

सामान्यत: स्वीकृत लेखा व ध सध्दांतों के अनुरुप बाह्य उद्देश्य हेतु वत्तीय ववरणों के संदर्भ में वत्तीय ववरणों की तैयारी और वत्तीय प्रतिवेदन की वश्वसनियता के संबंध में, एक उ चत भरोसा प्रदान करने हेतु प्र क्रया की रुपरेखा बनाई गयी है। कम्पनी का स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन पर, जिसमें दोनों नीतियाँ और प्रणाली शा मल हैं, (1) अ भलेखों की समु चत देखभाल, उ चत व वस्तृत जानकारी है, के संबंध में कम्पनी की परिसम्प त्तयों को हटाने और व्यवहार की पारद र्शता और यथार्थ झलकता है; (2) उ चत भरोसा प्रदान करना क सामान्यत: स्वीकृत लेखा व ध के सध्दांत के अनुपालन में वत्तीय ववरणों की तैयारी के लये अनुमति हेतु आवश्यकता पर व्यवहार दर्ज है और कम्पनी का व्यय और वह रसीद केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन की अ धकृतता के अनुसार बना है; तथा (3) कम्पनी की परिसम्प त्तयों की व्यवस्था करने की वत्तीय ववरणों पर माल प्रभाव अथवा प्रयोग, अना धकृत अ भव्यंजन का समय पर पता लगाना अथवा निवारण के संबंध में उ चत भरोसा प्रदान करना।

स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें

चूँ क वत्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें, त्रुटि अथवा जालसाज के कारण माल ववरणों में दोष नियंत्रणों के अपर्याप्त प्रबंधन अति संचलन अथवा दुस्सं ध की सम्भावनायें शा मल हैं, ध्यान में लाया जाये, जिसकी पड़ताल नहीं हुई है। वत्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के कसी मूल्यांकन के परियोजन, भ वष्य के समय में जो खम के अधीन है, की वत्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमा णत वत्तीय ववरणों के संदर्भ में आंतरिक वत्तीय नियंत्रण अवास्त वक हो सकता है। क्यों क परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों में अनुपालन का स्तर अथवा प्रणा लयों का ह्रास हो सकता है।

योग्य अ भमत

हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अंकेक्षण के आधार पर, दिनांक 31.03.2024 तक वत्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता में निम्न ल खत प्रत्यक्ष कमजोरियों की पहचान की गई है :-

(ए) लेखा पुस्तकों में लेखांकन प्र वष्टियाँ करने के संबंध में नियंत्रण पर्याप्त नहीं है तथा व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(बी) कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से प्रत्येक कम्पनी जो अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लये लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती है, उसे केवल ऐसे लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जिसमें ऑ डट ट्रेल (संपादन लॉग) की सु वधा हो और तदनुसार, कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं क कम्पनी द्वारा उपयोग कए जाने वाले सॉफ़्टवेयर यानी फॉक्स-प्रो में लेखा पुस्तकों में कए गए प्रत्येक परिवर्तन के लये ऑ डट ट्रेल और संपादन लॉग नहीं है, साथ ही सॉफ़्टवेयर में तारीख दर्ज नहीं की गई है। यदि ट्रेल उपलब्ध है, तो उसे संपादित/नियंत्रित कया जा सकता है।

(सी) कम्पनी के आंतरिक वत्तीय नियंत्रण में मालसूची कच्चे माल, लूज उपकरण, कलपुर्जों एवं तैयार माल शा मल हैं जो वत्तीय ववरणों में दिखाई देते हैं, धीमी/अप्रच लत मालसूची की निय मत निगरानी के संदर्भ में सुधार करने की आवश्यकता है।

(डी) कम्पनी द्वारा दिए गए व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अ ग्रम से शेष रा श की पुष्टि की प्र क्रया वक सत की जानी चाहिए; कम्पनी को अभी भी उनकी वसूली के संदर्भ में प्राप्य की सही स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। कम्पनी को परियोजना की लंबी अव ध और कम्पनी द्वारा पर्याप्त व्यय के कारण आरएमडीपी परियोजना के वक्रेताओं के साथ खाता शेष के समाधान की प्र क्रया शुरू करने की आवश्यकता है।

(ई) कम्पनी का लेखांकन सॉफ्टवेयर, देय व्यापार, प्राप्य व्यापार, कार्य-प्रगति पर पूंजी तथा प्राप्य उपार्जित आय के अंतर्गत वर्गीकृत मकान कराये की वसूली की जानकारी देने में सक्षम नहीं है।

(एफ) चेक बुक रजिस्टर का रखरखाव वभाग द्वारा नहीं कया जाता है क्यों क सभी प्र वष्टियां सीधे संगणक सस्टम में प्र वष्ट की जाती हैं। यदि चेक जारी कए गए हैं और सस्टम में दर्ज नहीं कए गए हैं तो कोई नियंत्रण नहीं है।

(जी) पुस्तकों में लंबे समय से बकाया प्रारं भक शेष हैं, जिसके लये कम्पनी के पास कोई ववरण उपलब्ध नहीं है। इसे पुस्तकों में अप ल खत/पुनः लखने की आवश्यकता है।

(एच) व भन्न वत्तीय जानकारी व भन्न वभागों के पास उपलब्ध है, कम्पनी को वत्तीय ववरणों की तैयारी के लये आवश्यक समन्वय की कमी को सशक्त करने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में वत्तीय समापन एवं रिपोर्टिंग प्र क्रया की नियंत्रण व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(आई) पछली अव ध के व्यय वर्तमान अव ध में दर्ज कए जाते हैं। इन्हें नकद आधार पर दर्ज कया जाता है।

(जे) बैंक लेन-देन रिकॉर्ड करने की प्र क्रया अपर्याप्त है। बैंक समाधान ववरण निय मत आधार पर तैयार नहीं कए जाते हैं। प्र वष्टियाँ वास्त वक समय के आधार पर अपडेट नहीं की जाती हैं। बीआरएस के सत्यापन पर, यह पाया गया क प्र वष्टियों के समाधान में काफी देरी हो रही है। वत्तीय अ भलेखों में सटीकता सुनिश्चित करने और उस अव ध के दौरान होने वाली कसी भी संभा वत समस्या या त्रुटि का निरीक्षण करने और उसे सुधारने के लये इन असंगत प्र वष्टियों को तुरंत संबो धत करना महत्वपूर्ण है।

वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रण में 'प्रत्यक्ष कमजोरी' एक कमी है, या क मयों का एक संयोजन है, जैसे क एक उ चत संभावना है क कम्पनी के वा र्षक या अंतरिम वत्तीय ववरणों की सामग्री के गलत उपयोग को समय के आधार पर रोका नहीं जायेगा या इसका पता नहीं लगाया जायेगा।

सभी वषयों में कम्पनी के ऊपर सूचीबद्ध वषयों को छोड़कर, दिनांक 31.03.2024 तक वत्तीय ववरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वत्तीय नियंत्रण बनाये रखा। भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी वत्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वत्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट में कहे गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर वचार करते हुये कम्पनी द्वारा स्था पत वत्तीय ववरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण"], और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर व र्णत सामग्री की कमजोरियों के प्रभाव/संभा वत प्रभाव को छोड़कर, वत्तीय ववरण पर कम्पनी के आंतरिक वत्तीय नियंत्रण दिनांक 31.03.2024 तक प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

हमने कम्पनी के वत्तीय ववरणों के दिनांक 31.03.2024 के अंकेक्षण में लागू प्रकृति, समयाव ध और अंकेक्षण परीक्षण की सीमा निर्धारित करने और ऊपर बताई गई प्रत्यक्ष कमजोरियों पर वचार कया है, और ये प्रत्यक्ष कमजोरियाँ कम्पनी के स्वप्रमा णत वत्तीय ववरण पर हमारे योग्य अ भमत को प्रभा वत नहीं करती हैं।

कृते,
मेसर्स ए. आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 112022W

सी.ए. अ भषेक कोठारी | पार्टनर
सदस्यता संख्या : 191911
यू.डी.आई.एन. : 24191911BKFONW3025
दिनांक : 07/08/2024
स्थान : दिल्ली

नेपा ल मटेड

नेपानगर (म.प्र.)

सी.आई.एन. : **U21012MP1947GOI000636**

दिनांक 31.03.202**4** को तुलन-पत्र

(रुपये लाख में)

ववरण		नोट	31.03.202**4** को	31.03.202**3** को
I	साम्य एवं देयतायें			
(1)	अंशधारकों की नि धयाँ			
	(ए) अंशपूँजी	2	69,432.78	69,432.78
	(बी) रिजर्व एवं अ धशेष	3	(83,717.05)	(71,040,86)
(2)	आवंटन के लये लम्बित अंश आवेदन रा श	4	3,000.00	3000.00
(3)	गैर-चालू देयतायें			
	(ए) दीर्घाव ध ऋणी	5	6594.60	9,258.80
	(बी) दीर्घाव ध प्रावधान	6	889.73	2152.75
(4)	चालू देयतायें			
	(ए) अल्पाव ध ऋणी	7	19,735.49	15,421.20
	(बी) व्यवसाय देय	8		
	(I) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की बकाया रा श	8ए	584.97	654.01
	(II) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया रा श	8बी	1,458.53	1,083.99
	(सी) अन्य चालू देयतायें	09	34,885.10	29,910.30
	(डी) अल्पाव ध प्रावधान	10	1258.00	544.40
	कुल योग		**54122.15**	**60,417.37**
II	परिसम्प त्तयाँ			
(1)	गैर-चालू परिसम्प त्तयाँ			
	(ए) संप त्त, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंप त्तयाँ	11		
	(i) संप त्त, संयंत्र एवं उपकरण	11ए	37,162.61	38,607.31
	(ii) चल रहे पूँजीगत कार्य	11बी	525.37	475.26
	(iii) वकासाधीन अमूर्त परिसम्प त्त (ई.आर.पी.)	11सी	4.70	4.70
	(बी) दीर्घाव ध ऋण एवं अ ग्रम	12	40.76	25.77
	(सी) अन्य गैर चालू परिसम्प त्तयाँ	13	51.00	50.54
(2)	चालू परिसम्प त्तयाँ			
	(ए) मालसूची	14	2,363.51	3,949.31
	(बी) व्यवसाय प्राप्य	15	508.71	498.45
	(सी) नकद एवं बैंक शेष	16	7,842.18	10,073.10
	(डी) अल्पाव ध ऋण एवं अ ग्रम	17	4,895.38	6,120.27
	(ई) अन्य चालू परिसम्प त्तयाँ	18	727.94	612.66
	कुल योग		**5412 2.15**	**60,417.37**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ		01		
वत्तीय ववरणों पर टिप्प णयाँ		02 से 46		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
एफ.आर.एन. : 112022डब्ल्यू

सी.ए. अ भषेक कोठारी
भागीदार
एम. क्रमांक 191911
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **07**.08.202**4**
यू.डी.आई.एन. : 24191911**BKFONW3025**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लये

प्रदीप कुमार नाईक,
निदेशक (वत्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. 08676709

राकेश कुमार चोखानी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन.10590173

सुश्री नि ध मश्रा
कम्पनी स चव
एम.क्र. ए53762

सी.ए. वकास रेड्डी
मुख्य वत्तीय अ धकारी

नेपा ल मटेड

नेपानगर (म.प्र.)

सी.आई.एन. : **U21012MP1947GOI000636**

दिनांक 31.03.202**4** को समाप्त वर्ष के लये लाभ-हानि ववरण

(रुपये लाख में)

ववरण	नोट	समाप्त अव ध दिनांक 31.03.202**4**	समाप्त अव ध दिनांक 31.03.202**3**
I प्रचालन से राजस्व	19	**12,458.61**	2,717.17
II अन्य आय	20	**912.57**	1,351.55
III कुल राजस्व		**13,371.18**	4,068.72
IV व्यय			
(ए) प्रयुक्त सामग्री की लागत	21	7,769.37	2,875.24
(बी) व्यवसाय में स्टॉक का क्रय	22	1,372.55	1,607.73
(सी) नि र्मत माल एवं व्यवसाय में स्टॉक की मालसू चयों में परिवर्तन	23	1,124.53	(2,559.35)
(डी) कर्मचारी हित लाभ व्यय	24	1,280.32	3,097.71
(ई) वत्तीय लागत	25	5,257.47	4,867.48
(एफ) मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	11	1,878.19	1,164.43
(जी) अन्य व्यय	26	7,364.89	3,151.46
कुल व्यय		**26,047.32**	14,204.6**8**
(V) वशेष एवं असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि)		(12,676.13)	(10,135.97)
(VI) असाधारण वस्तुएँ		-	443.63
(VII) असाधारण मदें एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(**12,676.13**)	(10,579.60)
(VIII) असाधारण मदें			
(IX) कर के पूर्व लाभ/(हानि)		--	--
(X) कर व्यय			
वर्तमान कर		--	--
वशेष कर		--	--
(XI) प्रचालन जारी रखने की अव ध के लये लाभ/(हानि)		(**12,676.13**)	(**10,579.60**)
(XII) प्रचालन बंद करने की अव ध के लये लाभ/(हानि)		--	--
(XIII) बंद प्रचालन के लये कर व्यय		--	--
(XIV) प्रचालन बंद करने की अव ध के लये लाभ/(हानि) (कर के पश्चात)		--	--
(XV) कर के पश्चात् लाभ/(हानि)		(**12,676.13**)	(**10,579.60**)
आय प्रति साम्य अंश			
मूल		(**1.03**)	(0.86)
डायल्यूटेड		(**1.03**)	(0.86)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	01		
वत्तीय ववरणों पर टिप्प णयाँ	02 से 46		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
एफ.आर.एन. : 112022डब्ल्यू

सी.ए. अ भषेक कोठारी
भागीदार
एम. क्रमांक 191911
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **07**.08.202**4**
यू.डी.आई.एन. : 24191911**BKFONW3025**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लये

प्रदीप कुमार नाईक,
निदेशक (वत्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. 08676709

सुश्री नि ध मश्रा
कम्पनी स चव
एम.क्र. ए53762

राकेश कुमार चोखानी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन.10590173

सी.ए. वकास रेड्डी
मुख्य वत्तीय अ धकारी

नेपा ल मटेड
नेपानगर (म.प्र.)
सी.आई.एन. : **U21012MP1947GOI000636**
दिनांक 31.03.202**4** तक समाप्त वर्ष के लये रोकड़ प्रवाह ववरण (रुपये लाख में)

	ववरण	समाप्त वर्ष 31.03.202**4**	समाप्त वर्ष 31.03.202**3**
ए.	**"प्रचालन गति व धयों"** से संबं धत रोकड़ प्रवाह		
	असाधारण मदों एवं कर के पूर्व शुध्द लाभ/(हानि)	(12,676.13)	(10,579.60)
	के लये समायोजन		
	अर्जित ब्याज	(494.23)	(786.05)
	मूल्यह्रास	1,878.19	1,164.43
	प्रावधान एवं देयतायें पुनः लखे गये	(0.05)	(31.74)
	स्थायी परिसम्प त्तयों के वक्रय पर (लाभ)/हानी	-	--
	ब्याज एवं वत्तीय प्रभार	5,254.41	4,867.48
		(6,037.81)	(5,365.48)
	प्रचालन लाभ (कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के पूर्व)		
	मालसू चयाँ (बढ़ोत्तरी)/कमी	1,585.80	(3,472.55)
	व्यवसाय एवं अन्य अ भग्राह्य (बढ़ोत्तरी)/कमी	(10.26)	(86.77)
	अन्य बैंक शेष (बढ़ोत्तरी)/कमी	636.44	7,400.65
	अल्पाव ध ऋण एवं अ ग्रम (बढ़ोत्तरी)/कमी	1,224.89	(1,856.00)
	अन्य चालू परिसंप त्तयों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	13.12	(30.21)
	व्यवसाय देय बढ़ोत्तरी/(कमी)	305.49	704.25
	प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(549.46)	16.25
	अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(226.65)	(1,369.73)
		2,979.36	1,305.90
	आय कर दत्त	--	--
	प्रचालन गति व धयों से नकद की प्राप्ति (ए)	**(3,058.45)**	(4,059.58)
बी.	वनियोजन गति व धयों से रोकड़ प्रवाह		
	संप त्त, संयंत्र एवं उपकरण का (क्रय)/वक्रय	(433.49)	(77.00)
	पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना में वनियोग (सी.डबल्यू.आई.पी.)	(50.11)	(2,230.93)
	वकासाधीन अमूर्त परिसंप त्तयाँ का (क्रय)/वक्रय	-	(4.70)
	दीर्घाव ध ऋण एवं अ ग्रम में (बढ़ोत्तरी)/कमी	(15.44)	2.93
	स्थायी जमा में (बढ़ोत्तरी)/कमी	613.78	3,765.46
	अर्जित ब्याज	365.83	621.61
	वनियोजन गति व धयों से नकद की प्राप्ति (बी)	**480.57**	**(2,077.37)**
सी.	वत्तीय गति व धयों से रोकड़ प्रवाह		
	बैंक अ ध वकर्ष	1,650.09	--
	वर्ष के दौरान सब्सिडी रिजर्व से अंतरण	0.05	0.05
	भारत सरकार ऋण से प्राप्ति	0.00	0.00
	ब्याज एवं वत्तीय प्रभार दत्त	(52.96)	(8.70)
	अंश आवेदन रा श से प्राप्ति	--	--
	वत्तीय गति व धयों से रोकड़ प्रवाह (सी)	**1,597.18**	(8.65)
	रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्यों में शुध्द अंतर्वहन/बहिर्गमन (ए-बी-सी)	(980.70)	(1,990.86)
जोड़े :	प्रारम्भिक रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य	2,178.98	4,169.84
	अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य	**1,198.28**	**2,178.98**

नोट :-
1. उपरोक्त नि ध प्रवाह ववरण परोक्ष प्रणाली के तहत् तैयार कये गये है। जैसा क लेखा व ध मानक - 3 रोकड़ प्रवाह ववरण में प्रद र्शत है।
2. तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष की रा श रुपये 7842.18 लाख में रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य के रुपये 1198.28 लाख (गत वर्ष के रुपये 2178.98 लाख) और अन्य बैंक शेष रुपये 6643.90 लाख (गत वर्ष के रुपये 7894.11 लाख) सम्मि लत है।
3. सीएजी अवलोकन के अनुसार अल्पाव ध साव ध जमा (तीन महीने के भीतर परिपक्व होने वाली) को "नकदी और नकदी समतुल्य" (पछले वर्ष को अन्य बैंक शेष के तहत दिखाया गया है) के रूप में वर्गीकृत कया गया है।
4. गत वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनः दर्शाये/पुनर्वर्गीकृत कये गये हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.आई. कोठारी एंड एसो सएट्स
सनदी लेखापाल
एफ.आर.एन. : 112022डब्ल्यू
सी.ए. अ भषेक कोठारी
भागीदार
एम. क्रमांक 191911
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **07**.08.202**4**
यू.डी.आई.एन. : 24191911**BKFONW3025**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लये

प्रदीप कुमार नाईक,
निदेशक (वत)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. 08676709

राकेश कुमार चोखानी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन.10590173

सुश्री नि ध मश्रा
कम्पनी स चव
एम.क्र. ए53762

सी.ए. वकास रेड्डी
मुख्य वत्तीय अ धकारी

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लये वत्तीय ववरण पर टिप्प णयाँ

नोट क्रमांक 01

निग मत जानकारी

नेपा ल मटेड (कम्पनी) भारत की एक अग्रणी अखबारी कागज बनाने वाली कम्पनी 30000 टी.पी.ए. की संस्था पत क्षमता के साथ आरम्भ हुई है, जो मध्यप्रदेश में बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री पं डत जवाहरलाल नेहरु ने इस मल को दिनांक 26.04.1956 को राष्ट्र को सम र्पत कया था। कम्पनी ने चरणबध्द तरीके से वर्तमान संस्था पत क्षमता 88000 टन प्रतिवर्ष तक वस्तार कया।

संस्थान की तकनीक एवं संयंत्र पाँच दशक से अ धक पुराने हैं और प्रचालन में अवरोध/अड़चनें थी। वर्ष 1996 में म.प्र. व.मं. (मध्यप्रदेश वद्युत मण्डल) द्वारा वद्युत आपूर्ति वसंयोजन कर देने और वनोपज कच्चेमाल की अत्य धक कमी के कारण वर्ष 1997 से कम्पनी डी.आई.पी. (डी-इं कंग प्लांट) के बिना, जो स्याही वाले रिकवर्ड पेपर की प्र क्रया के लये आवश्यक है, रिकवर्ड पेपर की रिसाइक लंग की ओर मुड़ी, जिसके कारण कम्पनी लगातार हानि में चली गई।

कम्पनी ने मार्च 2014 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुध्दार एवं मल वकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को दिनांक 22.08.2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लया है। कम्पनी को पुनर्जी वत करने एवं वत्तीय संकट को कम करने के लये आर.एम.डी.पी. के अंतर्गत एक नये 300 टी.पी.डी. डी-इं कंग प्लांट की स्थापना एवं पेपर मशीन तथा कैप्टिव पावर प्लांट का नवीनीकरण कया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा व ध नीतियाँ

1. तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार

कम्पनी के वत्तीय ववरण लेखांकन के आकस्मिक एवं लेखा मानकों के साथ निर्दिष्ट ऐतिहा सक लागत एवं चंता के आधार पर तथा सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखा सध्दांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत कये जा चुके हैं। कम्पनी, कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 133, जिसे कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जायें, के अंतर्गत लेखा व ध मानकों के संबं धत सामग्री के अनुसार वत्तीय ववरण तैयार कर चुकी है।

लेखा नीति कम्पनी द्वारा निरंतर लागू है और पछले वर्ष में भी निरंतर प्रयोग हुआ है। समस्त परिसम्प तयाँ और देयतायें चालू और गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत हैं। कम्पनी के प्रचालन तंत्र और अन्य मानदण्ड अनुसूची III, समतुल्य रोकड़ सूची और रोकड़ तथा प्र क्रयाधीन एक लये उत्पाद की प्रकृति और समय एवं परिसम्प त्त के अ धग्रहण के बीच है। कम्पनी 12 महीने के इसके प्रचालन तंत्र के रुप में परिसम्प तयों एवं देयताओं के चालू तथा गैर-चालू वर्गीकरणों के उद्देश्य के लये सुनिश्चित कर चुकी है।

2. अनुमान का उपयोग

वत्तीय ववरण की तैयारी में सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखा सध्दांतों (जी.ए.ए.पी.) अनुमान एवं पूर्वानुमान के साथ अनुरुपता है, जो परिसम्प तयों और दायित्वों की प्रतिवेदित रा शयों को प्रभा वत करने एवं आकस्मिक परिसम्प तयों तथा दायित्वों का खुलासा एवं वत्तीय ववरणों की ति थ पर दायित्वों को प्रभारित करते हैं। वास्त वक परिणाम अनुमानित से भन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भ वष्य की अव ध में संभा वत रूप से मान्यता प्राप्त है।

3. परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.)

(i) मान्यता एवं मापन

पी.पी.ई. को करों/शुल्कों की लागत के आधार पर प्रारं भक मान्यता पर मापा जाता है, क्रे डट का लाभ उठाया जाता है, यदि कोई हो, तथा बाद में कम सं चत मूल्यह्रास एवं सं चत हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर कया जाता है।

पी.पी.ई. की लागत में अर्हक परिसम्प त्त के अ धग्रहण, निर्माण या प्रस्तुतीकरण के लये सीधे जिम्मेदार ऋणी लागत सम्मि लत है। अर्हक परिसम्प त्त वे परिसम्प त्तयाँ हैं जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लये तैयार होने के लये पर्याप्त समय लेती हैं।

पी.पी.ई. की परिभाषा को पूरा करने वाले मशीनरी पुर्जों को परिसंप त्त के प्रमुख मद के उपयोगी जीवनकाल पर पूँजीकृत एवं मूल्यह्रास कया जाता है।

संयंत्र एवं मशीनरी के साथ क्रय कये गये कलपूर्जों या इसके पश्चात जो मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, को ऐसे मदों की परिसम्प त्त की वहन रा श में पूँजीकृत एवं जोड़ा जाता है। उन कलपूर्जों की वहन रा श को बदल दिया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से कोई भ वष्य के आ र्थक लाभ की अपेक्षा नहीं की जाती है। अन्य मशीनरी पुर्जों को भंडार और पुर्जों के रूप में मालसू चयों का भाग माना जाता है।

फुटकर औजारों को जारी कये जाने वाले वर्ष में उपभोग करने के लये उनके जीवनकाल के बावजूद प्रभारित कया जाता है।

(ii) अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती लागत को परिसम्प त्त की वहन रा श में सम्मि लत कया जाता है या एक अलग परिसम्प त्त के रूप में पहचाना जाता है, जब उ चत हो, तभी यह संभव है क मदों से जुड़े भ वष्य के आ र्थक लाभ कम्पनी को मलेंगे एवं मदों की लागत को स्थायिता से मापा जा सकता है। प्रतिवेदन अव ध के दौरान लाभ या हानि ववरण के लये अन्य समस्त मरम्मत एवं रखरखाव का शुल्क लया जाता है जिसमें वे सम्मि लत होते हैं।

(iii) अमान्यता

पी.पी.ई. के एक मद को निपटान पर या जब कसी भ वष्य के आ र्थक लाभ की अपेक्षा नहीं की जाती है तो मद के निरंतर उपयोग से उत्पन्न होता है। पी.पी.ई. के मद के निपटान या निवृ त्त पर उत्पन्न होने वाले कसी भी लाभ या हानि को वक्रय की आय एवं रा श के बीच अंतर के रूप में निर्धारित कया जाता है तथा यह उस अव ध में लाभ एवं हानि ववरण में पी.पी.ई. की अमान्यता प्राप्त है।

(iv) मूल्यह्रास

मूल्यह्रास की गणना सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके कम्पनी अ धनियम के अनुसार 95% अ धगृहण लागत पर परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की लागत पर की जाती है। शेष रा श का 5% मूल्य पुस्तकों में रखा गया है।

तथा प, निम्न ल खत परिसम्प त्तयों के वषय में, जिनके उपयोगी जीवन का निर्धारण प्रबंधन द्वारा तकनीकी आँकलन के आधार पर कया गया है, इस प्रकार है :-

परिसम्प त्त का प्रकार	मूल्यह्रास के लये अव ध
संयंत्र एवं मशीनरी तथा वाटर वर्क्स	18 वर्ष
रेलवे साइ डंग	18 वर्ष
डीज़ल जनरेटर सेट	10 वर्ष
ट्रेक्टर एवं तेल इंजन	10 वर्ष
अग्निशमन उपकरण	10 वर्ष

प्रत्येक वत्तीय वर्ष के अंत में अव शष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन तथा परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्यह्रास के पद्धतियों की समीक्षा की जाती है और यदि उ चत हो, तो समायोजित कया जाता है।

4. अमूर्त परिसम्प त्तयाँ

प्राप्त अमूर्त

अमूर्त परिसम्प त्तयों को प्रारम्भ में लागत पर आंका जाता है। इस तरह की अमूर्त परिसम्प त्तयाँ बाद में लागत कम सं चत परिशोधन एवं कसी भी सं चत हानि नुकसान पर आंकी जाती है।

अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती व्यय को तभी पूँजीकृत कया जाता है, जब यह उस व शष्ट परिसम्प त्त में सन्निहित भ वष्य के आ र्थक लाभों को बढ़ाता है जिससे यह संबं धत होता है। अन्य समस्त व्यय, लाभ एवं हानि ववरण में मान्यता प्राप्त है जब कभी व्यय कया जाता है।

परिशोधन

परिशोधन की गणना अमूर्त परिसम्प त्तयों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी मूल्यों से कम करने के लये की जाती है, जो क सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके उनके अनुमानित उपयोगी जीवन से कम है और इसे लाभ एवं हानी ववरण में मूल्यह्रास और परिशोधन में सम्मि लत कया गया है।

परिशोधन व ध, उपयोगी जीवन और अव शष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वत्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उपयुक्त होने पर समायोजित की जाती है।

अमान्यता

एक अमूर्त परिसम्प त्त की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले नुकसान या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और परिसंप त्त की वहन रा श के बीच अंतर के रूप में आंका जाता है तथा परिसम्प त्त के अमान्य होने पर लाभ एवं हानि के ववरण में मान्यता प्राप्त होती है।

5. चल रहे पूँजीगत कार्य

(i) निर्माणाधीन परिसम्प त्तयों पर व्यय (आर.एम.डी.पी. परियोजना सहित) चल रहे पूँजीगत कार्य के तहत लागत पर कया जाता है। इस तरह की लागतों में आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य करों सहित परिसम्प त्त का क्रय मूल्य सम्मि लत हैं, व्यापार छूट और छूट में कटौती के पश्चात तथा लागत जो सीधे स्थान के लये परिसम्प त्त लाने के लये और इसके लये आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा संचा लत तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लये आवश्यक हैं।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लये सीधे जिम्मेदार लागत में कर्मचारियों के लाभों की लागत, सर्वेक्षण और परियोजनाओं की जांच गति व धयों के संबंध में व्यय, साइट की तैयारी लागत, प्रारं भक वतरण और हैंड लंग शुल्क, स्थापना और वधानसभा लागत, पेशेवर शुल्क, उन्नयन पर व्यय, आम जनता की सु वधाओं के अलावा, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली परिसंप त्तयों पर मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज और परियोजनाओं के निर्माण के लये अन्य लागतें शा मल हैं। इस तरह की लागत 'चल रहे पूँजीगत कार्य' के तहत जमा होती है एवं बाद में परियोजनाओं के प्रवर्तन पर भू म तथा बुनियादी सु वधाओं के अलावा प्रमुख परिसम्प त्तयों पर व्यवस्थित रूप से आवंटित की जाती है।

(iii) सु वधाओं के निर्माण के लये कया गया पूँजीगत व्यय, जिस पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, ले कन परियोजनाओं के निर्माण के लये मुख्य रूप से निर्माण आवश्यक है, को 'चल रहे पूँजीगत कार्य' और ए.एस. 16-परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण वशेषता क्षमता तथा 'मापन की ईकाई' के मद्देनजर, परियोजनाओं के प्रवर्तन पर, भू म एवं संरचना सु वधाओं के अलावा अन्य प्रमुख परिसम्प त्तयों के आधार पर बाद में व्यवस्थित रूप से आवंटित कया जाता है। परियोजना के पूरा होने के पश्चात इस तरह की प्रकृति का व्यय, लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित कया जाता है।

6. मालसूची

(i) मालसूची की मदों को अप्रचलन के लये प्रदान करने के पश्चात लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर आंका जाता है, यदि कोई हो। मालसूची की लागत में क्रय की लागत, परिवर्तन की लागत एवं निर्माण लागत सहित अन्य वसूली योग्य करों के शुध्द उपरिव्यय को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में सम्मि लत हैं।

(ii) कच्चे माल, भण्डार एवं पुर्जों, पै कंग सामग्री तथा अन्य उत्पादों के मामले में उपयोग की जाने वाली लागत सूत्र भारित औसत लागत है।

(iii) मार्गस्थ कच्चा माल, मार्गस्थ स्टोर एवं निरीक्षणाधीन, कल पुर्जे, प्र क्रया में स्टॉक, मालसूची प्रत्यक्षतः आरोपणीय लागत के सध्दांत पर मूल्यां कत की जाती हैं।

(iv) पेट्रोल, डीज़ल, स्नेहक तेल एवं अतिरिक्त प्री मयम पेट्रोल के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर लागत पर कया जाता है।

(v) कोले के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर कया जाता है।

(vi) स्क्रैप के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन (वक्रय मूल्य वक्रय पर कसी भी व्यय को घटाकर) शुध्द वसूली योग्य मूल्य के रूप में कया जाता है।

(vii) कोल संडर का भण्डारण और स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित प्राप्य मूल्य के सध्दांत पर कया जाता है। अनुमानित प्राप्य मूल्यगत वत्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान वक्रय की गई मात्रा की औसत दर है। यदि पछली तिमाही में कोई वक्रय नहीं आया, तब पछली तिमाही की औसत दर का मूल्यांकन के लये वचार कया गया है।

(viii) अखबारी कागज के स्व-उपभोग एवं अस्वीकृत पुराने स्टॉक को फर से पल्पिंग करने के लये कोई समायोजन नहीं कया गया है।

(ix) मालसू चयों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कमी/अ धकता को उपभोग के लये समायोजित कया जाता है।

(x) बीमा पुर्जों को छोड़कर भण्डार एवं पुर्जों की मदों के संबंध में जो पांच साल से अ धक समय तक नहीं चले हैं, अप्रचलन भत्ता के लये पूर्ण प्रावधान बनाया गया है।

7. वदेशी वनिमय व्यवहार

(i) वदेशी मुद्राओं में संप्रे षत लेन-देन सामान्य रूप से लेन-देन के समय प्रच लत वनिमय दर पर दर्ज कए जाते हैं।

(ii) वर्ष के अंत में वदेशी मुद्राओं में निग मत की गई मौद्रिक मदों को समापन वनिमय दर पर अनुवादित कया जाता है और परिणामी वनिमय अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

8. राजस्व मान्यता

राजस्व को सामग्री एवं सेवा कर की मान्यता प्राप्त है, इस सीमा तक रिबेट एवं छूट तथा वैट मलता है क यह संभव है क कम्पनी को आ र्थक लाभ होगा तथा राजस्व को मज़बूती से आंका जा सकता है।

आय को बकाया रा श और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

9. अनुसंधान एवं वकास

अनुसंधान एवं वकास व्यय, प्रयोगशाला सु वधा पर होने वाले व्यय और संबं धत स्टॉफ वेतन व्यय अनुसंधान एवं वकास व्यय के अंतर्गत लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित कये गये हैं।

10. आ र्थक सहायता एवं अनुदान

राजस्व प्रकृति की अनुवृत्ती एवं अनुदान को मान्यता दी जाती है जहां उ चत आश्वासन होता है क उद्यम उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा और जहां उद्यम द्वारा इस तरह के लाभ अर्जित कये गये हैं तथा यह तर्कसंगत रूप से निश्चित है क अंतिम संग्रह कया जायेगा। मध्यप्रदेश हाऊ संग बोर्ड से प्राप्त आ र्थक सहायता को लाभ हानि ववरण में स्थानांतरित की गई शुध्द रा श दर्शाई गई है। स्कूल स्टाफ के वेतन के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त सहायता को शाला व्यय से शुध्द वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि ववरण में अन्य व्ययों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

11. क्रय एवं वक्रय के अनुबंध से उत्पन्न दावे

आपूर्ति और सेवाओं के लये वक्रेता/ठेकेदारों को प्राप्त योग्य या उन्हें देय दावें जो परिसमापन, नुकसान में बढ़ोत्तरी, ब्याज इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई है तथा जहाँ सम्बन्धित क्रय/कार्य आदेश की शर्तों के तहत् प्रदान नहीं कये गये हैं उनका समावेश अंतिम निपटारे के समय रखा गया है। वक्रय के ठेके के लये ऐसे ही समान दावों का समावेश अंतिम निपटारे के आधार पर रखा गया है।

12. व्ययों का वनियोजन

कोयला, भण्डारों और कल पूर्जों को वास्त वक उपभोग के आधार पर व भन्न व्यय मदों जैसे ऊर्जा उत्पादन, वनिर्माण व्यय, मरम्मत और अनुरक्षण में निर्धारित कये गये हैं। इसी प्रकार स्थापना संबंधी खर्चों को वास्त वक आधार पर नगरीय और सामाजिक उपरिव्यय एवं अन्य प्रकार के खर्चों में निर्धारित कया गया है।

13. ऋणी लागत

ऋणी लागत, जो वशेषक परिसम्प त्तयों के अ धग्रहण अथवा निर्माण के लये सीधी आरोपणीय है, को ऐसी परिसम्प त्तयों की लागत के भाग के रुप में पूँजी में परिणत कया गया है। वशेषक परिसम्प त्त वह है, जो अपने अभीष्ट उपयोग के लये तैयार रहने के लये आवश्यक रुप से पर्याप्त समयाव ध लेती है। अन्य सभी ऋणी लागत लाभ एवं हानि ववरण में उस अव ध के लये प्रभारित की गई है, जिनमें वे लये गये हैं।

14. कर्मचारी हित लाभ व्यय

अल्पाव ध कर्मचारी हित लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय समस्त कर्मचारी हित लाभों को अल्पाव ध कर्मचारी हित लाभों के रूप में वर्गीकृत कया जाता है तथा लाभ एवं हानि के ववरण के रूप में एक आकस्मिक आधार पर अघो षत रा श पर व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

परिभा षत हित लाभ योजनायें

(i) कम्पनी की उपादान हित लाभ योजना परिभा षत हित लाभ योजना है। कम्पनी की उपादान योजना के संबंध में शुध्द बाध्यता भ वष्य की हित लाभ की रा श के अनुसार यह क कर्मचारी ने जो कमाया यह उनकी वर्तमान एवं पूर्ण अव ध की सेवाओं के लये वापसी है, पर परिकल्पित है। योजना परिसम्प त्तयों के वर्तमान मूल्य एवं उ चत मूल्य के निर्धारण करने में कटौती के लये हित लाभ में छूट दी गई है।

(ii) उपयुक्त परिभा षत योजना के तहत् बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण परियोजना इकाई प्रत्यय पध्दति को अपनाते हुये बीमां कक आधार पर कया गया है।

(iii) बाध्यता का मापन भ वष्य की अनुमानित रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापन कया गया है। परिभा षत हित लाभ योजना के तहत बाध्यता के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लये उपयोग की गई कटौती दर तुलन पत्र की ति थ पर सरकार की प्रतिभूतियों पर बाजार वृध्दि पर आधारित है।

(iv) बीमां कक लाभ एवं हानियों को तुरंत वर्ष के अंत में बनने वाले लाभ एवं हानि ववरण में अ भज्ञात कया गया है।

(v) उपदान एवं अन्य रोजगार पश्चात लाभों के संबंध में देयता की गणना अनुमानित इकाई प्रत्यय पध्दति का उपयोग करके की जाती है और उस अव ध में फैलती है जिसके लाभ कर्मचारियों की सेवाओं के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।

परिभा षत अंशदान योजनायें

भ वष्य नि ध आयुक्त द्वारा प्रशा सत अंशदायी भ वष्य नि ध परिभा षत अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत दत्त/देय कम्पनी के योगदान को उस अव ध के दौरान लाभ और हानि के ववरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कर्मचारी संबं धत सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा कम्पनी स्वैच्छिक अंशदान के रूप में कर्मचारियों के लये कर्मचारी डी- लंक बीमा का भुगतान करती है।

15. रोकड़ प्रवाह ववरण

रोकड़ प्रवाह ववरण लेखा व ध स्तर में अप्रत्यक्ष सध्दांत 3 को प्रयोग करते हुये तैयार कया गया है। रोकड़ प्रवाह ववरण , जो कम्पनी के प्रचालन, निवेश एवं वत्तीय गति व धयों से रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

16. कर निर्धारण

(i) चालू करों का मापन लागू कर दरों एवं कर नियमों का उपयोग कर रहे कर प्रा धकारियों को भुगतान की जाने वाली अपे क्षत रा श (से वसूली) पर कया गया है।

(ii) सभी समय के अंतरों के लये पुस्तकों में आस्थ गत कर को मान्यता दी जानी है। यह इस सद्धांत पर आधारित है क कसी अव ध के लये वत्तीय ववरणों को उस अव ध में होने वाले सभी लेनदेन के कर प्रभाव, चाहे वर्तमान हो या आस्थ गत, को मान्यता देना पहचानना चाहिये।

तथा प, आस्थ गत कर परिसम्प त्तयों को मान्यता दी जानी चाहिये एवं केवल इस हद तक आगे बढ़ाया जाना चाहिये क एक उ चत निश्चितता है क भ वष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके वरूध्द ऐसी आस्थ गत कर परिसम्प त्तयाँ सा धत हो सकती है।

इस प्रकार कम्पनी ने कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के कारण कम्पनी को आस्थ गत कर के लये प्रदान नहीं कया है, जिससे व्यवसाय हानि और अपघटित मूल्यह्रास कया गया है क्यों क कोई ठोस साक्ष्य नहीं है क भ वष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो, जिसके वरूध्द ऐसी आस्थ गत कर परिसम्प त्तयाँ सा धत हो सकती है, कया गया हो।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें एवं आकस्मिक परिसम्प त्तयाँ

(i) प्रावधान खातों में तब मान्य है जब पुरानी घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान बाध्यता हो और यह सम्भावना है क बाध्यता की पूर्ति और एक तर्कसंगत अनुमान मल सके, इसके लये संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है। प्रावधान उनकी वर्तमान मूल्य पर अगणनीय है और प्रतिवेदित ति थ के समय बाध्यता की पूर्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ आवश्यक अनुमान के आधार पर निर्धारित है। ये अनुमान प्रत्येक प्रतिवेदित ति थ पर पुनरी क्षत है और चालू श्रेष्ठ अनुमानों को प्रकट करने के लये समायोजित कये हैं।

(ii) आकस्मिक देयतायें सम्भा वत बाध्यता है, जो पुरानी घटनाओं से उत्पन्न है, जिनकी वद्यमानता एक अथवा अ धक अनिश्चित भ वष्य की घटना है, जो कम्पनी अथवा वर्तमान बाध्यता के नियंत्रण से परे उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा पुष्टि होगी, जो मान्य नहीं है, क्यों क यह सम्भावना नहीं है क बाध्यता की पूर्ति हेतु संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा। आकस्मिक देयतायें भी नितांत ही बिरले प्रकरण में उत्पन्न होती है, जहाँ यह दायित्व है क जिसे मान्य नहीं कर सकते क्यों क इसका मापन तर्कसंगत नहीं हो सकता। कम्पनी ने आकस्मिक देयतायें मान्य नहीं कये है, परंतु वत्तीय ववरणों में इनका खुलासा कया है।

(iii) आकस्मिक परिसम्प त्तयों को न तो मान्य कया है और न ही वत्तीय ववरणों में खुलासा कया है।

18. प्रति साम्य अंश अर्जन

कम्पनी अपने सामान्य अंशों के लये मूल और तनूकृत अर्जन प्रति अंश (ई.पी.एस.) आधार सामग्री प्रस्तुत करती है। अव ध के दौरान बकाया साधारण अंशों की भारित औसत संख्या के आधार पर कम्पनी के सामान्य अंशधारकों के लये लाभ या हानि को वभाजित करके मूल ई.पी.एस. की गणना की जाती है। तनूकृत ई.पी.एस. सामान्य अंशधारकों के कारण लाभ या हानि को समायोजित करके एवं सभी संभा वत तनुकृती सामान्य अंशों के प्रभावों के लये समायोजन के पश्चात शेष सामान्य अंशों की भारित औसत संख्या को निर्धारित कया जाता है।

19. पट्टे

पट्टेदार के रूप में कम्पनी पट्टों को वर्गीकृत करती है, जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे के कार्यकाल पर स्वा मत्व के सभी अ धकारों एवं लाभों को काफी हद तक बनाये रखता है। प्रचालन पट्टा कराये को पट्टा अव ध से अ धक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

20. प्रचालन चक्र

कम्पनी अपने प्रचालन चक्र के आधार पर चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्प त्तयों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह माह की मान्यता दी है।

ए. कसी परिसम्प त्त को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब :-

(ए) सामान्य प्रचालन चक्र में मान्य कये जाने या वक्रय कये जाना या उपभुक्त होना अपे क्षत हो;

(बी) मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लये रखी हो;

(सी) प्रतिवेदन अव ध के पश्चात बारह माह के भीतर मान्य कया जाना अपे क्षत हो; अथवा

(डी) प्रतिवेदन अव ध के पश्चात कम से कम बारह माह के लये वनिमय करने या देयता का निपटान करने हेतु उपयोग करने से प्रतिबं धत होने तक रोकड़ या रोकड़ समतूल्य।

अन्य सभी परिसम्प त्तयों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत कया गया है।

बी. देयता चालू है जब :-

(ए) यह सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित होना अपे क्षत हो;

(बी) यह मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लये रखी हो;

(सी) यह प्रतिवेदन अव ध के पश्चात बारह माह के भीतर व्यवस्थित होने के कारण हो; अथवा

(डी) प्रतिवेदन अव ध के पश्चात कम से कम बारह माह के लये देयता के निपटान को स्थ गत करने का कोई बिना शर्त अ धकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत कया गया है।

21. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

वत्तीय ववरणों की तैयारी हेतु अनुमानों एवं निर्णयों को बनाने के लये प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो वत्तीय ववरणों की ति थ तथा प्रस्तुत अव धयों के लये आय एवं व्यय की रिपोर्ट के अनुसार परिसंप त्तयों एवं देनदारियों तथा प्रकटीकरण की प्रतिवेदित की गई शेष रा श को प्रभा वत करते हैं। वास्त वक परिणाम व भन्न मान्यताओं एवं शर्तों पर वचार करने वाले अनुमानों से भन्न हो सकते हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन के कारण प्रभाव उस अव ध में माने जाते हैं जिसमें अनुमान संशो धत कये जाते हैं एवं भ वष्य की अव ध प्रभा वत होती है।

(i) व्यवसाय प्राप्य की प्राप्तता

व्यवसाय प्राप्तियों का हानि प्रावधान चूक एवं अव ध के जो खम के संबंध में मान्यताओं पर आधारित है। कम्पनी पूर्व वृतांत, वद्यमान बाजार स्थितियों एवं साथ ही प्रत्येक प्रतिवेदित अव ध के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर मान्यताओं को बनाने में निर्णयों का उपयोग करती है।

(ii) प्रावधान

प्रावधान और दायित्व उस अव ध में माने जाते हैं जब यह संभव हो जाता है क पछले कार्यों या घटनाओं के परिणामस्वरूप धन का भ वष्य में बहिर्वाह होगा एवं नकद बहिर्वाह की रा श का अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व की मान्यता एवं मात्रा निर्धारण के समय को वद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के लये निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकता है। प्रावधानों एवं देनदारियों की मात्रा की निय मत रूप से समीक्षा की जाती है तथा बदलते तथ्यों एवं परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।

नेपा ल मटेड

नेपानगर (म.प्र.)

दिनांक 31.03.20**24** को समाप्त वर्ष के लये वत्तीय ववरण पर टिप्प णयाँ

नोट क्रमांक 02

अंशपूँजी (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.202**4** को	रा श 31.03.202**3** को
I	प्रा धकृत अंश पूँजी		
	(ए) 1,29,83,40,000 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/-		
	(गत वर्ष 108,00,00.000 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/-	64,917.00	64,917.00
	(बी) 15,08,300, 7% गैर संचयी अ धमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-	15,083.00	15,083.00
	(गत वर्ष 15,08,300, 7% गैर संचयी अ धमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-)		
	(लेखों पर टिप्पणी का नोट क्र.29 देखें)	80,000.00	80,000.00
II	निर्ग मत, अ भदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
	(ए) 1,23,54,89,564 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता		
	(गत वर्ष 1,07,86,69,564 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता)	61,774.48	61,774.48
जोड़े :	समपहरण साम्य अंश		
	97,780 (97,780) साम्य अंश प्रत्येक रुपये 10/- पूर्ण चुकता	4.30	4.30
		61778.78	**61778**.78
	(बी) 7% गैर संचयी अ धमान्य अंश 7,65,400 प्रत्येक रुपये 1000/-		
	(गत वर्ष 7,65,400 अ धमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-)	7,654.00	7,654.00
	योग (ए + बी)	6**9,432**.78	6**9,432**.78
III	सममूल्य प्रति अंश		
	1,23,54,89,564 साम्य अंश	रुपये 5/अंश	रुपये 5/अंश
	7% 7,65,400 गैर संचयी अ धमान्य अंश	रुपये 1000/अंश	रुपये 1000/अंश
IV	प्रतिवेदन अव ध के आरम्भ एवं समाप्ति के समय अदत्त अंशों की संख्या का समाधान		

ववरण		31.03.202**4** को	31.03.202**3** को
(I)	साम्य अंश प्रत्येक रुपये **5**/- पूर्ण चुकता		
	प्रारम्भिक शेष	1,23,54,89,564	1,07,86,69,564
	जोड़े : वर्ष के दौरान अंश आवंटित	-	15,68,20.000
	अंतिम शेष	1,23,54,89,564	1,23,54,89,564
(II)	7% गैर संचयी अ धमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- पूर्ण चुकता		
	प्रारम्भिक शेष	7,65,400	7,65,400
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी	--	--
	घटाएँ : वर्ष के दौरान कम हुआ	--	--
	अंतिम शेष	7,65,400	7,65,400
	योग	1**,23,62,5**4,964	1**,23,62,5**4,964

नोट :- 1. कम्पनी ने भुगतान नहीं होने के कारण पूर्ववर्ती वर्षों में 97780 साम्य अंशों (मूल चुकता रा श रुपये 10/अंश थी) को जब्त कया।

ई. कम्पनी के पास दो प्रकार के अंश है, जिनका ववरण निम्नानुसार है :-

साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- - साम्य अंश का प्रत्येक धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्य अंशों के धारक सभी अ धमान्य रा शयों के वतरण के पश्चात, कम्पनी की कसी भी शेष परिसम्प त्त को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

संचयी अ धमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- - अ धमान्य अंशधारकों को वोट देने का अ धकार नहीं है, कन्तु उन्हें साम्य अंशधारकों को लाभांश के भुगतान में वतरण से पहले प्राथ मकता है एवं कम्पनी की कसी भी शेष परिसम्प त्त को प्राप्त करने का अ धकार है। उस समय भी लाभांश (कम्पनी के हानि के कारण पूर्व में छूट गया) प्राप्त करने का अ धकार है, जब कम्पनी लाभ की स्थिति में होगी।

एफ. कम्पनी में सामूहिक अंशों की 5% से अ धक अंशधारिता

क्र.	ववरण	अंशों की संख्या 31.03.202**4**	% अंशधारिता	अंशों की संख्या 31.03.202**3**	% अंशधारिता
	साम्य अंश प्रत्येक रुपये **5/-**				
(I)	केन्द्र सरकार	1,20,42,97,344	97.48%	1,20,42,97,344	97.48%
	7% गैर संचयी अ धमान्य अंश				
(II)	केन्द्र सरकार अ धमान्य अंश	7,65,400	100.00%	7,65,400	100.00%

जी. प्रवर्तकों की अंशधारिता

वर्ष के अंत तक प्रवर्तकों द्वारा अंश धारण (साम्य अंश)				
क्रमांक	प्रवर्तक का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1.	भारत के राष्ट्रपति	1,20,42,97,344	97.48%	0.00%
2.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	3,05,37,290	2.47%	कोई परिवर्तन नहीं
कुल		1,23,48,34,634	99.95%	

वर्ष के अंत तक प्रवर्तकों द्वारा अंश धारण (अ धमान्य अंश)				
क्रमांक	प्रवर्तक का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,65,400	100%	कोई परिवर्तन नहीं
कुल		7,65,400	100%	

नोट क्रमांक 03

निग्रह एवं अ धशेष (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
ए.	अनुवृ त्त निग्रह		
	प्रारम्भिक शेष	0.39	0.44
	जोड़े : वर्ष के दौरान वृध्दि/(अंतरण)	(0.05)	(0.05)
	अंतिम शेष	0.34	0.39
बी.	लाभ एवं हानि प्रपत्र में शुध्द हानि		
	वर्ष के प्रारम्भ में शुध्द हानि	(71,041.25)	(60,461.65)
	जोड़े : वर्ष के दौरान हुये लाभ/(हानि)	(12,676.13)	(10,579.60)
	वर्ष के अंत में शुध्द हानि	(83,717.39)	(71,041.25)
	योग	**(83,717.05)**	**(71,040.86)**

नोट 03.01

रुपये 0.05 लाख का अंतरण (गत वर्ष के रुपये 0.05 लाख) जो पूर्व वर्षों में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त सहायता से नि र्मत 100 निय मत दो कमरे वाले भवनों के जीवनकाल के समानुपाती भाग इस योजना के अंतर्गत नि र्मत स्थायी परिसम्प त्त है।

नोट क्रमांक 04

आवंटन के लये लम्बित अंश आवेदन रा श (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
(ए)	आवंटन के लये लम्बित साम्य अंश आवेदन	-	
(बी)	आवंटन के लये लम्बित 7% गैर संचयी अ धमान्य अंश	3,000.00	3,000.00
	(लेखों पर टिप्प णयों के नोट क्र.26.11 का संदर्भ लें) योग	3,000.00	**3,000**.00

ए. निबंधन एवं शर्तें :- वर्ष के दौरान, सरकार से प्राप्त नि धयों का उपयोग पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना के कार्यान्वयन के लये कया जायेगा।

बी. निर्ग मत कये जाने वाले प्रस्ता वत अंशों की संख्या 3,00,000 रुपये 1000/- प्रत्येक के 7% गैर संचयी अ धमान्य अंश।

सी. अव ध जिसके पहले अंश आवंटित कये जाने हैं : आवंटन कम्पनी के अंशधारकों से अनुमोदन के पश्चात कया जाना है, कोई समय अव ध परिभा षत नहीं है।

नोट क्रमांक 05

दीर्घाव ध ऋणी (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
	असुर क्षत ऋण		
	भारत सरकार (योजनागत एवं गैर-योजनागत ऋण)	6,594.60	9,258.80
	योग	**6,594.60**	9,258.80

दीर्घाव ध ऋणी के पुनर्भुगतान की शर्तें

ववरण	ऋण की कुल अव ध	कस्त की आवृ त्त	अदत्त रा श	ब्याज की दर
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 20.01.2020	5 वर्ष	वा र्षक	15,30,40,389.20	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020	5 वर्ष	वा र्षक	4,32,00,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020	5 वर्ष	वा र्षक	7,34,40,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020	5 वर्ष	वा र्षक	4,85,40,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020	5 वर्ष	वा र्षक	9,71,40,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020	5 वर्ष	वा र्षक	6,00,00,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021	5 वर्ष	वा र्षक	5,75,40,00,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.01.2022	5 वर्ष	वा र्षक	6,88,00,000.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	5 वर्ष	वा र्षक	5,77,59,600.00	13.50%

नोट क्रमांक 06

दीर्घाव ध प्रावधान (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
1.	उपादान के लये प्रावधान	277.47	1,531.00
2.	अवकाश नकदीकरण के लये प्रावधान	612.26	621.75
	योग	**889.73**	**2,152.75**

नोट क्रमांक 07

अल्पाव ध ऋणी (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
असुर क्षत ऋण			
1.	दीर्घाव ध ऋण की वर्तमान परिपक्वता	18,085.40	15,421.20
2.	बैंक उधार		
	एफ.डी.आर. के प्रतिकूल अ ध वकर्ष	1650.09	-
	योग	19,735.49	15,421.20

भारत सरकार के ऋण के पुनर्भुगतान में चूक (रा श रुपये में)

ववरण	कुल रा श	मूल रा श	पेनल ब्याज सहित ब्याज	अतिदेय कश्तों की संख्या	कब से चूक
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 02.07.2012	33,45,55,487	11,29,00,000	22,16,55,487	5.00	06.07.2017
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 02.07.2012	9,24,54,661	3,12,00,000	6,12,54,661	5.00	06.07.2017
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 18.03.2013	32,74,08,960	11,68,00,000	21,06,08,960	5.00	23.03.2018
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 18.03.2013	3,75,62,330	1,34,00,000	2,41,62,330	5.00	23.03.2018
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 19.09.2013	48,34,26,220	17,96,00,000	30,38,26,220	5.00	20.07.2018
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-II दिनांक 16.09.2013	9,04,40,540	3,36,00,000	5,68,40,540	5.00	20.07.2018
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014	29,70,77,893	11,50,00,000	18,20,77,893	5.00	15.03.2019
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014	3,22,91,075	1,25,00,000	1,97,91,075	5.00	15.03.2019
क्र.7(13)/2013/पी.ई.VII दिनांक 07.03.2014	46,51,43,088	17,18,00,000	29,33,43,088	5.00	12.03.2020
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014	39,02,75,824	15,90,00,000	23,12,75,824	5.00	10.10.2019
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014	46,66,12,794	19,01,00,000	27,65,12,794	5.00	10.10.2019
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 20.01.2020	41,11,43,004	15,30,40,389	25,81,02,615	2.00	21.01.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020	4,82,25,600	1,44,00,000	3,38,25,600	1.00	01.05.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020	8,19,83,520	2,44,80,000	5,75,03,520	1.00	25.07.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020	5,41,86,820	1,61,80,000	3,80,06,820	1.00	31.10.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020	10,84,40,620	3,23,80,000	7,60,60,620	1.00	30.10.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020	6,69,80,000	2,00,00,000	4,69,80,000	1.00	01.12.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021	6,42,33,820	1,91,80,000	4,50,53,820	1.00	13.03.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.01.2022	11,98,15,200	6,88,00,000	5,10,15,200	2.00	02.02.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	10,05,88,343	5,77,59,600	4,28,28,743	2.00	31.03.2023
योग	**4,07,28,45,799**	**1,54,21,19,989**	**2,53,07,25,810**	**-**	**-**

दीर्घाव ध ऋण की वर्तमान परिपक्वता

ववरण	कुल रा श	मूल रा श
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 20.01.2020	7,65,20,195	7,65,20,195
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020	1,44,00,000	1,44,00,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020	2,44,80,000	2,44,80,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020	1,61,80,000	1,61,80,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020	3,23,80,000	3,23,80,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020	2,00,00,000	2,00,00,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021	1,91,80,000	1,91,80,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.01.2022	3,44,00,000	3,44,00,000
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	2,88,79,800	2,88,79,800
योग	26,**64,19,995**	26,**64,19,995**
कुल योग	**4,33,92,65,794**	1,**80,85,39,984**

नोट क्रमांक 07.01

उपार्जित एवं देय तथा दीर्घाव ध ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं पर उपार्जित कन्तु देय नहीं ब्याज को अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत कया गया है।

नोट क्रमांक 08

व्यावसायिक देय (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
8(ए)	सूक्ष्म उपक्रमों एवं लघु उपक्रमों की कुल बकाया रा श	584.97	654.01
8(बी)	सूक्ष्म उपक्रमों एवं लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया रा श	1,458.53	1,083.99
	योग	**2,043.50**	1,**738.00**

नोट : **8**.01

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम वकास अ धनियम, 2006 की धारा 16 अथवा अन्य कोई सं वदागत बाध्यता के तहत वर्तमान वर्ष अथवा गत वर्षों में कोई ब्याज देय नहीं आया था।

i)	कसी भी आपूर्तिकर्ता की ओर देय मूल रा श एवं ब्याज अदत्त नहीं है, जो क एम.एस.एम.ई.डी. अ धनियम के तहत अंतर्निहित कया गया है।		
	मूल	584.97	654.01
	ब्याज	--	--
ii)	एम.एस.एम.ई.डी. अ धनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा ब्याज की रा श प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को कए गए भुगतान की रा श के साथ।	--	--
iii)	भुगतान करने में देरी की अव ध के लये देय और देय ब्याज की रा श एमएसएमईडी अ धनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना (जो भुगतान कया गया है ले कन वर्ष के दौरान नियुक्त दिन पर कब्जा कर लया गया है) भुगतान करने में देरी।	--	--
iv)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष अदत्त रा श पर ब्याज की रा श	--	--
v)	आगे आने वाले वर्षों में देय और देय रा श भी, जब तक क उपरोक्त दिनांक तक ब्याज नहीं मलता है, वास्तव में लघु उद्यम को एम.एस.एम.ई.डी. अ धनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में भुगतान कया जाता है।	--	--

पुराने व्यावसायिक देय

वत्तीय वर्ष 202**3**-2**4** (रुपये लाख में)

ववरण	भुगतान की देय ति थ से निम्न ल खत अव धयों के लये बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अ धक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.		584.97	-	-	-	584.97
(ii) अन्य	348.09	221.96	4.14	3.63	880.67	1,458.49
(iii) ववादित बकाया						
एम.एस.एम.ई.						
(iv) ववादित बकाया						
अन्य						

वत्तीय वर्ष 202**2**-2**4** (रुपये लाख में)

ववरण	भुगतान की देय ति थ से निम्न ल खत अव धयों के लये बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अ धक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	649.68	4.33	-	-	-	654.01
(ii) अन्य	104.08	161.42	4.42	5.68	808.39	1083.99
(iii) ववादित बकाया						
एम.एस.एम.ई.						
(iv) ववादित बकाया						
अन्य						

नोट क्रमांक **9**

अन्य चल देयतायें (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
1.	उपार्जित ब्याज एवं देय (भारत सरकार के ऋण पर)		
	- ब्याज	10,588.20	8,982.23
	- अतिदेय कश्त पर पेनल ब्याज सहित ब्याज	20,045.08	15,648.92
2.	उपार्जित ब्याज एवं देय नहीं (भारत सरकार के ऋण पर)		
	- ब्याज	411.62	517.83
	- अतिदेय कश्त पर पेनल ब्याज सहित ब्याज	441.82	1,136.31
3.	ठेकेदार,अ भकर्ता,ग्राहकों एवं अन्य से जमा	786.17	786.68
4.	ग्राहकों से अ ग्रम	15.47	40.71
5.	आर.एम.डी.पी. परियोजना के लये लेनदार	2,110.44	2,286.20
6.	आर.एम.डी.पी. परियोजना के सुरक्षा जमा	159.16	238.77
7.	अन्य देय	327.13	272.66
	योग	34,885.10	29,910.30
	अन्य देय के संबंध में		
	वैधानिक देयतायें	195.71	207.60
	अन्य लेनदार	131.42	65.06
	योग	327.13	272.66

नोट क्रमांक 10

अल्पाव ध प्रावधान (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
	अवकाश नकदीकरण के लये प्रावधान	183.30	164.43
	ग्रेच्युटी के लये प्रावधान (वर्तमान देयताएं)	339.25	379.97
	देयता,परिसंप त्तयों की गैर वसूली के लये प्रावधान	735.45	0.00
	योग	1258.00	544.40

नोट क्रमांक-11 स्थायी परिसम्प तयाँ (रुपये लाख में)

ववरण	सकल समूह लागत पर				घटाएँ मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल समूह	
	01.04.2023 को	जुडना	कमी	31.03.2024 को	01.04.2023 को	वर्ष के लये	पुनः लखे गये	31.03.2024 तक	31.03.2024 को	31.03.2023 को
नोट क्र.11 ए										
मूर्त परिसम्प तयाँ										
(ए) पट्टे पर दी गई परिसम्प तयाँ										
पट्टा धारित भू म	2.50	-	-	2.50	1.88	-	-	1.88	0.62	0.62
(बी) स्वा मत्व वाली परिसम्प तयाँ										
फ्री होल्ड भू म	2.58	-	-	2.58	-	-	-	-	2.58	2.58
भवन	1,382.28	-	-	1,382.28	1,019.47	12.70	-	1,032.17	350.11	362.81
संयंत्र एवं उपकरण	42,875.54	406.47	-	43,282.01	7,251.19	1,728.03	-	8,979.22	34,302.79	35,624.35
फर्नीचर एवं जुडनार	235.63	2.27	-	237.90	192.77	6.13	-	198.90	39.00	42.86
कार्यालय उपकरण	58.50	7.56	-	66.06	44.20	2.55	-	46.75	19.31	14.30
कम्प्यूटर उपकरण	125.45	11.46	-	136.91	109.06	7.80	-	116.86	20.05	16.39
वाहन	10.50	-	-	10.50	9.88	-	-	9.88	0.62	0.62
रेलवे पार्श्व	412.93	-	-	412.93	323.83	11.37	-	335.20	77.73	89.10
जल संयंत्र	2650.03	5.73	-	2,655.76	295.13	109.61	-	404.74	2,251.02	2,354.90
सड़कें एवं सेतु	51.69	-	-	51.69	49.14	-	-	49.14	2.55	2.55
पुस्तकालय की पुस्तकें	0.37	-	-	0.37	0.35	-	-	0.35	0.02	0.02
उपे क्षत परिसम्प तयाँ	186.57	-	-	186.57	90.36	-	-	90.36	96.21	96.21
योग (ए)	**47,994.57**	**433.49**		**48,428.06**	**9,387.26**	**1878.19**	**-**	**11,265.45**	**37,162.61**	**38,607.31**
गत वर्ष (ए)	**9,649.71**	**38,344.86**	**-**	**47,994.57**	**8,222.83**	**1,164.43**	-	**9,387.26**	**38,607.31**	**1,426.88**
नोट क्र. 11 बी										
चालू दशा में पूँजीगत कार्य										
परिनिर्माणाधीन संयंत्र एवं मशीनरी	475.26	50.11	-	525.37	-	-	-	-	525.37	475.26
योग (बी)	**475.26**	**50.11**	**-**	**525.37**	-	-	-	-	**525.37**	475.26
गत वर्ष (बी)	**35,971.63**	**2,230.93**	**37,727.30**	**475.26**	-	-	-	-	**475.26**	475.26
नोट क्र. 11 सी										
वकासाधीन अमूर्त परिसंप तयाँ	**4.70**	-	-	**4.70**	-	-	-	-	**4.70**	**4.70**
गत वर्ष (सी)	-	**4.70**	-	**4.70**	-	-	-	-	**4.70**	**4.70**
कुल योग (ए + बी)	**48,474.53**	**483.60**	**-**	**48,958.13**	**9,387.26**	**1,878.19**	**-**	**11,265.45**	**37,692.68**	**39,087.27**
गत वर्ष कुल योग (ए + बी + सी)	**45,621.34**	**40,580.49**	**37,727.30**	**48,474.53**	**8,222.83**	**1,164.43**	**-**	**9,387.26**	**39,087.27**	**1,906.84**

नोट क्र. 11.01

नोट 46(डी) में प्रगति में पूंजीगत कार्य की अनुसूची एवं 46(ई) में वकासाधीन अमूर्त परिसंप तयों का उल्लेख कया गया है।

नोट क्रमांक 12

दीर्घाव ध ऋण एवं अ ग्रम (रुपये लाख में)

	ववरण		रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
1.	आर.एम.डी.पी. परियोजना के लये पूँजी अ ग्रम		40.76	25.77
		योग	40.76	25.77
	12 (ए)			
	र क्षत अच्छा माना गया		-	-
	अर क्षत अच्छा माना गया		40.76	25.77
	संदिग्ध		-	-
		योग	40..76	25.77

नोट क्रमांक 13

अन्य गैर चालू परिसंप तयाँ (रुपये लाख में)

	ववरण		रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
1.	स वस कनेक्शन के लये सुरक्षा जमा		1.85	1.40
2.	अन्य प्रा धकारियों के पास जमा		19.41	19.41
3.	असम्मति सहित वक्रय कर चुकता		15.68	15.68
4.	वसूली योग्य वक्रय कर		14.06	14.06
		योग	51.00	50.54

नोट क्रमांक 14

मालसू चयाँ (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को		रा श 31.03.2023 को	
	कच्चा माल	273.67		787.53	
	घटायें : मूल्य में कमी के लये प्रावधान	-	273.67	-	787.53
					2,478.94
	नि र्मत माल का भण्डार (वर्ष की समाप्ती पर)		1,394.24		-
	व्यवसाय के लये भण्डार				
	(ए) पेट्रोल		10.64		15.77
	(बी) डीजल		15.30		11.70
	(सी) स्नेहक तेल		1.25		2.65
	(डी) पेट्रोल एक्स.पी.		15.93		16.68
	भण्डार एवं पूर्जे				
	(ए) चल भण्डार एवं पूर्जे		318.76		174.27
	(बी) 5 वर्ष या अ धका के लये अचल मदें	517.11		502.46	
	घटायें : अपरिवर्तनशील मदों के लये प्रावधान	(517.11)	0.00	(502.46)	0.00
	खुदरा औजार		4.92		4.10
	अन्य				
	ए) कोल संडर		152.65		191.30
	बी) कोयला		116.73		209.46
	सी) स्क्रेप माल		59.43		56.93
	योग		**2363.51**		**3,949.31**

नोट :- यदि कोई हो तो, सूची की वस्तुओं को अप्रचलन के लये प्रावधान करने के बाद लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मापा जाता है।

नोट क्रमांक 15

प्राप्ति योग्य व्यावसायिक (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
15.1	सुर क्षत एवं अच्छा माना गया	-	0
15.1	असुर क्षत, अच्छा माना गया	137.93	4.30
15.2	संदिग्ध	878.78	781.66
	घटायें : संदिग्ध देनदारी के लये प्रावधान	(508.00)	(287.51)
	योग	**508.71**	**498**.45

ऊमदराज व्यावसायिक प्राप्तियाँ

वत्तीय वर्ष 2023-24 (रुपये लाख में)

ववरण	भुगतान की देय ति थ से निम्न ल खत अव धयों के लये बकाया						
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अ धक	योग
(i) अ ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – अच्छा माना गया	-	137.93		0	-	-	137.93
(ii) अ ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – संदिग्ध माना गया	-	97.12	0	98.61	196.35	494.69	878.77
(iii) ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – अच्छा माना गया							
(iv) ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – संदिग्ध माना गया							

वत्तीय वर्ष 2021-22 (रुपये लाख में)

ववरण	भुगतान की देय ति थ से निम्न ल खत अव धयों के लये बकाया						
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अ धक	योग
(i) अ ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – अच्छा माना गया	-	4.30	-				4.30
(ii) अ ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – संदिग्ध माना गया	-	43.48	47.34	106.95	89.39	494.70	781.66
(iii) ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – अच्छा माना गया							
(iv) ववादित व्यवसाय प्राप्तियाँ – संदिग्ध माना गया							

नोट क्रमांक 16

रोकड़ एवं बैंक शेष (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श 31.03.2024 को	रा श 31.03.2023 को
रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य			
(ए)	हस्तगत रोकड़		
	1. रोकड़ पुस्तिका (प्रशासकीय कार्यालय)	2.13	2.50
	2. मल के अन्य वभाग के पास हस्तगत रोकड़	-	4.97
(बी)	अनुसूची बैंकों में शेष – चालू खाता	415.28	375.12
(सी)	तुलन पत्र शीट की तारीख से 3 महीने में परिपक्व होने वाली एफडीआर	780.87	1,796.39
	योग	**1,198.28**	**2,178.98**
अन्य बैंक शेष			
(डी)	अनुसूची बैंकों के पास स्थायी जमा	1,891.26	2,540.90
(ई)	अन्य बैंक में जमा रा श बैलेंस (बैंक गारंटी के वरुद्ध)	566.01	530.15
(एफ)	निलम्ब खातों में शेष	4,1860.63	4,823.07
	योग	**6,643.90**	**7,894.11**
	कुल योग	**7,842.18**	**10,073.10**

नोट क्रमांक 16.1

उपांत रा श के रुप में बैंक द्वारा धारित स्थायी जमा के साथ अनुसूची बैंकों में साव ध जमा

(ए) बैंक अ ध वकर्ष

(बी) बैंक गारंटी

नोट क्रमांक 17

अल्पाव ध ऋण एवं अ ग्रम (रुपये लाख में)

	ववरण		रा श 31.03.2024 को		रा श 31.03.2023 को
अनार क्षत					
1.	स्वदेशी क्रय एवं अन्य के पक्ष में अ ग्रम				
	- अच्छा माना गया	0.41		1.91	
	- संदिग्ध	0.71		0.71	
	घटायें : अशोध्य एवं संदिग्ध देनदारी के लये प्रावधान	(0.71)	0.41	(0.71)	1.91
2.	त्यौहारी अ ग्रम		27.14		22.09
3.	कागज पर उप कर के लये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास जमा		0.05		0.05
4.	स्त्रोत से एकत्रित आय कर		335.42		281.35
5.	वक्रेता द्वारा एकत्रित टी.सी.एस.		6.88		5.17
6.	पूर्व दत्त व्यय		24.92		41.56
7.	7 (ए) एम.पी.पी.के.वी.वी.सी.एल. के पास सुरक्षा जमा	120.65		168.30	
	7 (बी) ग्राहकों एवं अन्य प्रा धकारियों के पास जमा	64.74		3.75	
	घटायें : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लये प्रावधान	(4.45)	180.94	(4.45)	167.60
8.	प्राप्ति योग्य दावा	850.45		850.45	
9.	घटायें: अशोध्य एवं संदिग्ध दावों के लये प्रावधान	(13.18)	837.27	(13.18)	837.27
10.	प्राप्ति योग्य वस्तु एवं सेवा कर		3,300.11		3,550.40
11.	अन्य अ ग्रम				
	(ए) अच्छा माना गया		1,81.90		1,212.56
	(बी) संदिग्ध	128.38		128.38	
	घटाये : संदिग्ध ऋण एवं अ ग्रम के लये प्रावधान	(128.06)	0.32	(128.06)	0.32
		योग	**4,895.38**		**6,120.27**

नोट क्रमांक 17.1

प्राप्य दावें, जिनमें कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन के द्वारा लगाई गई शास्ति खाते पर पूर्व वर्षों में चुकता की गई क्षति के लये ई.पी.एफ.ओ. से देय रुपये 726.73 लाख सम्मि लत है और इन्हें प्राप्ययोग्य दिखाया गया है, क्यों क कम्पनी का यह मत है क इसके लये दी गई राहत बी.आई.एफ.आर. द्वारा दी गई है, और 386.09 लाख रुपये के लये न्यायालीन प्रकरण चल रहा है और शेष रा श के लये प्रावधान बनाया गया है।

नोट क्रमांक 18

अन्य चालू परिसम्प तयाँ (रुपये लाख में)

	ववरण		रा श 31.03.202 को		रा श 31.03.2021 को
1.	बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज		433.42		305.02
2.	प्राप्त आय (नगरीय कराये की अदत्त वसूली)	315.44		328.55	
	घटायें : संदिग्ध वसूली के पक्ष में प्रावधान	(20.92)	294.52	(20.92)	307.64
		योग	**727.94**		**612.66**

नोट क्रमांक **19**

प्रचालन से राजस्व (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
ए	उत्पादों के वक्रय से राजस्व		
	अखबारी कागज का वक्रय	10,854.96	803.31
	पेट्रोल, डीजल, स्नेहक एवं अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल का वक्रय	1,391.38	1,627.71
	योग (ए)	**12,246.34**	2**,431.02**
बी	अन्य परिचालन राजस्व		
	कोल संडर का वक्रय	41.36	77.45
	स्क्रेप का वक्रय	134.39	190.86
	उत्पादन एवं अप शष्ट स्लज का वक्रय	36.43	17.83
	योग (बी)	**212.27**	**286**.15
	योग (ए + बी)	12,458.61	2,717.17

नोट क्रमांक **20**

अन्य आय (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
1.	जल आपूर्ति से आय	97.12	90.62
2.	अर्जित ब्याज	494.23	786.05
3.	नगरीय आय	219.68	224.86
4.	मे डकल वभाग से प्राप्तियाँ	18.85	15.60
5.	दायित्व के लये प्रावधान अप ल खत कये गये	-	-
6.	प्रावधान और दायित्व अप ल खत कये गये	38.81	152.84
7.	अन्य गैर प्रचालन आय	43.89	81.57
	योग	**912.57**	1**,351.55**

नोट क्रमांक 21

उपभुक्त माल की लागत (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
	उपभुक्त माल की लागत	7,769.37	2,875.24
	योग	**7,769.37**	2**,875.24**

नोट क्रमांक 22

व्यवसाय में भण्डार का क्रय (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
	पेट्रोल, डीजल एवं स्नेहक का क्रय	1,372.55	1,607.73
	योग	1,372.55	1**,607.73**

नोट क्रमांक 23

नि र्मत माल की मालसू चयों एवं व्यवसाय में भण्डार में परिवर्तन (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण		समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
ए	वर्ष की समाप्ति पर मालसू चयाँ			
	(ए)	वनिर्माणी माल		
	1.	कोल संडर	152.65	191.30
	2.	नि र्मत माल	1,394.24	2,478.94
	3.	उत्पादन अप शष्ट एवं स्क्रेप	59.43	56.93
	(बी)	व्यावसायिक माल		
	1.	अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल (एक्स.पी.)	15.93	16.68
	2.	पेट्रोल	10.64	15.77
	3.	डीज़ल	15.30	11.70
	4.	स्नेहक	1.25	2.65
		योग ए	**1,649.43**	**2,773.96**

बी	वर्ष के आरम्भ में मालसू चयाँ			
	(ए)	वनिर्माणी माल		
		1. कोल संडर	191.30	179.40
		2. नि र्मत माल	2,478.94	-
		3. उत्पादन अप शष्ट एवं स्क्रेप	56.93	
	(बी)	व्यावसायिक माल		
		1. अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल (एक्स.पी.)	16.68	11.78
		2. पेट्रोल	15.77	11.15
		3. डीज़ल	11.70	11.49
		4. स्नेहक	2.65	0.79
		योग बी	**2,773.96**	**214.61**
निवल (वृध्दि)/कमी (बी – ए)			**1,124.53**	(2,**5**59.3**5)**

नोट क्रमांक 24

कर्मचारियों के हित लाभ व्यय (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
1.	वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	1,973.90	2,029.68
2.	भ वष्य नि ध एवं अन्य कोषों में अंशदान	230.13	230.26
3.	उपादान	(1,233.48)	461.64
4.	अवकाश नकदीकरण	174.96	238.37
5.	स्टॉफ कल्याण व्यय	61.79	58.53
6.	च कत्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	73.02	79.23
	योग	**1,280.32**	3**,097.71**

नोट क्रमांक 24.01

च कत्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
1.	कर्मचारियों को च कत्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	26.98	27.02
2.	बाह्य च कत्सा दावों की प्रतिपूर्ति	37.79	38.44
3.	केजुअल/बदली कर्मचारियों को च कत्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	7.70	9.06
4.	सं वदागत कर्मचारियों को स्थानीय बिलों की प्रतिपूर्ति	0.55	4.71
	योग	**73.02**	**79**.23

नोट क्रमांक 25

वत्तीय लागत (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.202**4**	समाप्त अव ध 31.03.202**3**
1.	सरकारी ऋण पर ब्याज	5,201.45	4,858.78
2.	बैंक ऋण पर ब्याज	52.96	0.00
3.	बैंक प्रभार	3.05	8.68
4.	पेंशन पर नुकसान का भुगतान	-	0.02
	योग	**5,257.47**	**4,867.48**

नोट क्रमांक 25.01

भारत सरकार के ऋण पर ब्याज ऋण की शर्तों के अनुसार प्रदान कया गया है। हालाँक, कम्पनी ने BIFR द्वारा स्वीकृत योजना के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार इस पर छूट मांगी है।

नोट क्रमांक 26

अन्य व्यय (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.2024	समाप्त अव ध 31.03.2023
1.	उपभुक्त भण्डार एवं कल पूर्जे	177.65	67.47
2.	उपभुक्त रसायन	496.59	169.64
3.	वद्युत एवं ईंघन	4,234.49	2,209.47
4.	बीमा	41.66	42.99
5.	सुरक्षा स्टाफ व्यय	110.03	79.49
6.	व ध एवं व्यावसायिक प्रभार	116.79	96.81
7.	अंकेक्षकों को भुगतान	2.79	3.38
8.	दरें एवं कर	7.94	8.04
9.	मरम्मत एवं अनुरक्षण	232.90	104.52
10.	वाहनों का कराया प्रभार	34.44	38.88
11.	अनुसंधान एवं वकास व्यय	1.70	6.77
12.	वद्युत प्रभार	11.57	11.57
13.	कारख़ाना कार्यालय सामान्य व्यय	115.59	71.01
14.	प्रकाश एवं सफाई	9.59	3.44
15.	सम्प तयों के वक्रय पर हानि	-	-
16.	वक्रय पर कमीशन	3.51	4.29
17.	भाड़ा एवं उध्दरण प्रभार	2.80	-
18.	सभा व्यय	6.50	0.67
19.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यय	7.52	38.00
20.	कोयला न उठाने पर कोयला जुर्माने का प्रावधान	270.00	-
21.	पी.एफ. वभाग से प्राप्त होने वाले दावे के लये प्रावधान	340.64	-
22.	भ वष्य नि ध दंड का प्रावधान	249.46	-
23.	त्यागी गई परिसंप तयों के लये प्रावधान	96.21	-
24.	नगर पा लका, नेपानगर से प्राप्य हेतु प्रावधान	220.49	-
25.	लम्बे समय से बकाया जमारा श के लये प्रावधान	49.14	-
26.	भंडार को संभालने के लये ऊपरी व्यय	187.0	22.99
27.	आई.टी.सी. के प्रत्यावर्तन पर भुगतान कया गया वस्तु एवं सेवा कर	94.16	-
28.	ई.टी. प्लांट के लये उपभोग भंडार	40.74	-
29.	कारखाना की सफाई का खर्च	19.98	12.20
30.	व वध व्यय (आवर्त के 1% से कम)	182.81	159.82
	योग	**7,364.89**	**3,151.46**

नोट क्रमांक 26.01

वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.2024	समाप्त अव ध 31.03.2023
1.	वैधानिक अंकेक्षण फीस	1.75	1.75
2.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.50	1.06
3.	कर अंकेक्षण फीस	0.25	0.25
4.	लागत अंकेक्षक फीस	0.29	0.32
	योग	**2.79**	**3.38**

नोट क्रमांक 26.02

मरम्मत एवं अनुरक्षण (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	समाप्त अव ध 31.03.2024	समाप्त अव ध 31.03.2023
1.	संयंत्र एवं मशीनरी	144.72	42.60
2.	भवन	36.29	54.25
3.	अन्य परिसम्प तयाँ	51.89	7.68
	योग	**232.90**	104.52

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लये वत्तीय ववरण पर टिप्प णयाँ

27. औद्यो गक एवं वत्तीय पुनर्निर्माण मण्डल (बी.आई.एफ.आर.) कार्यान्वयन स्थिति

27.1 कम्पनी वर्ष 1998 में प्रकरण क्र.502/1998 द्वारा बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत थी। बी.आई.एफ.आर. ने प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) यानी भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को नेपा ल मटेड के लये एक वस्तृत पुनरूध्दार योजना (डी.आर.एस.) तैयार करने का निर्देश दिया था।

27.2 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग वभाग (डी.एच.आई.) के पत्र क्र. 7(8)/2009-पी.ई.-VII दिनांक 25.09.2012 के द्वारा दिनांक 06.09.2012 को नेपा ल मटेड के पुनरुद्धार के लये रुपये 1,02,596 लाख के कुल पैकेज के लये अपनी स्वीकृति दी। पुनरुद्धार योजना को बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित कया गया था और दिनांक 04.03.2014 को कार्यवाही का अंतिम सारांश अ भलेख जारी कया गया था।

27.3 कार्यवाही के अंतिम सारांश अ भलेख के अनुच्छेद 18.7 को इस प्रकार पढ़ा जाये "कम्पनी का भारत सरकार के ऋण रुपये 23,101 लाख तथा मध्यप्रदेश शासन एवं उसके निगमों के रूप में रुपये 2,884 लाख का बकाया तथा उन्हें नये सरे से प्राप्त करने के लये तथा पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के लये रुपये 28,500 लाख के कुल पूँजीगत व्यय के भाग के वत्त पोषण को पूर्ण करने के लये रुपये 15,700 लाख की साम्य और उसके बाद मध्यप्रदेश शासन के देयताओं पर वचार करने के बाद इक्विटी अनुमान को समाप्त करने के लये सहमत हुये।"

27.4 इसके अलावा, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.एफ./5/2002/10-3 दिनांक 25.02.2012 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन ने मेसर्स एम.पी.पी.के.वी.वी.सी.एल. के वद्युत प्रभार एवं वद्युत शुल्क तथा वा णज्यिक कर एवं प्रवेश कर देयकों की रा श रुपये 2,884 लाख को साम्य में परिवर्तन के लये सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। रुपये 2,884 लाख के उक्त देयकों के रुपये 10/- प्रत्येक अं कत मूल्य पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम पर नेपा ल मटेड की साम्य पूँजी में परिवर्तन के लये मध्यप्रदेश शासन ने आदेश दिनांक 07.04.2015 के द्वारा अंतिम स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, पत्र क्र.7 (13)/2013-पी.ई.-VII दिनांक 08.08.2016 के द्वारा डी.एच.आई. ने भी मध्यप्रदेश शासन के रुपये 2,884 लाख के देयकों के नेपा ल मटेड के साम्य अंश में परिवर्तन के लये स्वीकृति प्रदान की गई।

27.5 कम्पनी के पुनरुद्धार के लये मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस.) के अनुसार, भारत सरकार ने रुपये 15,700 लाख चार कस्तों में अर्थात दिनांक 27.03.2014 को रुपये 810 लाख, दिनांक 26.12.2014 को रुपये 5,000 लाख, दिनांक 23.10.2015 को रुपये 5,099 लाख एवं दिनांक 31.03.2016 को रुपये 4,791 लाख की नवीन साम्य उत्प्रेरण जारी की है।

27.6 व भन्न राहत हेतु योजना के लये नियत ति थ 31.03.2012 थी, परंतु कुछ राहतें अभी भी संबं धत अ धकारियों द्वारा अनुमोदन के लये वचाराधीन हैं एवं अनुमोदित होने पर उनका लेखा कया जायेगा।

27.7 दिनांक 03.10.2018 को भारत सरकार(GOI)/आ र्थक मामलों की मंत्रिमण्डल स मति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा संशो धत आर.एम.डी.पी. पैकेज रा श रुपये 46,941 लाख स्वीकृत कये गये हैं।

27.8 पुनरुध्दार एवं मल वकास परियोजना के लये नेपा ल मटेड को भारत सरकार की बजटीय सहायता के अनुसार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग वभाग ने पत्र क्र.7 (12)/2014-पी.ई.-VII दिनांक 12.10.2018 के द्वारा निर्दे शत कया क पुनरुध्दार एवं मल वकास परियोजना की पुनरी क्षत अनुमानित लागत के लये रुपये 27,700 लाख के अतिरिक्त साम्य के उत्प्रेरण के लये भारत सरकार को साम्य अंश निर्ग मत कये जाने हैं तथा वी.आर.एस. (स्वैच्छिक सेवानिवृ त योजना) के लये रुपये 9,083 लाख के 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंशों के रूप में निर्ग मत कये जाने हैं।

27.9 बी.आई.एफ.आर. ने अपने आदेश दिनांक 04.03.2014 द्वारा पुनर्वास योजना के एक हिस्से के रूप में 10% प्रति अंश से 5 प्रति अंश की दर से भुगतान की गई अंश पूँजी में कमी को स्वीकृति दी थी। तदनुसार, मंत्रालय, भोपाल में दिनांक 18.06.2019 को नेपा ल मटेड की 391वीं मण्डल बैठक में रुपये 52466.95 लाख के स्थान पर रुपये 26233.48 लाख के द्वारा वद्यमान साम्य अंश पूँजी की डी-रेटिंग के लये अंशधारियों के अनुमोदन के लये डाक मतपत्र के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान कया गया था।

27.10 वत्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7(12)/2014-पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 31.10.2021 के तहत रुपये 7,841 लाख आर.एम.डी.पी. के कार्यान्वयन के लये एवं रुपये 3163 लाख वेतन, मजदूरी एवं अन्य वैधानिक बकायों के भुगतान के लये जारी की गई। आर.एम.डी.पी. नि ध निम्न ल खत कश्तों में जारी की गयी थी :-

ए. रुपये 3,000 लाख दिनांक 29.10.2021
बी. रुपये 2,347 लाख दिनांक 29.12.2021
सी. रुपये 635 लाख दिनांक 21.03.2022
डी. रुपये 1,859 लाख दिनांक 21.03.2022

28. राहत एवं रियायतों की स्थिति

सहायता की स्थिति और/अथवा राहत/रियायत, केन्द्र सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन एजें सयों से प्राप्त हुये और अन्य संवैधानिक प्रा धकारी माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनर्स्थापन योजना के अनुसार इस प्रकार है :-

29. भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

29.1 29.1.1. भारत सरकार का ऋण रुपये 23,101 लाख के परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी एवं तदनुसार पूर्व वर्षों में भारत सरकार को अंश आवंटित कये जा चुके हैं।

29.1.2. केंद्र सरकार के प्रा धकारियों के वैधानिक देयकों रुपये 1,338 लाख की माफी।

29.1.3. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 24,183 लाख के पेनल ब्याज की माफी।

29.1.4. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 2,094 लाख के अर्जित ब्याज, कन्तु देय नहीं, की माफी।

29.1.5. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 9,243 लाख के साधारण ब्याज की माफी।

29.1.6. कम्पनी ने भारत सरकार को 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंश निम्नानुसार निर्ग मत कये हैं:-

I. दिनांक 31.03.2019 तक रुपये 6,000 लाख के 6,00,000 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंश

II. वत्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित रुपये 1,654 लाख के 1,65,000 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंश

III. इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2023 को आवंटित 3,00,000 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंश

उपरोक्त कुल रा श रुपये 7,654 लाख करोड़ का उपयोग स्वैच्छिक सेवानिवृ त्त योजना दायित्व के निर्वहन के लये कया गया है।

29.1.7. लगभग 400 कर्मचारियों के लये वी.आर.एस. हेतु रुपये 9,083 लाख की रा श स्वीकृत की गई थी, जिनमें से रुपये 4,654 लाख की रा श प्राप्त की जा चुकी है। इसके पक्ष में वत्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1,654 लाख के 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंश आवंटित कर दिये हैं एवं रुपये 3,000 लाख आवंटन हेतु लंबित है।

29.2 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.03.2014 के अपने निर्णय द्वारा नेपानगर में स्थित 849.90 एकड़ वन भू म पट्टा वलेख पर हस्ताक्षरित पट्टा कश्त रुपये 2,200 लाख को पूर्व वर्षों में माफ कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन से 1517.08 एकड़ मा पत भू म पट्टे पर ली गई है, इसमें से 667.18 एकड़ भू म दिनांक 05.02.2016 को मध्यप्रदेश शासन को वापस की जा चुकी है। शेष 849.90 एकड़ भू म के पट्टा वलेख के निष्पादन का कार्य दिनांक 13.10.2018 को पूर्ण हो चुका है, जो क दिनांक 23.07.2032 तक वैध है।

नेपा ल मटेड के पास कुल 1199.32 एकड़ भू म उपलब्ध है, जिसमें से 849.90 एकड़ पट्टा भू म एवं शेष 349.42 एकड़ राजस्व भू म है।

नेपा ल मटेड के पास 2088 आवासों की आवासीय कॉलोनी है, जिसमें से 278 आवास कर्मचारियों को दिये गये हैं, 803 भूतपूर्व कर्मचारियों एवं 849 आवास बाह्य एजें सयों के पास है तथा शेष या तो क्षति अवस्था में अथवा रिक्त है। इसके अतिरिक्त 1070196 वर्गफीट भू म पर अतिक्रमण है।

29.3 कम्पनियों के पंजीयक, ग्वा लयर

आर.ओ.सी. ने अ धकृत अंशपूँजी में वृद् ध के लये शुल्क एवं शास्ति में छूट प्रदान की है। तथा प, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त पर लगाये गये स्टॉम्प शुल्क रुपये 20 लाख कम्पनी द्वारा गत वर्षों में अदा कर दिये गये है। कम्पनी द्वारा अ धकृत अंशपूँजी में वृद् ध के लये स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी कया जाता है शेयर के आवंटन पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान छूट के लये वचाराधीन है।

29.4 सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क वभाग

कम्पनी को बी.आई.एफ.आर. द्वारा डी.आर.एस. के तहत योजना की धारा 18.4 के अनुसार उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

29.5 मध्यप्रदेश शासन

29.5.1 व वध देयकों के रुपये 2,884 लाख के परिवर्तन का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त हो गया है, तदनुसार, गत वर्षों में रुपये 2,884 लाख के अंश मध्यप्रदेश शासन को आवंटित कये जा चुके हैं।

30. आर.एम.डी.पी. के अनुसार छूट एवं रियायतों का मलान

कम्पनी को आर.एम.डी.पी. के तहत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एजें सयों एवं अन्य वैधानिक प्रा धकारियों से व भन्न राहत/रियायत प्राप्त हुये है, जिनका गत वर्षों में लेखा पुस्तकों के साथ मलान कर दिया गया है। ववरण इस प्रकार है :-

(रुपये लाख में)

	भारत सरकार का ब्याज एवं पेनल ब्याज	मध्यप्रदेश शासन के व वध देय	मध्यप्रदेश शासन के कर देय का साम्य में परिवर्तन	भारत सरकार के ऋण का साम्य में परिवर्तन
बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित परियोजना में दी गई रा श	347	3,535	2,884	23,101
जोड़े : पुनरुध्दार योजना में अनुमान त्रुटि	-	-	49	-
जोड़े : आकस्मिक देयताओं में रा श खुलासा	-	1,914	-	-
पुस्तकों के अनुसार रा श (देयतायें)	-	1,621	2,835	-
पुस्तकों के अनुसार रा श (साम्य में परिवर्तन)	-	-	-	23,101
ब्याज एवं फेनल ब्याज की छूट के रूप में रा श	347	-	-	-

31. कम्पनी की अ धकृत पूँजी है :-

(i) रुपये 6,49,17 लाख, रुपये 5/- प्रत्येक के 1,29,83,40,000 साम्य अंशों में वभाजित हैं एवं

(ii) रुपये 15,083 लाख प्रत्येक रुपये 1000/- के 15,08,300 7% गैर संचयी अ धमान्य अंशों में वभाजित हैं।

32. नवीनीकरण एवं क्षति के तहत परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण

32.1 कम्पनी परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की पहचान/मूल्यांकन करने की प्र क्रया में है, जिन्हें स क्रय उपयोग से अप्रच लत कया जाना है। इस तरह की पहचान/मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात, परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण की कसी भी मद को स क्रय उपयोग से अप्रच लत नहीं माना जाता है तथा निपटान के लये रखा जाता है। तदनुसार, परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण की सभी मदों को उनकी वहन रा श पर मापा जाना जारी है। परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण की मदों की पहचान करने पर, जिन्हें स क्रय उपयोग से अप्रच लत कया जाना है, फर उन्हें रा श एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर कहा जायेगा।

32.2 औद्यो गक एवं वत्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना (आर.एम.डी.पी.) कार्यान्वयन के तहत थी। कम्पनी को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुये हैं। परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण की वहाँ लागत के पक्ष में रुपये 37,162.61 लाख (गत वर्ष रुपये 38,607.31 लाख) एवं आर.एम.डी.पी. के तहत्त चालू दशा में पूँजीगत कार्य के खाते में रुपये 525.37 लाख (गत वर्ष रुपये 475.26 लाख) है। प्रबंधन का अ भमत है क उक्त योजना के कार्यान्वयन के पश्चात, कम्पनी को "कैश जनरेटिंग यूनिट" के रूप में लया गया, परिसम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरणों की वहन लागत की तुलना में उपयोग में मूल्य अ धक होगा। इस लये, प्रबंधन का मानना है क कोई क्षति का प्रावधान आवश्यक नहीं है।

32.3 आर.एम.डी.पी. योजना दिनांक 22.08.2022 को पूर्ण हो गई।

33. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) एवं अ धनियम की धारा 133 के तहत् सू चत, जिसे कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, लेखा व ध मानक-15 कर्मचारी हित लाभ (पुनरी क्षत) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण का दिनांक 31.03.2024 को बीमां कक मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

परिभा षत हित लाभ योजना

कर्मचारी उपादान कोष योजना एक परिभा षत लाभ योजना है। प्रतिज्ञा पत्र का वर्तमान मूल्य बीमां कक आँकलन परियोजना एकक क्रे डट सध्दांत, उपयोग के आधार पर चलाया जाता है, जो सेवा के प्रत्येक समय में माना जाता है, कर्मचारी लाभ हकदार के अतिरिक्त बढ़ाकर देने और प्रत्येक एकक अलग मापक से अंतिम प्रतिज्ञा पत्र तैयार होगा।

I. हितलाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रुपये लाख में)		
	20**23**-2**4**	20**22**-2**3**
वर्ष के आरम्भ में हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1,582.36	1,675.17
वर्तमान सेवा लागत	50.37	58.86
ब्याज लागत	112.34	123.96
चुकता हित लाभ	(353.78)	(279.38)
बाध्यता पर बीमां कक लब्धि/(हानि)	3.55	3.74
वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1394.86	1,582.36

II. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का वभाजन (रुपये लाख में)		
	2023-24	2022-23
चालू (एक वर्ष के भीतर देय रा श)	339.25	379.96
गैर-वर्तमान (एक वर्ष के बाद देय रा श)	1055.61	1202.39
कुल	1394.86	1582.36

III. योजना परिसंप तयों के उ चत मूल्य में परिवर्तन (रुपये लाख में)		
	2023-24	2022-23
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसंप तयों का उ चत मूल्य	1344.10	1085.97
योजनागत संप त्त पर अपे क्षत प्रतिफल	82.87	86.19
कम्पनी का योगदान	-	436.96
भुगतान कए गए लाभ	(353.78)	(279.38)
योजना परिसंप तयों पर बीमां कक (लाभ)/हानि	1.14	14.36
वर्ष के अंत में योजना परिसंप तयों का उ चत मूल्य	1074.34	1344.10

IV. तुलन पत्र और लाभ-हानि ववरण में मान्यता प्राप्त रा श (रुपये लाख में)		
	2023-24	2022-23
वर्ष के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1394.86	1582.36
वर्ष के अंत में योजना परिसंप तयों का उ चत मूल्य	1074.34	1344.10
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंप त्त)	320.52	238.25

V.	2023-24	2022-23
वर्तमान सेवा लागत	50.37	58.86
ब्याज लागत	112.34	123.96
योजना परिसम्प तयों पर प्रत्या शत धन वापसी	(82.87)	(86.19)
वर्ष में शुध्द बीमां कक (लब्धि)/हानि मान्यता	2.41	(10.61)
लाभ एवं हानि का ववरण में व्यय मान्यता	82.26	86.02

लेखा पुस्तकों के अनुसार ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य 616.72 लाख रुपये है (पछले वर्ष 1910.97 लाख रुपये) जिसे योजना परिसंप तयों के उ चत मूल्य को घटाने के बाद मान्यता दी गई है।

प्रबंधन ने पुस्तकों में पहले से बनाए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने का निर्णय लया है, जिसके परिणामस्वरूप 1294.25 लाख रुपए की रा श वापस लखी गई है। इस प्रकार लेखा नीति में परिवर्तन के कारण नुकसान में 1294.25 लाख रुपए की कमी आई है।

कम्पनी द्वारा अपने निय मत/स्थायी कर्मचारी के लये प्राप्त बीमां कक प्रतिवेदन के अनुसार योजना परिसंप तयों के उ चत मूल्य को समायोजित करने के बाद शुद्ध दायित्व 320.52 लाख रुपये (पछले वर्ष 238.25 लाख रुपये) है। आकस्मिक और बदली कर्मचारियों के लये दायित्व 296.20 लाख रुपये है। बैलेंस शीट में ग्रेच्युटी दायित्व के वरुद्ध कुल प्रावधान 616.72 लाख रुपये (पछले वर्ष 1910.97 लाख रुपये) बनाया गया है।

सीएजी की टिप्पणी के अनुसार, 339.25 लाख रुपए चालू और 277.47 लाख रुपए गैर चालू दिखाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पछले वर्ष के आंकड़े में संशोधन कया गया है।

अवकाश नकदीकरण प्रावधान का वर्गीकरण बीमां कक मूल्यांकन के प्रतिवेदन के आधार पर कया जाता है।

34. कर्मचारियों से संबंधत भुगतान

(ए) कर्मचारियों से संबंधत वेतन/मजदूरी एवं वैधानिक देयकों के लये सी.सी.ई.ए. के निर्णय दिनांक 03.10.2018 के द्वारा रुपये 10,158 लाख की रा श स्वीकृत की गई है, जिसमें से वत्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रुपये 3,825 लाख (बिजली बिल के भुगतान के लये रुपये 394 लाख सहित) प्राप्त हुये हैं एवं वर्ष 2020-21 के दौरान रुपये 6,331 लाख प्राप्त हुये हैं। कम्पनी ने घो षत अथवा परिभा षत हित लाभ उपादान के लये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान कये गये गणना के नियमानुसार उपादान भुगतान अ धनियम, 1972 के तहत् उत्तरदायित्व संभालने के वरुध्द बीमा सुर क्षत के लये वर्ष के दौरान एल.आई.सी. प्री मयम का भुगतान कर दिया है। वर्ष 2021-22 में वेतन/मजदूरी एवं वैधानिक बकायों के पक्ष में भारत सरकार से रुपये 3,163 लाख प्राप्त हुये हैं।

(बी) कम्पनी ने चालू वर्ष के दौरान कर्मचारियों के पक्ष में अवकाश नकदीकरण देयताओं हेतु रूपये 795.57 लाख रुपये (पछले वर्ष 786.18 लाख रुपये) का प्रावधान कया है। कम्पनी द्वारा प्राप्त बीमां कक प्रमाण पत्र के अनुसार देयता 795.57 लाख रुपये है।

35. खण्ड रिपोर्टिंग

कम्पनी मुख्य रूप से अखबारी कागज के निर्माण के व्यवसाय जुड़ी है तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के निर्माण में व वधता लाने जा रही है। कम्पनी, इसके कर्मचारियों और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लये, कम्पनी नेपा नगर की शहर की सीमा के भीतर एक पेट्रोल पंप संचा लत कर रही है। यह एक आकस्मिक गति व ध है। इकाई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। पेट्रोल/डीजल से होने वाला राजस्व नेपा ल मटेड द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का 10% से अ धक है। एएस-17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुपालन में उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कम्पनी ने पेट्रोल/डीजल से होने वाले राजस्व को एक अलग रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट के रूप में प्रकट कया है। प्रतिवेदन करने योग्य खंड का ववरण इस प्रकार है:- (रुपये लाख में)

लेखांकन मानक 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग			
ववरण	अखबारी कागज	पेट्रोल,डीजल और स्नेहक का व्यापार	कुल
1. खंड राजस्व			
a) बाहरी बिक्री	11067.23	1391.38	12458.61
b) अंतर खंड बिक्री	0	0	0
कुल राजस्व	**11067.23**	**1391.38**	**12458.61**
कुल राजस्व संचालन	11067.23	1391.38	12458.61
2. खंड परिणाम			
ए) आयकर के बाद लाभ/(हानि)	(12682.39)	6.26	(12676.13)
3. खंड परिसंप त्तयां	**37161.40**	**1.21**	**37162.61**
4. खंड देयताएं	**63258.68**	**0**	**63258.68**

36. मुख्य प्रबंधन का र्मक एवं संबंधत पक्षों का प्रकटीकरण जिनके साथ लेन-देन दर्ज कया गया

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्ग मत संबंधत पक्ष के खुलासे पर लेखा व ध मानक-18 के तहत प्रबंधन द्वारा अ भनिर्धारित संबंधत पक्ष सूचना निम्नानुसार है :-

(ए) संबंधत पक्षों की सूची

मुख्य प्रबंधन का र्मक (के.एम.पी.) एवं अन्य संबंधत पक्ष

क्र.	संबंधत पक्ष का नाम	संबंध
1.	श्री राकेश कुमार चोखनी	अध्यक्ष-सह-ग्रबंध निदेशक (दिनांक 26.03.2024 से)
2.	श्री प्रदीप कुमार नाईक	निदेशक (वत्त)/(अतिरिक्त प्रभार) (दिनांक 02.05.2019 से)
3.	कमोडोर सौरभ देब	कम्पनी के अध्यक्ष-सह-ग्रबंध निदेशक पद से मुक्त (26.03.2024 से)
4.	सुश्री पू र्णमा पाराशर	कम्पनी स चव के पद से निर्वतन (15.01.2024 से प्रभावी)
5.	सुश्री नि ध मश्रा	कम्पनी स चव (15.01.2024 से)
6.	श्री सी.एन. वर्मा	मुख्य वत्तीय अ धकारी के पद से निर्वतन (15.01.2024 से प्रभावी)
7.	श्री वकास रेड्डी	मुख्य वत्तीय अ धकारी (15.01.2024 से)

(बी) वर्ष के दौरान संबं धत पक्षों के साथ लेनदेन (रुपये लाख में)

क्र.	लेनदेन का प्रकार	2023-24	2022-23
1.	पारिश्र मक		
	1. कमोडोर सौरभ देब	36.43	33.98
	2. सुश्री पू र्णमा पाराशर	10.44	9.98
	3. सुश्री नि ध मश्रा	1.43	0
	4. श्री सी.एन. वर्मा	10.28	10.16
	5. श्री वकास रेड्डी	8.14	5.83
2.	यात्रा व्यय		
	1. कमोडोर सौरभ देब	1.79	3.68
	2. श्री पी.के. नाईक	3.36	0.23
	3. सुश्री पू र्णमा पाराशर	0.69	1.15
	4. श्री सी.एन. वर्मा	0.07	0.01
	5. श्री वकास रेड्डी	0.68	0.06
3.	श्री म लंद कनाड़े स्वतंत्र निदेशक (वदेश यात्रा व्यय सहित)	0.19	0

राज्य-नियंत्रित उद्यम होने के कारण, अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों एवं ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन संबं धत पार्टी संबंध को ए.एस.-18 के अनुसार "संबं धत पार्टी के खुलासे" के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

37. अर्जन प्रति साम्य अंश (ई.पी.एस.) की गणना ए.एस.20 के अनुसार की गई (रुपये लाख में)

	ववरण	2023-24	2022-23
i.	मूल/तनुकृत प्रति अंश अर्जन की गणना करने हेतु रुपये लाख में गणक अनुसार रा श उपयोग की गई है।	(12,676.13)	(10,579.60)
ii.	मूल प्रति अंश अर्जन की गणना के लये साम्य अंशों के भारित औसत नम्बर है। (इसमें रुपये 4.30 लाख के 97780 जप्त साम्य अंश सम्मि लत नहीं है।)	12354.90	12354.90
iii.	अंश का नाममात्र का मूल्य (रुपये)	5	5
iv.	मूल प्रति अंश अर्जन (रुपये)	(1.03)	(0.86)
v.	तनुकृत प्रति अंश अर्जन की गणना के लये साम्य अंशों के भारित औसत नम्बर है।	निरंक	निरंक
vi.	तनुकृत प्रति अंश अर्जन (रुपये)	(1.03)	(0.86)

लेखा व ध मानक-20 के पैरा 41 अर्जन प्रति अंश के अनुसार, संभा वत साम्य अंशों के मामले में, जो गैर-तनूकृत हैं एवं साम्य अंशों में उनके परिवर्तन या तो सामान्य गति व धयों को जारी रखने से अर्जन प्रति अंश में वृद् ध करेंगे या सामान्य गति व धयों से जारी रखने वाले प्रति अंश हानि में कमी करेंगे। गत वर्ष में तनूकृत प्रति अंश अर्जन की गणना में इस तरह के गैर-तनूकृत संभा वत साम्य अंशों के प्रभावों की उपेक्षा की जाती है। इस लये, वत्तीय वर्ष 2023-24 के लये आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन रा श तनूकृत प्रति अंश अर्जन की गणना में प्रकृति में गैर-तनूकृत नहीं माने जाते हैं।

38. कर

वर्ष के दौरान होने वाली हानि के कारण वर्ष के दौरान वर्तमान कर के लये कोई प्रावधान नहीं कया गया है। भ वष्य के लाभ की आभासी अनिश्चितता के कारण अग्रगामी हानियों एवं अनअवशो षत मूल्यह्रास के कारण आस्थ गत कर परिसम्प त्तयों को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं कया गया है।

39. आकस्मिक परिसंप त्तयाँ/देयतायें एवं पूँजी प्रतिबद्धतायें

39.1 आकस्मिक परिसंप त्तयों को न दर्ज कया जाता है एवं न ही वत्तीय ववरणों में खुलासा कया जाता है।

39.2 आकस्मिक देयताएँ

प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, यह संभव नहीं है क निम्न ल खत मामलों में दायित्वों का निपटान करने के लये आ र्थक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी:-

ए) कम्पनी के वरुद्ध दावों/ववादित देनदारियों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं कया गया

(ए) रेलवे के निर्माण के लये भू म अनुज्ञप्ति शुल्क के कारण रुपये 50.67 लाख के कम्पनी वरुध्द दावें, जिनको ऋण नहीं माना गया। (गत वर्ष के रुपये 50.67 लाख)।

(बी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 10.12.2015 को वर्ष 1999 एवं वर्ष 2009 की सूचना की शर्तों के तहत मुफ्त में कोल संडर (एश/फ्लाई एश जिसमें उच्च कार्बन सामग्री/बिना जला कोयला सम्मि लत है) प्राप्त करने के लये कम्पनी के वरुध्द लगाये गये प्रकरण में यह निर्दे शत कया क आवेदक कम्पनी छः माह के भीतर प्लांट एवं तकनीक का उन्नयन करेगी, निपटान कया।

कम्पनी ने समय सीमा बढ़ाने के लये अनुरोध कया क्यों क छः माह के भीतर उन्नयन सम्भव नहीं था। तथा प, एन.जी.टी. आवेदक कम्पनी द्वारा उठाये गये कदमों से संतुष्ट नहीं थी एवं छः माह के लये इस शर्त पर वस्तार दिया गया क आवेदक कम्पनी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आवेदक कम्पनी के आस-घास के क्षेत्र में जल आपूर्ति के लये उपयोग करेगी, को रुपये 300 लाख का भुगतान करेगी।

कम्पनी के आवेदन पर एन.जी.टी. ने दिनांक 30.06.2017 तक के समय का वस्तार प्रदान कया, जिसमें समू चत कदम उठाना आवश्यक है। आवेदक को यह स्वतंत्रता होगी क वह अगले वस्तार के लये प्लांट एवं अन्य अवसंरचना के उन्नयन के लये प्रगति दर्शाते हुये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर श्रेष्ठता के आधार पर वचार कया जावेगा। यदि प्रभावी कदम नहीं उठाये गये, तब परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति के भुगतान के लये उत्तरदायी होगा।

कोटि उन्नयन के लये संयंत्र के बंद होने के मद्देनजर कम्पनी संयंत्र के शीघ्र उन्नयन के लये सर्वश्रेष्ठ प्रभावी कदम उठा रही है। प्रबंधन का यह मत है क प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर एन.जी.टी. द्वारा क्षतिपूर्ति अ धरो पत नहीं की जावेगी।

कम्पनी समय के और वस्तार के लये आवेदन प्रस्तुत करने की प्र क्रया में है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा को ट्रिब्यूनल को दिये गये अपने पहले शपथपत्र के अध्याय-5 के संबंध में उठाये गये कदमों से संबं धत पूर्ण ववरण प्रस्तुत करना था, जो लंबित है।

(सी) ववादित दावे/आरो पत रा श के संबंध में

(I) श्र मकों के संघ ने बदली श्र मकों की ओर से कम्पनी के वरुध्द एक प्रकरण दायर कया है। जिला न्यायालय द्वारा श्र मकों के संघ के पक्ष में दिये गये निर्णय के आधार पर कम्पनी ने इस प्रकरण के वरुध्द अपील दायर की है। यह प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लम्बित है। दिनांक 31.03.2024 तक आकस्मिक देयतायें रुपये 5641.28 लाख (गत वर्ष के रुपये 5319.69 लाख) है।

उपरोक्त प्रकरणों के अलावा, तीन बदली श्रमकों ने कम्पनी के वरुद्ध व्यक्तिगत रुप से सेवा से संबंधत प्रकरण दर्ज कराये हैं एवं कुल दावा राश रुपये 0.56 लाख है।

(II) सेल्स गोडाउन के पीसरेटेड कर्मचारियों के उच्च न्यायालय, इन्दौर बेंच के समक्ष दायर प्रकरण लम्बित हैं। प्रतिनिधि संघ ने सभी जॉबरेटेड एवं बदली कर्मचारी की हस्तक्षेपी हेतु उच्च न्यायालय में एक आवेदन भी लगाया है। उच्च न्यायालय, इन्दौर ने हस्तक्षेपी का कार्यवाही आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष अभी भी लम्बित है। दिनांक 31.03.2024 को कम्पनी के वरूध्द दावा, जिसे देयता नहीं माना गया (बदली कर्मचारियों के लये उपरोक्त (I) को छोड़कर) लगभग रुपये 3502.75 लाख (गत वर्ष के रुपये 3287.02 लाख) है।

(III) कम्पनी के वरुध्द वभिन्न सेवा से संबंधत प्रकरण दायर कये गये हैं, जो वभिन्न फोरमों के समक्ष लम्बित है। इन प्रकरणों पर लगभग रुपये 44.32 लाख (गत वर्ष के रुपये 44.32 लाख) का वत्तीय प्रभाव आयेगा।

(IV) वर्ष 2010 तक की अवध के संबंध में माफी के लये वचाराधीन रुपये 168 लाख के सम्पत्त कर को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनर्स्थापन योजना के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा माफ कया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न नहीं हुये है, क्योंक कम्पनी नगर की बुनियादी सुवधायें प्रदान कर रही है एवं उन पर होने वाले अत्यधक व्ययों को वहन कर रही है। दिनांक 01.04.2017 से सभी बुनियादी सुवधाओं को नगर परिषद को हस्तांतरित करने पर मुख्य सचव, मध्यप्रदेश शासन स्तर पर सहमति व्यक्त की गई। नेपा लमटेड थोक पेयजल की आपूर्ति जारी रखेगी, जिसके लये नेपा नगर परिषद द्वारा रुपये 7/- प्रति कलो लीटर की दर से नेपा लमटेड को भुगतान कया जाएगा, जबक नेपा लमटेड दिनांक 01.04.2017 से संपत्त कर का भुगतान करेगा। सम्पत्त कर की मात्रा के निर्णय पर जबलपुर उच्च न्यायालय में चर्चा चल रही है। 300 एकड़ वन भूम की सुपुर्दगी के पूर्व तीन सौ एकड़ भूम का मापन सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर है। इस खाते पर ब्याज सहित अनुमानित राश रुपये 222.74 लाख है।

(V) वत्तीय वर्ष (2012-13 से 2016-17) के लये के.एम.एस. 176ए/523/25-27 पर स्थित नेपानगर की सम पार की मरम्मत एवं वेतन के संबंध में रुपये 312.45 लाख (गत वर्ष रुपये 348.22 लाख) के दायित्व। सी.ए.जी. द्वारा गत वर्ष में उठाये गये मुद्दे के अनुसार, कम्पनी कथत राश देने को बाध्य नहीं है, क्योंक कथत सम पार आम जनता के लये अत्याधक उपयोग कया जा रहा है। इसके मद्देनजर समस्त बिल भी रेलवे को लौटा दिये गये है। इस संबंध में आगे कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है। इस लये यह राश पुस्तकों में प्रदान नहीं की गई है।

(VI) भूतपूर्व कर्मचारियों ने उनकी सेवानिवृत्त के पश्चात उनके नियमत रोजगार के पहले की अस्थायी अवध के लये इसकी अवध वनिर्दिष्ट करने के पश्चात एवं बिना कसी दस्तावेजी प्रमाण के उपादान दावा दायर कया है। चूंक ये दावें बहुत पुरानी अवध के लये हैं तथा बहुत अधक समय बीत चुका है। अतः इसकी राश की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा अस्थायी अवध के लये उपादान प्राप्त करने हेतु साधारण पत्र द्वारा अनुरोध कया गया है। दस्तावेजी प्रमाण एवं अभलेखों रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण दायित्व का एक वश्वसनीय अनुमान, यदि कोई हो, नहीं कया जा सकता है।

(VII) कम्पनी ने पूँजीगत संयंत्र एवं मशीनरी के आयात के लये ई.पी.सी.जी. योजना का उपयोग कया है। दिनांक 31.03.2024 को रुपये 2620 लाख (गत वर्ष के रुपये 2620.00 लाख) के उत्पादन शुल्क की बचत की गई है, जिसके वरुध्द निर्यात वचनबध्दता रुपये 15721 लाख (गत वर्ष के रुपये 15721 लाख) की है। कम्पनी ने डी.जी.एफ.टी. से अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट पर वचार करने का अनुरोध कया है।

(VIII) प्राप्य दावों में कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन से देय 726.73 लाख रुपए शा मल हैं, जो ईपीएफओ द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण पछले वर्षों में भुगतान कए गए नुकसान के लये हैं और इसे वसूली योग्य दिखाया गया है, क्यों क कम्पनी का मानना है क इसके लये बीआईएफआर द्वारा राहत दी जाएगी और 386.09 लाख रुपए के लये अदालती मामला चल रहा है और शेष रा श के लये प्रावधान बनाया गया है

बी) प्रत्याभूति

बैंक द्वारा जारी रुपये 481.11 लाख अदत्त बैंक प्रत्याभूति (गत वर्ष के रुपये 472.60 लाख) हैं।

सी) अन्य

I. अपील जिसके लये कसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, क्यों क कम्पनी को अपीलों में सफल परिणाम की आशा है। उन बहिर्वाहों की रा श या समय के संबंध में अनिश्चिततायें हैं, क्यों क यह अपीलीय प्र क्रया के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। कोई अनुमान नहीं लगाया गया है एवं रा श वभागों द्वारा की गई मांग पर आधारित है।

सं व ध का नाम	ववाद से संबं धत अव ध	ववादित रा श (रुपये लाख में)	जहाँ से ववाद लम्बित है।
प्रवेश कर	2008-09	4.49	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल, इन्दौर
मूल्य समा वष्ट कर	2009-10	75.65	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल
प्रवेश कर	2009-10	7.16	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मूल्य समा वष्ट कर	2010-11	10.42	मध्यप्रदेश वा णज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मण्डी कर	1998	35.95	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सम्प त्त कर एवं उस पर ब्याज	2011-12 से 2023-24	222.74	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच
वस्तु एवं सेवा कर	2017 to 2020	540.55	अपीलीय प्रा धकरण इंदौर
वस्तु एवं सेवा कर	2017 to 2020	867.49	अपीलीय प्रा धकरण इंदौर

II. रुपये 0.**47** लाख की टी.डी.एस. चूक

सभी मूल्यांकन वर्षों के लये टी.डी.एस. देयता या तो टी.डी.एस. के कम भुगतान, टी.डी.एस. की कम कटौती या ऐसे कम भुगतान या देर से भुगतान पर ब्याज के कारण है। कम्पनी मांग के परिशोधन की प्र क्रया में है।

III. आय कर के तहत रुपये 46.76 लाख (गत वर्ष रुपये 90.04 लाख) की निम्न ल खत अदत्त मांग कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है एवं कम्पनी इस संबंध में आय कर अ धकारियों के समक्ष आवश्यक परिशोधन दर्ज करने की प्र क्रया में है :-

क्रमांक	मूल्यांकन वर्ष	धारा 156 के तहत मांग (रुपये लाख में)	से संबं धत
1.	2017-18	46.76	अदत्त ब्याज
	योग	**46.76**	

39.3 पूँजी वचनबध्दता (अ ग्रम का शुध्द)

ए. ठेके की अनुमानित रा श रुपये 413.87 लाख (गत वर्ष रुपये 356.94 लाख) पूँजी खाते पर निष्पादन के लये शेष है

बी. कम्पनी द्वारा ड-इं कंग संयंत्र के स्वदेशी तथा आयातीत संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति तथा दोनों पेपर मशीनों एवं निजी वद्युत संयंत्र के नवीनीकरण तथा अन्य कारणों के लये रुपये 50,820.13 लाख (गत वर्ष रुपये 50884.05 लाख) के ठेके को अंतिम रुप दिया जा चुका है। कम्पनी ने पुनरुध्दार परियोजना के कारण पूंजी प्रतिबद्धता की आपूर्ति/अ ग्रम/सेवाओं के लये रुपये 46,463.92 लाख (गत वर्ष रुपये 45,748.69 लाख) की रा श और शेष रा श भुगतान की है।

सी. इसके अतिरिक्त इन वर्षों में परियोजना की लागत की वास्त वक परिकल्पना तकनीकी बढोत्तरी/ वृध्दि/महंगाई/वदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव इत्यादि को ध्यान में रखकर की गई थी और कम्पनी ने रुपये 43,400 लाख (रुपये 2,400 लाख के ई.पी.सी.जी. हित लाभ का निवल) की पुनरी क्षत लागत का अनुमान कया था। बैंकर परियोजना योजना को सहमति देने के लये सरकारी गारंटी पर जोर दे रहे थे। बैंकर्स परियोजना ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लये सरकारी गारंटी पर जोर दे रहे थे। चूं क भारत सरकार की वर्तमान नीति गारंटी प्रदान नहीं कर रही है, इस लये भारत सरकार से अनुरोध कया गया है क लागत वृद् ध (रुपये 14,900 लाख) के साथ-साथ रुपये 12,800 लाख के घटक के रूप में संशो धत लागत अनुमानों को नि ध देने का अनुरोध कया गया हो, प्रारम्भ में बैंक ऋण द्वारा वत्त पो षत कया जायेगा। भारत सरकार/ सी.सी.ई.ए. द्वारा दिनांक 03.10.2018 को एक संशो धत समर्थन पैकेज एवं इसके अतिरिक्त दिनांक 13.10.2021 को रुपये 11004 लाख की अतिरिक्त नि ध निम्नानुसार स्वीकृत की गई है :-

(रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	रा श
1.	संशो धत लागत के वत्तपोषण के लये अतिरिक्त साम्य का उत्प्रेरण – बैंक ऋण के बदले साम्य रा श के रूप में रुपये 12,800 लाख सहित आर.एम.डी.पी. का अनुमान	रुपये 27,700
2.	कर्मचारियों का वैधानिक देयकों तथा वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लये आवश्यक धनरा श के लये ऋण की स्वीकृति	रुपये 10,158
3.	स्वैच्छिक सेवानिवृ त्त योजना की रा श के पक्ष में 7% गैर-संचयी अ धमान्य अंशों के रुप में नि ध की स्वीकृति	रुपये 9,083
4.	आर.एम.डी.पी. के संशो धत लागत अनुमान के वत्तपोषण के लये साम्य का अतिरिक्त उत्प्रेरण	रुपये 7,841
5.	कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी तथा वैधानिक देयकों के भुगतान के लये आवश्यक धनरा श हेतु ऋण की अतिरिक्त स्वीकृति	रुपये 3,163
	योग	रुपये 57,945
	इसमें से निम्न ल खत कस्तें प्राप्त हुई हैं :- आर.एम.डी.पी. परियोजना के लये :- (i) रुपये 3,300 लाख (2018-19) (ii) रुपये 15,105 लाख (2019-20) (iii) रुपये 9,295 लाख (2020-21) (iv) रुपये 7,841 लाख (2021-22)	रुपये 35,541
	वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लये	रुपये 13,321
	वी.आर.एस. के भुगतान के लये	रुपये 4,654

40. हमारी पुनरुद्धार योजना के क्रयान्वयन में अप्रत्या शत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप लागत में उल्लेखनीय वृद् ध हुई। हमारे कड़े वत्तीय प्रबंधन के बावजूद, कम्पनी ने परियोजना के पूर्ण होने तक सभी आवंटित नि धयों को समाप्त कर दिया। नतीजतन, हालां क हमारा संयंत्र पूरी तरह से स्था पत और परिचालन के लये तैयार है, वर्तमान में हमारे पास पूर्ण पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ करने के लये आवश्यक कार्यशील पूंजी की कमी है।

इस वत्तीय बाधा के जवाब में, हम आवश्यक धनरा श सुर क्षत करने और संयंत्र की परिचालन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लये कई रणनीतिक वकल्पों पर स क्रय रूप से वचार कर रहे हैं:

ए) वत्तीय पुनर्गठन : हम अपने वद्यमान संसाधनों को अनुकू लत करने और कोष में सुधार करने के लये एक व्यापक वत्तीय पुनर्गठन पर वचार कर रहे हैं। इसमें अन्य स्रोतों से यथासंभव नि ध की प्राप्ति भी शा मल है।

बी) सरकारी सहभा गता : हम कार्यशील पूंजी के लये साम्य के रूप में अतिरिक्त नि ध उपलब्ध कराने एवं देनदारियों को माफ करने के लये सरकारी अ धकारियों के साथ निरंतर चर्चा कर रहे हैं।

सी) वस्तु एवं सेवा कर क्रे डट : कम्पनी ने रुपये 30 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर जमा कया है।

डी) वक्रेता वार्ता : हम उत्पादन के लये आवश्यक सामग्री एवं सेवाओं के क्रय को सु वधाजनक बनाने के लये अपने वक्रेताओं के साथ वस्तारित ऋण शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं।

ई) राजस्व अनुकूलन : हमने अपनी राजस्व संग्रह प्र क्रयाओं को सुव्यवस्थित कया है, वशेष रूप से लीज़ प्री मयम/ लीज़ कराया और अन्य व वध राजस्व जैसी संप त्त के संबंध में, ता क आने वाली नकदी में वृद् ध हो सके।

एफ) आदेश पूर्ति : हमें रुपये 40 से रुपये 50 करोड़ के आदेश मले हैं, जो हमारे उत्पादों की मजबूत मांग को दर्शाता है। हालां क, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण संयंत्र अपनी क्षमता के केवल 23% पर ही काम कर रहा है।

जी) भंडार परिसमापन : हम ट्रायल प्रचालन के दौरान नि र्मत स्टॉक को निपटाने की प्र क्रया में हैं, जो आसानी से वक्रय योग्य नहीं है। इस पहल का उद्देश्य कुछ कार्यशील पूंजी मुक्त करना है।

एच) सरकारी ऋण को साम्य में बदलना : हम ऋण को साम्य में बदलने के लये केंद्र सरकार और मंत्रालय के साथ स क्रय रूप से बातचीत कर रहे हैं, जिससे हमारा ब्याज भार और कम हो जाएगा।

आई) स्वैच्छिक सेवानिवृ त्त योजना : वी.आर.एस. पैकेज के तहत कई कर्मचारियों ने सेवानिवृ त्त का वकल्प चुना है, जिससे पहले से ही मा सक वेतन का बोझ कम हो गया है।

हम इन वत्तीय चुनौतियों से पार पाने एवं संयंत्र को अपनी पूरी परिचालन क्षमता पर लाने के लये लगन से काम कर रहे हैं। हमें यकीन है क उपरोक्त पहल के साथ, कम्पनी जल्द ही अपने वत्तीय संकट से बाहर आ जायेगी एवं समय पर अपने कर्मचारियों का निर्माण, नकदीकरण एवं वेतन जारी रखेगी। इस लये, प्रबंधन को वर्तमान स्थिति के संबंध में पूर्ण वश्वास है।

41. व वध देनदार

ए) मेसर्स जन मण्डल, प्रकाशक, "आज" हिन्दी दैनिक, वाराणसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कम्पनी के देयकों का भुगतान न देने के संबंध में कम्पनी अ धनियम की धारा 433 के तहत या चका समाप्त करने का आदेश पारित कया। रुपये 242 लाख + ब्याज की रा श की क्षतिपूर्ति के लये भी कम्पनी ने जुलाई 1997 में माननीय जिला न्यायाधीश, खण्डवा में भी दीवानी प्रकरण दायर कया है, जो अभी भी निर्णय हेतु लम्बित है।

प्रतिवादी द्वारा समापन का आदेश चुनौती के तहत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तरप्रदेश की प्रभागीय न्यायपीठ के समक्ष वशेष अपील क्रमांक 225/99 में वचाराधीन है। नेपा ल मटेड के पक्ष में मामला तय कया गया है। रा श की वसूली की प्र क्रया प्रगति पर है।

बी) नगर पा लका नेपानगर से 31.03.2024 तक प्राप्त होने वाली रा श रुपये 60458414 में से, रूढ़िवादी दृष्टिकोण के आधार पर 3 वर्ष से अ धक समय से बकाया रा श रुपये 22049195 के लये प्रावधान बनाया गया है।

वदेशी वनिमय व्यवहार :

ए) वदेशी मुद्रा में व्यय (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	2023-24	2022-23
1.	आर.एम.डी.पी. (अ ग्रम सहित) के लये	0	0
	योग	**0**	0

बी) वदेशी मुद्रा में आय रुपये निरंक (गत वर्ष - निरंक)

सी) आयात का सी.आई.एफ. मूल्य (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	2023-24	2022-23
1.	कच्चा माल	निरंक	निरंक
2.	आर.एम.डी.पी. के तहत पूँजीगत माल	निरंक	निरंक
	योग	निरंक	निरंक

42. पूरक जानकारियाँ

आयातित एवं स्वदेशी कच्चे माल तथा भण्डार एवं कलपुर्जे के उपभोग का मूल्य (रुपये लाख में)

क्र.	ववरण	कच्चा माल		भण्डार एवं कलपुर्जे	
		202**3**-2**4**	202**2**-2**3**	202**3**-2**4**	202**2**-2**3**
1.	आयातित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	स्वदेशी	7769.37	2875.24	177.65	67.47

43. स चवीय अनुपालन की स्थिति

43.1 कम्पनी के मण्डल में भारत सरकार (GOI) द्वारा निदेशक को नियुक्त कया गया था। मण्डल में स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के पश्चात श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव का कार्यकाल फरवरी 2022 में एवं श्रीमती कमलावती संह का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूर्ण हुआ। भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2023 को श्री म लंद शरदचंद्र कनाड़े को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कया गया था। नेपा ल मटेड के मण्डल में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की ओर से लंबित है।

43.2 कम्पनी ने दिनांक 17.02.2016 से 30.08.2016 की अव ध के दौरान तथा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में भारत के राष्ट्रपति और मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामे अंश निर्ग मत कये हैं। कम्पनी ने वर्ष 2019, 2021, 2022 एवं 2023 में सक्षम प्रा धकारी से स्टाम्प शुल्क की छूट के लये आवेदन कया है। वत्तीय वर्ष 2023-24 के लये अंकेक्षण के पूर्ण होने तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं कया गया है।

43.3 प्रभार संतुष्टि प्रपत्र पहले से ही भरा हुआ था कन्तु आर.ओ.सी. प्रभार निर्दे शका से प्रभार नहीं हटाए गए थे एवं प्रपत्र की भरी हुई प्रति कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है क्यों क ऑनलाइन जमा करने के स्थान पर उस समय प्रत्यक्ष प्रतियाँ जमा की गई थी।

43.4 कम्पनी द्वारा लागत अ भलेख बनाये रखा गया है। तथा प, वत्तीय वर्ष 2023-24 के लये कम्पनी द्वारा अब तक कोई लागत अंकेक्षक नियुक्त नहीं कया गया है।

44. अतिरिक्त नियामक संसूचना

ए. पूर्ण स्वा मत्व भू म के शीर्षक वलेख कम्पनी के नाम हैं।

बी. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी सम्प त्त, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं कया है।

सी. कम्पनी ने कम्पनी अ धनियम, 2013 में परिभा षत प्रवर्तकों, निदेशकों, के.एम.पी. एवं संबं धत पार्टियों को या तो अलग से या कसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अ ग्रम स्वीकृत नहीं कया है :-

I. मांग पर प्रतिदेय या,

II. पुनर्भुगतान की कसी भी शर्त या अव ध को निर्दिष्ट कये बगैर।

डी. कम्पनी के पास पुनरुद्धार एवं मल वकास योजना है, जो पूँजीगत कार्य के रूप में दिखाई दे रही है, ववरण इस प्रकार है :-

	की अव ध के लये सी.डबल्यू.आई.पी. में रा श				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अ धक	योग
परियोजनायें प्रगति पर हैं।	525.37	-	-	-	525.37

ई. कम्पनी के पास वकासाधीन अमूर्त सम्प त्तयाँ हैं :-

वकासाधीन अमूर्त सम्प त्तयाँ	एक अव ध के लये वकासधीन अमूर्त संप त्त में रा श				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अ धक	योग
ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर	-	4.70	-	-	4.70

एफ. बेनामी लेनदेन निषेध अ धनियम, 1988 [पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अ धनियम, 1988) के रूप में शीर्षक] के तहत कसी भी बेनामी संप त्त को रखने के लये कम्पनी के वरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ या लंबित नहीं है।

जी. कम्पनी के पास बैंक ऑफ इं डया से 1650.09 लाख रुपये की साव ध जमा (FDR) के वरुद्ध अ ध वकर्ष है। कम्पनी को बैंक के साथ तिमाही ववरण या चालू परिसंप त्त का ववरण दा खल करने की आवश्यकता नहीं है।

एच. कम्पनी को इरादतन चूककर्त्ता घो षत नहीं कया गया है।

आई. कम्पनी का उन कम्पनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है, जो कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 248 के तहत अटकी हुई हैं।

जे. आर.ओ.सी. के साथ तुष्टि के लये लंबित शुल्क

ववरण	आर.ओ.सी. की स्थिति	वलंब हेतु कारण
प्रभार आई.डी. 90204427 सृजन ति थ 21.03.1964 रा श : रुपये 0.96 लाख पार्टी का नाम : अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल	आर.ओ.सी., ग्वा लयर	चूं क प्रभार पंजीकृत प्रभार के अनुसार बहुत पुराना है, तुष्टि प्रपत्र हार्ड कॉपी के माध्यम से भरा जाता है, ले कन 2006 में एम.सी.ए. पोर्टल के प्रवारजन के दौरान इसे अद्यतन नहीं कया गया था एवं अभी भी खुले प्रभार के रूप में दिखा रहा है।
प्रभार आई.डी. 90204446 सृजन ति थ 21.03.1964 रा श : रुपये 125.00 लाख पार्टी का नाम : मध्यप्रदेश वद्युत मण्डल 18.09.1978	आर.ओ.सी., ग्वा लयर	चूं क प्रभार पंजीकृत प्रभार के अनुसार बहुत पुराना है, तुष्टि प्रपत्र हार्ड कॉपी के माध्यम से भरा जाता है, ले कन 2006 में एम.सी.ए. पोर्टल के प्रवारजन के दौरान इसे अद्यतन नहीं कया गया था एवं अभी भी खुले प्रभार के रूप में दिखा रहा है।
प्रभार आई.डी. 90207971 सृजन ति थ 17.03.1997 रा श : रुपये 3580.00 लाख द्वारा स्वीकृत : एस.बी.आई.	आर.ओ.सी., ग्वा लयर	प्रभार तुष्टि प्रपत्र पहले ही भरा जा चुका है ले कन प्रभार आई.डी. 90207971 के माध्यम से गलत एस.आर.एन. एम.सी.ए. मास्टर डेटा में दिख रहा है, आर.ओ.सी. को पहले ही जानकारी दे दी गई है, ले कन आज तक सुधार नहीं कया गया है।

के. कम्पनी के पास कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (87), जिसे कम्पनियों (स्तर की संख्या पर प्रतिबंध नियम, 2017) के साथ पढ़ा जावे, के तहत कम्पनी के पास निर्धारित स्तर नहीं हैं। कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

एल. वत्तीय अनुपात

अनुपात	अंश गणक	भाजक	वर्तमान अव ध	पूर्व अव ध	% परिवर्तन	परिवर्तन हेतु कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंप त्तयाँ	वर्तमान देनदारियाँ	0.28	0.44	-36.81%	दीर्घका लक ऋण की वर्तमान परिपक्वता अव ध में वृद् ध के कारण
ऋण-साम्य अनुपात	कुल ऋण (दीर्घाव ध एवं अल्पाव ध)	अंशधारकों का साम्य	-1.84	-15.35	-87.99%	चालू वत्त वर्ष में उधारी और घाटे में वृद् ध के कारण
ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	ऋण सेवाओं के लये उपलब्ध आय	ब्याज एवं लीज भुगतान + मूल पुनर्भुगतान	-0.21	-0.18	-15.13%	चालू वत्त वर्ष में उधार, ब्याज और घाटे में वृद् ध के कारण
साम्य पर प्रतिफल अनुपात	कर के पश्चात शुद्ध लाभ – अ धमान्य लाभांश	औसत अंशधारकों का साम्य	-0.20	-0.17	-19.82%	हानि के कारण
मालसूची आवर्त अनुपात	वक्रय	औसत मालसूची	3.94	1.23	219.17%	बिक्री और भंडार के अंतिम स्टॉक में वृद् ध के कारण।
व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात	शुद्ध वक्रय	औसत लेखा प्राप्य	24.74	5.97	314.34%	बिक्री में वृद् ध और व्यापार प्राप्य के समापन मूल्य के कारण।
व्यापार देय आवर्त अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद	औसत लेखा देय	3.82	2.54	49.91%	व्यापार देयताओं के क्रय एवं समापन मूल्य में वृद् ध के कारण।
शुद्ध पूँजी आवर्त अनुपात	शुद्ध वक्रय	कार्यशील पूँजी	-0.29	-0.10	-190.80%	चालू वत्त वर्ष में उधार, ब्याज लागत और घाटे में वृद् ध के कारण।
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	शुद्ध वक्रय	-1.01	-3.89	-73.88%	हानि वृद् ध के कारण
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	ब्याज एवं करों के पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.)	नियोजित पूँजी	-1.58	-0.53	194.96%	निरंतर हानि
निवेश पर प्रतिफल	{एम.वी.(टी.1) – एम.वी.(टी.0) – योग[सी.(टी.)]}	{एम.वी.(टी.0) + योग [डबल्यू.(टी.) * सी.(टी.)]}		लागू नहीं		

एम. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना तैयार नहीं की गई/सक्षम प्रा धकारी के पास लंबित नहीं है।

एन. (ए) कोई धनरा श अ ग्रम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (या तो ऋणी नि ध से या कस्त या कसी अन्य स्त्रोत या नि धयों के प्रकार) कम्पनी द्वारा या कसी अन्य व्यक्ति(ओं) या इकाई(यों) में, जिसमें वदेशी संस्थायें (मध्यस्थ) सम्मि लत हैं, समझ के साथ (चाहे ल खत रूप में दर्ज कया गया हो या अन्यथा) मध्यस्थता करेगा क

(1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करें या

(2) अंतिम लाभा र्थयों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना।

(बी) कम्पनी को वदेशी संस्थाओं (फं डंग पार्टी) सहित कसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई नि ध प्राप्त नहीं हुई है क कम्पनी

(1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करें या

(2) अंतिम लाभा र्थयों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना।

ओ. आयकर अ धनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्य र्पत या प्रकट कये गये खातों की पुस्तकों में कम्पनी का लेनदेन दर्ज नहीं है।

पी. कम्पनी ने वत्तीय वर्ष के दौरान क्रप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यवसाय या निवेश नहीं कया है।

क्यू. कम्पनी को निग मत सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

45. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि ववरण भारतीय रुपये में बनाये गये हैं और लाख के नजदीक पूर्णांक कये गये हैं।

46. कम्पनी अ धनियम 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ सम्‌ चत तुलना हो सके, के लये जहाँ आवश्यक हो, गत वर्ष के आंकड़ों में पुन: एकत्र करना, सुधार, पुनर्वर्गीकरण एवं पुन: व्यवस्थित कया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लये

कृते,	हस्ता./-	हस्ता./-
मेसर्स ए. आई. कोठारी एंड एसो सएट्स	राकेश कुमार चोखानी	(प्रदीप कुमार नाईक)
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वत्त)
फर्म पंजीकरण संख्या: 112022**W**	(अतिरिक्त प्रभार)	(अतिरिक्त प्रभार)
(सीए अ भषेक कोठारी)	डी.आई.एन. 10590173	डी.आई.एन. 08676709
सदस्यता संख्या 191911		
दिनांक: 07/08/2024	(सुश्री नि ध मश्रा)	(वकास रेड्डी)
स्थान: दिल्ली	कम्पनी स चव	मुख्य वत्तीय अ धकारी
	एम.क्र. ए53762	

नेपा ल मटेड के दिनांक 31.03.20**24** को समाप्त वर्ष के वत्तीय ववरण पर कम्पनी अ धनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्प णयाँ

कम्पनी अ धनियम, 2013 (अ धनियम) के अंतर्गत निर्धारित वत्तीय ववरण वहित दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लये नेपा ल मटेड के वत्तीय ववरणों की तैयारी करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अ धनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा-चरीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार अ धनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वत्तीय ववरणों पर अ धनियम की धारा 143(10) के तहत् अपनी राय व्यक्त करने के लये उत्तरदायी है। इस बात का उल्लेख उन्होंने दिनांक 07.08.2024 के अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में कया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नेपा ल मटेड के दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वत्तीय ववरणों का अ धनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत अनुपूरक अंकेक्षण आयोजित कया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से कया गया है एवं मुख्य रूप से वैधानिक अंकेक्षकों तथा कम्पनी का र्मकों की पूछताछ एवं कुछ लेखा अ भलेखों की चुनिंदा जांच तक सी मत है।

मेरे अनुपूरक अंकेक्षण के आधार पर, मेरी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिससे अ धनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक अंकेक्षक के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से और उनके लये
हस्ता./-
(एस. आह्लादिनि पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं निग मत मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2024

नोट :- कसी भी ववाद की स्थिति में वा र्षक प्रतिवेदन का अंग्रेजी रुपांतर ही मान्य होगा।